खण्ड-419, अंक-1
गुरुवार, 26 आषाढ़, शक संवत् 1919
(17 जुलाई, 1997 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 1997)

खण्ड 419 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1997

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 21 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
तेरहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची, श्री राज्यपाल, मंत्रि-परिषद्, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारियों तथा अधिष्ठाता मण्डल की सूची	क–ठ
उपस्थित सदस्य	ड–ढ
राष्ट्रीय-गीत	1
बबराला काण्ड के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग (जारी)	1–3
प्रश्नोत्तर	3–63
नियम 301 की सूचनाएं	63–82
नगर परिषद् टाण्डा, जनपद अम्बेदकर नगर की छोटी बाजार संकरावल मार्ग का निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	82
प्रदेश में पाठ्य पुस्तकों के अभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	82–83
भदोही जनपद के औराई तथा चौरी चौरा ग्राम राजकीय डिग्री कालेज, महिला डिग्री कालेज तथा सेवापुरी में तकनीकी विद्यालय खोले जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	83
फिरोजाबाद में विद्युत व्यवस्था में गड़बड़ी को ठीक किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	83–84
आगरा के पश्चिमी क्षेत्र के कतिपय मोहल्लों में जल भराव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	84
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	84–85
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (पटल पर रखा गया)	85
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (पटल पर रखा गया)	85
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (पटल पर रखा गया)	85
उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अध्यादेश, 1997 (पटल पर रखा गया)	85

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (पटल पर रखा गया)	85
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (पटल पर रखा गया)	85
महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर विधान सभा द्वारा स्वीकृत धन्यवाद के प्रस्ताव के संबंध में राज्यपाल का उत्तर (श्री अध्यक्ष ने पढ़कर सुनाया)	86
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1997(श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	86
उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1997 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	86
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1997 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	86
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1997 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ...	86–87
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	87–89
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	89
बबराला काण्ड की जांच सी० बी० आई० से कराने की मांग ...	89–90
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	91
आज की कार्यसूची के मद संख्या 17 व 18 से संबंधित विभिन्न संकल्पों को स्थगित किये जाने की सूचना	91
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	91–92
नत्थियां	93–98

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा
(तेरहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची

1–अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
2–अक्षयवर लाल, श्री — बहराइच
3–अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
4–अजय कुमार पोइया, श्री — मथुरा
5–अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री — गोण्डा
6–अजय भट्ट, श्री — अल्मोड़ा
7–अजय राय, श्री — वाराणसी
8–अजित कुमार मेहरोत्रा, श्री — सीतापुर
9–अतीक अहमद, श्री — इलाहाबाद
10–अतुल कुमार, श्री — मेरठ
11–अनिल कुमार, श्री — बलिया
12–अनीस खां, श्री — पीलीभीत
13–अफजाल अंसारी, श्री — गाजीपुर
14–अफजाल अहमद, श्री — जौनपुर
15–अफरोज अली खां, श्री — रामपुर
16–अब्दुल कलाम, श्री — बस्ती
17–अब्दुल कलाम, श्री — वाराणसी
18–अब्दुल खालिक, श्री — अलीगढ़
19–अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
20–अमर मणि, श्री — महराजगंज
21–अमित अग्रवाल, श्री — मेरठ
22–अमीर आलम खांन, श्री — मुजफ्फरनगर
23–अम्बरीष कुमार, श्री — हरिद्वार
24–अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
25–अम्मार रिजवी, डा० — सीतापुर
26–अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
27–अरविन्द कुमार जैन, श्री — ललितपुर
28–अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
29–अरिमर्दन सिंह, श्री — महोबा
30–अरुण प्रताप सिंह, श्री — सुल्तानपुर
31–अरुणवीर सिंह, श्री — बहराइच
32–अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
33–अशफाक अहमद, श्री — बरेली
34–अशोक कुमार, श्री — जौनपुर
35–अशोक कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
36–अशोक बाजपेयी, डा० — हरदोई
37–अशोक यादव, श्री — फिरोजाबाद
38–आनन्द प्रकाश, श्री — पडरौना
39–आर० के० चौधरी, श्री — लखनऊ
40–आलमबदी, श्री — आजमगढ़
41–इकबाल महमूद, श्री — मुरादाबाद
42–इन्द्रजीत सरोज, श्री — इलाहाबाद
43–इन्द्रदेव, श्री — बिजनौर
44–इल्म सिंह, श्री — सहारनपुर
45–उदय राज यादव, श्री — उन्नाव
46–उमाकान्त यादव, श्री — जौनपुर
47–उर्मिला देवी, श्रीमती — मैनपुरी
48–उवैदुर्रहमान, श्री — गोण्डा
49–ओइमूवेश, स्वामी — बिजनौर
50–ओंकार सिंह, श्री — एटा
51–ओमकार सिंह, श्री — बदायूं
52–ओम प्रकाश, श्री — एटा
53–ओम प्रकाश, श्री — गाजीपुर
54–ओम प्रकाश गुप्त, श्री — सीतापुर
55–ओम प्रकाश सिंह, श्री — मिर्जापुर

56–ओमवती देवी, श्रीमती बिजनौर
57–कमला प्रसाद रावत, श्री बाराबंकी
58–कल्याण सिंह, श्री अलीगढ़
59–कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री सहारनपुर
60–काजिम अली खां,
उर्फ नवेद मियां, श्री रामपुर
61–काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री हरिद्वार
62–काशिम हसन, श्री फतेहपुर
63–काशीनाथ, श्री सुल्तानपुर
64–किशन लाल बघेल, सेठ आगरा
65–कृपा शंकर सिंह, श्री उन्नाव
66–कृष्ण चन्द्र पुनेठा, श्री पिथौरागढ़
67–कृष्णा राज, श्रीमती खीरी
68–केदार सिंह फोनिया, श्री चमोली
69–केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री इलाहाबाद
70–केशो मेहरा, श्री आगरा
71–के० सी० सिंह, "बाबा" उधम सिंह नगर
72–कैलाश, श्री गाजीपुर
73–कैलाश सिंह राजपूत, श्री फर्रुखाबाद
74–कोकब हमीद, श्री मेरठ
75–कोविद कुमार, श्री शाहजहांपुर
76–कौशल किशोर, डा० खीरी
77–गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री आगरा
78–गंगा बख्श सिंह, श्री उन्नाव
79–गंगा सिंह चौहान, श्री हरदोई
80–गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री मेरठ
81–गणेश, श्री गाजीपुर
82–गुलाब देवी, श्रीमती मुरादाबाद
83–गोपाल कृष्ण, श्री पीलीभीत
84–गोमती यादव, श्री लखनऊ
85–गोरखनाथ पाण्डेय, श्री भदोही
86–गौरी देवी, श्रीमती गोरखपुर
87–गौरी शंकर एडवोकेट, श्री लखनऊ
88–चन्द्र किशोर, श्री महराजगंज
89–चन्द्र नाथ सिंह, श्री प्रतापगढ़
90–चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री झांसी
91–चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री बहराइच
92–चन्द्रेश पासवान, श्री गोरखपुर
93–चेतराम, श्री शाहजहांपुर
94–छब्बू पटेल, श्री वाराणसी
95–छोटे लाल वर्मा, डा० महोबा
96–छोटे लाल, श्री हरदोई
97–छोटे लाल गंगवार, मास्टर बरेली
98–छोटे लाल राजभर, श्री बलिया
99–छोटे सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
100–जगत पाल सिंह, मेजर मुरादाबाद
101–जगदम्बिका पाल, श्री बस्ती
102–जगदीश नारायण मुन्ना, श्री जौनपुर
103–जगदीश सिंह राणा, श्री सहारनपुर
104–जटा शंकर, श्री बहराइच
105–जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
106–जय नारायन तिवारी, श्री सुल्तानपुर
107–जयपाल सिंह, श्री मेरठ
108–जय प्रकाश, श्री गाजियाबाद
109–जय प्रकाश निषाद, श्री देवरिया
110–जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
111–जयवीर सिंह भदौरिया, श्री इटावा
112–जितेन्द्र कुमार जायसवाल
उर्फ पप्पू भइया गोरखपुर
113–जोखू लाल यादव, श्री इलाहाबाद
114–ज्ञान चन्द, श्री उत्तरकाशी
115–ज्ञानवती सिंह, डा० अलीगढ़

116–ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री — महराजगंज
117–ज्वाला प्रसाद यादव, श्री — जौनपुर
118–तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल, श्री — गोरखपुर
119–तिलकराज बेहड़, श्री — उधम सिंह नगर
120–तेजभान सिंह, श्री — सुल्तानपुर
121–तोताराम, श्री — मुरादाबाद
122–तौफीक अहमद, श्री — सिद्धार्थनगर
123–ददूू प्रसाद, श्री — बांदा
124–दयाशंकर, श्री — जालौन
125–दल बहादुर कोरी, श्री — रायबरेली
126–दलवीर सिंह, श्री — अलीगढ़
127–दिलीप कुमार, श्री — बहराइच
128–दिवाकर विक्रम सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
129–दीपक कुमार, श्री — उन्नाव
130–दीप लाल भारतीय, श्री — पडरौना
131–दुर्गा प्रसाद, श्री — आजमगढ़
132–देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह, श्री — कानपुर देहात
133–देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर — एटा
134–धनराज यादव, श्री — सिद्धार्थनगर
135–धनीराम वर्मा, श्री — इटावा
136–धर्मज्ञ मिश्र, श्री — हरदोई
137–धर्मपाल सिंह, श्री — बरेली
138–धर्मराज निषाद, श्री — अम्बेडकर नगर
139–नन्दराम, श्री — बरेली
140–नरेन्द्र, श्री — आजमगढ़
141–नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा० — इलाहाबाद
142–नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री — कानपुर देहात
143–नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री — बुलन्दशहर
144–नरेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
145–नरेन्द्र सिंह सिशौदिया, श्री — गाजियाबाद
146–नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
147–नवाब सिंह नागर, श्री — गाजियाबाद
148–नारायण राम दास, श्री — अल्मोड़ा
149–निर्भय पाल शर्मा, श्री — सहारनपुर
150–नीरज चतुर्वेदी, श्री — कानपुर नगर
151–नेतराम सिंह, श्री — एटा
152–"पटेल" राम कुमार वर्मा, श्री — खीरी
153–परमानन्द दण्डी, स्वामी — रामपुर
154–परवेज हलीम खां, श्री — मेरठ
155–पारसनाथ यादव, श्री — जौनपुर
156–पीटर फैन्थम — नाम-निर्देशित सदस्य
157–पीतम राम, श्री — पीलीभीत
158–पूरन सिंह, बुन्देला, श्री — ललितपुर
159–पूर्णमासी पंकज, श्री — भदोही
160–प्रदीप कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
161–प्रभा द्विवेदी, श्रीमती — फर्रुखाबाद
162–प्रभु नारायन सिंह यादव, श्री — वाराणसी
163–प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
164–प्रेम पाल सिंह यादव, श्री — बदायूं
165–प्रेम प्रकाश, श्री — देवरिया
166–प्रेम लता कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
167–प्रेम स्वरूप पाठक, श्री — बदायूं
168–फतेह बहादुर, श्री — महराजगंज
169–फरीद महफूज किदवई, श्री — बाराबंकी
170–फागू, श्री — मऊ
171–बंश नारायण सिंह, श्री — भदोही
172–बंशीधर भगत, श्री — नैनीताल
173–बचनूराम पटेल, श्री — वाराणसी
174–बच्चा पाठक, श्री — बलिया
175–बनवारी लाल दोहरे, श्री — फर्रुखाबाद
176–बनारसी दास चान्दना, श्री — मेरठ

177–बांके लाल सोनकर, श्री — जौनपुर
178–बादशाह सिंह, श्री — हमीरपुर
179–बाबू खां, श्री — हरदोई
180–बाबू राम, श्री — जालौन
181–बाबू राम यादव, श्री — मैनपुरी
182–बाबू लाल, श्री — आगरा
183–बाबू लाल, श्री — उन्नाव
184–बाबू लाल कुशवाहा, श्री — बांदा
185–बाल चन्द्र मिश्र, श्री — कानपुर नगर
186–बालेश्वर त्यागी, श्री — गाजियाबाद
187–बावन सिंह, श्री — गोण्डा
188–बिजेन्द्र आर्य, श्री — मुजफ्फरनगर
189–बिन्दु लाल, श्री — गोण्डा
190–बिहारी लाल आर्य, श्री — झांसी
191–बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री — सीतापुर
192–बेचन राम, श्री — गोरखपुर
193–ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
194–भगवती प्रसाद, श्री — कानपुर देहात
195–भगवान सिंह शाक्य, श्री — बदायूं
196–भरत सिंह, श्री — बलिया
197–भाई लाल, श्री — मिर्जापुर
198–भारत सिंह रावत, श्री — गढ़वाल
199–भीम प्रसाद, श्री — अम्बेडकर नगर
200–भोनू, श्री — गाजीपुर
201–भोला शंकर मौर्य, श्री — बदायूं
202–मंगल सिंह, श्री — मुरादाबाद
203–मंजू, श्रीमती — बलिया
204–मण्डलेश्वर सिंह, श्री — आगरा
205–मतेश चन्द्र सोनकर, श्री — इलाहाबाद
206–मथुरा प्रसाद, श्री — कानपुर देहात
207–मलखान सिंह, श्री — अलीगढ़
208–मस्तराम, श्री — उन्नाव
209–महाराज सिंह यादव, श्री — इटावा
210–महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा — आगरा
211–महेन्द्र कुमार, श्री — बुलन्दशहर
212–महेन्द्र कुमार, श्री — सीतापुर
213–महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा० — वाराणसी
214–महेन्द्र पाल निषाद, श्री — बांदा
215–महेन्द्र सिंह यादव, श्री — बुलन्दशहर
216–मातवर सिंह कण्डारी, श्री — टिहरी गढ़वाल
217–मानिक चन्द यादव, श्री — मैनपुरी
218–माया प्रसाद, श्रीमती — खीरी
219–मायावती, सुश्री — सहारनपुर
220–मारकण्डेय चन्द, श्री — गोरखपुर
221–मित्रसेन यादव, श्री — फैजाबाद
222–मिथिलेश कुमारी, श्रीमती — एटा
223–मुख्तार अन्सारी, श्री — मऊ
224–मुन्ना चौहान, श्री — देहरादून
225–मुन्ना लाल मौर्य, श्री — फतेहपुर
226–मुरलीधर, श्री — फतेहपुर
227–मुराद लारी, श्री — देवरिया
228–मुस्ताक सोलंकी, श्री — कानपुर नगर
229–मुस्लिम, डा० — रायबरेली
230–मुहर सिंह अम्बाडी, श्री — इटावा
231–मूल चन्द, श्री — बिजनौर
232–मोती लाल, श्री — खीरी
233–मोहन सिंह रावत गांववासी, श्री — गढ़वाल
234–मोहम्मद मुकीम, श्री — सिद्धार्थनगर
235–यशपाल सिंह चौहान, श्री — अलीगढ़
236–यशवंत, श्री — आजमगढ़
237–योगेन्द्र कुमार, श्री — बदायूं
238–योगेन्द्र सिंह, श्री — देवरिया

239–रंगनाथ मिश्र, श्री भदोही
240–रंग बहादुर पटेल, श्री इलाहाबाद
241–रघुनाथ सिंह चौहान, श्री अल्मोड़ा
242–रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया", कुंवर प्रतापगढ़
243–रघुवर दयाल वर्मा, श्री फिरोजाबाद
244–रणधीर सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
245–रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर पडरौना
246–रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
247–रमेश पोखरियाल "निशंक", डा० गढ़वाल
248–रमेश राही, श्री सीतापुर
249–रवीन्द्र पुण्डीर, प्रो० मेरठ
250–रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री सिद्धार्थनगर
251–रवीन्द्र शुक्ला, श्री झांसी
252–राकेश त्यागी, श्री बुलन्दशहर
253–राकेश धर त्रिपाठी, श्री इलाहाबाद
254–राकेश सोनकर, श्री कानपुर नगर
255–राजधारी, श्री बलिया
256–राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
257–राजपाल सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
258–राज राय सिंह, श्रीमती पीलीभीत
259–राजा गज़नफर अली खां, श्री बिजनौर
260–राजा राम, श्री प्रतापगढ़
261–राजा राम पाल, श्री कानपुर देहात
262–राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
263–राजेन्द्र, श्री गाजीपुर
264–राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
265–राजेन्द्र सिंह, श्री देहरादून
266–राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
267–राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
268–राजेश कुमार सिंह, श्री मुरादाबाद
269–राधेश्याम, श्री कानपुर देहात
270–राधेश्याम गुप्त, श्री फतेहपुर
271–राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
272–राधेश्याम सिंह, श्री पडरौना
273–राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकर नगर
274–राम अवतार मिश्रा, श्री शाहजहांपुर
275–राम आसरे पासवान, श्री बस्ती
276–राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा० कानपुर नगर
277–राम औतार शाक्य, श्री मैनपुरी
278–राम कृपाल, श्री इलाहाबाद
279–राम कृपाल सिंह, श्री बांदा
280–राम खिलाड़ी, श्री बदायूं
281–राम चन्द्र मौर्य, श्री मिर्जापुर
282–रामजग, श्री आजमगढ़
283–रामतेज यादव, एडवोकेट बहराइच
284–रामदेव आचार्य, श्री बाराबंकी
285–राम नक्षत्र, श्री पडरौना
286–राम नरेश रावत, श्री ाजियाबाद
287–राम नरेश यादव, श्री आजमगढ़
288–रामनाथ, श्री प्रतापगढ़
289–रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
290–रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
291–रामपाल सिंह, श्री गोण्डा
292–राम प्यारे, श्री आजमगढ़
293–राम प्रताप सिंह, श्री गोण्डा
294–राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
295–राम बाबू हरित, श्री आगरा
296–राम रतन यादव, श्री सुल्तानपुर
297–राम लखन, श्री सुल्तानपुर
298–राम ललित चौधरी, श्री बस्ती
299–राम विशुन आजाद, श्री गोण्डा

300–रामवीर उपाध्याय, श्री अलीगढ़
301–रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
302–राम शंकर पाल, श्री उन्नाव
303–राम सखी, श्रीमती अलीगढ़
304–राम सिंह, डा० अलीगढ़
205–राम सिंह, श्री बुलन्दशहर
306–राम सिंह सैनी, श्री हरिद्वार
307–राम सेवक सिंह, श्री इलाहाबाद
308–राम सेवक सिंह, श्री बदायूं
309–राम स्वरूप शर्मा, श्री मथुरा
310–राम स्वरूप सिंह, श्री बिजनौर
311–राम हर्ष सिंह, श्री सुल्तानपुर
312–रामाधार सिंह, श्री हमीरपुर
313–रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री मैनपुरी
314–रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
315–रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू भइया, श्री गोण्डा
316–रिफाकत हुसैन चौधरी, श्री मुरादाबाद
317–रूप चौधरी, श्री मेरठ
318–रेवती रमण सिंह
उर्फ "मणी", कुंवर इलाहाबाद
319–लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, डा० मेरठ
320–लक्ष्मी नारायण चौधरी, श्री मथुरा
321–लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
322–लाखी राम जोशी, श्री टिहरी गढ़वाल
323–लालजी टण्डन, श्री लखनऊ
324–लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
325–लालमणि प्रसाद, श्री बस्ती
326–लाल सिंह वर्मा, श्री इटावा
327–लोकपति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
328–वकार अहमद शाह, डा० बहराइच
329–वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
330–वहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
331–विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
332–विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
333–विजय कुमार, श्री गाजीपुर
334–विजय पाल सिंह, श्री आगरा
335–विजय प्रकाश, श्री इलाहाबाद
336–विजय सिंह, श्री सोनभद्र
337–विद्या सागर गुप्ता, श्री लखनऊ
338–विनय कुमार पाण्डेय "विन्नू", श्री गोण्डा
339–विनोद कुमार सिंह
उर्फ पंडित सिंह, श्री गोण्डा
340–विनोद मणि, श्री महराजगंज
341–विभूति प्रसाद निषाद, श्री आजमगढ़
342–विरेन्द्र सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
343–विरेन्द्र सिंह, श्री वाराणसी
344–वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
345–विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
346–विशन सिंह चुफाल, श्री पिथौरागढ़
347–विशम्भर सिंह, श्री मथुरा
348–विश्वनाथ, श्री पडरौना
349–वीरेन्द्र प्रताप सिंह
उर्फ मुन्ना, श्री शाहजहांपुर
350–वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री एटा
351–वेद प्रकाश, श्री बस्ती
352–वेद प्रकाश सिंह, एम०एस०, डा० बिजनौर
353–शब्बीर अहमद, श्री बहराइच
354–शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
355–शिव गणेश लोधी, एडवोकेट रायबरेली
356–शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
357–शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
358–शिव पूजन राम, श्री वाराणसी

359–शिव प्रताप शुक्ल, श्री गोरखपुर
360–शिव बहादुर सक्सेना, श्री रामपुर
361–शिव शंकर, श्री बांदा
362–शिव सिंह चक, श्री फिरोजाबाद
363–शिवाकान्त, श्री प्रतापगढ़
364–शिवेन्द्र सिंह
उर्फ शिव बाबू, श्री महराजगंज
365–शिशुपाल सिंह यादव, श्री एटा
366–शेर बहादुर, श्री अम्बेडकर नगर
367–श्याम किशोर यादव, श्री लखनऊ
368–श्याम देव राय चौधरी, दादा, श्री वाराणसी
369–श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
370–श्याम लाल रावत, श्री सीतापुर
371–श्याम सुन्दर, श्री रायबरेली
372–श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
373–श्री निवास मणि, श्री देवरिया
374–श्रीराम, श्री जालौन
375–श्रीराम, श्री मऊ
376–श्रीराम यादव, श्री जौनपुर
377–संग्राम सिंह, श्री बाराबंकी
378–संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
379–संजय सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
380–संदीप अग्रवाल, श्री मुरादाबाद
381–सतीश जतारिया, श्री झांसी
382–सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
383–सतीश शर्मा, श्री बुलन्दशहर
384–सत्य प्रकाश विकल, श्री आगरा
385–सत्य प्रकाश सोनकर, श्री वाराणसी
386–सन्त, श्री गोरखपुर
387–सन्त राम सिंह, श्री जालौन
388–समर पाल सिंह, श्री मेरठ
389–सरजीत सिंह डंग, डा० मिर्जापुर
390–सरदार सिंह, श्री मथुरा
391–सरवर अली खां,श्री बाराबंकी
392–सरस्वती प्रताप सिंह, श्री खीरी
393–सर्वेश कुमार
उर्फ राकेश कुमार, कुंवर मुरादाबाद
394–सीता राम निषाद, श्री फैजाबाद
395–सीमा द्विवेदी, श्रीमती जौनपुर
396–सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
397–सुखपाल पाण्डेय, श्री बस्ती
398–सुखवीर सिंह पुण्डीर, श्री सहारनपुर
399–सुधाकर सिंह, श्री मऊ
400–सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री देवरिया
401–सुमन लता सिंह, श्रीमती बरेली
402–सुरेन्द्र नाथ, श्री बाराबंकी
403–सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री बरेली
404–सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
405–सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
406–सुरेश चन्द्र आर्य, श्री उधम सिंह नगर
407–सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
408–सुशील शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
409–सुशीला अग्रवाल, श्रीमती मुजफ्फरनगर
410–सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
411–सूर्य भान, श्री सुल्तानपुर
412–सौलत अली, श्री मुरादाबाद
413–स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री रायबरेली
414–हरदेव सिंह, श्री बाराबंकी
415–हरपाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
416–हरवंश कपूर, श्री देहरादून
417–हरिनारायण, श्री बलिया
418–हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री सोनभद्र
419–हरि शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
420–हरि शंकर माहौर, श्री अलीगढ़
421–हरी किशन, श्री कानपुर देहात
422–हरीश चन्द्र गंगवार, श्री बरेली
423–हरीश चन्द्र "हरीश जी", श्री वाराणसी
424–हीरा लाल गौतम, श्री आजमगढ़
425–हुकुम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
426–होराम सिंह, श्री बुलन्दशहर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राज्यपाल

श्री रोमेश भण्डारी

मंत्रि-परिषद्

1–सुश्री मायावती (मुख्य मंत्री)	सामान्य प्रशासन, गृह, गोपन, नियुक्ति, कार्मिक, ऊर्जा, सूचना निर्वाचन, वित्त, न्याय, विधायी, औद्योगिक विकास, आबकारी, नियोजन, चिकित्सा शिक्षा, वन, प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन, लघु सिंचाई, अम्बेडकर ग्राम विकास, राज्य सम्पत्ति, लघु उद्योग, निर्यात प्रोत्साहन, उद्यान ।
2–श्री कलराज मिश्र	लोक निर्माण, पर्यटन
3–श्री आर० के चौधरी	सहकारिता
4–श्री लालजी टण्डन	आवास, नगर विकास
5–श्री बी० आर० वर्मा	संसदीय कार्य, पर्यावरण
6–श्री ओम प्रकाश सिंह	सिंचाई, गन्ना विकास
7–श्री सुखदेव राजभर	ग्राम्य विकास
8–श्री हरी किशन	महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार
9–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर	उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा
10–श्री श्रीराम पाल	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण
11–श्री रमापति शास्त्री	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
12–श्री काजी मुहम्मद मुहीउद्दीन	कारागार, राजनैतिक पेंशन
13–डा० नैपाल सिंह	माध्यमिक शिक्षा, भाषा
14–श्री मारकण्डेय चन्द	संस्कृति, खेलकूद
15–श्रीमती प्रभा द्विवेदी	श्रम
16–श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी	कृषि
17–श्री ऐजाज रिजवी	खाद्य एवं रसद
18–श्री राधेश्याम गुप्ता	संस्थागत वित्त
19–श्री रामवीर उपाध्याय	परिवहन
20–श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही	राजस्व
21–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य	खादी एवं ग्रामीण उद्योग

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

1–श्री बाबूलाल कुशवाहा	हथकरघा, रेशम उद्योग
2–श्री बालेश्वर त्यागी	पंचायती राज
3–श्री सुन्दर सिंह बघेल	दुग्ध विकास, पशुधन
4–श्री भोला शंकर मौर्य	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
5–श्री रवीन्द्र शुक्ल	बेसिक शिक्षा

6–श्री भगवती प्रसाद सागर	वैकल्पिक ऊर्जा
7–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी	अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ
8–श्री राम प्रसाद चौधरी	क्षेत्रीय विकास
9–श्री विभूति प्रसाद निषाद	इलेक्ट्रानिक्स
10–श्री शिव चरण प्रजापति	पिछड़ा वर्ग कल्याण
11–श्री राम अचल राजभर	कृषि शिक्षा
12–श्री लाल मणि प्रसाद	होमगार्ड्स
13–श्री गंगा प्रसाद पुष्कर	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
14–श्री मातवर सिंह कण्डारी	उत्तराखंड विकास
15–श्री राधेश्याम कोरी	राष्ट्रीय एकीकरण एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन

राज्य मंत्री

1–श्री राम शंकर पाल	सहकारिता मंत्री
2–श्री गोरख प्रसाद निषाद	श्रम मंत्री
3–डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय	आवास एवं नगर विकास मंत्री
4–श्री धर्मपाल सिंह	लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री
5–श्री जयपाल सिंह	सिंचाई एवं गन्ना विकास मंत्री
6–श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री
7–श्री अशोक यादव	राजस्व मंत्री
8–श्रीमती राज राय सिंह	संस्थागत वित्त मंत्री
9–श्री बंशीधर भगत	खाद्य एवं रसद मंत्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नेता विरोधी दल

रिक्त.....

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल

अध्यक्ष

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी

उपाध्यक्ष

रिक्त .....

सचिव

श्री प्रेम चन्द्र सक्सेना

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अधिष्ठाता मण्डल

1–डा० सरजीत सिंह डंग, सदस्य, विधान सभा (मिर्जापुर)
2–श्री सूर्य प्रताप शाही, सदस्य, विधान सभा (देवरिया)
3–श्री राकेश धर त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा (इलाहाबाद)
4–श्री रंगनाथ मिश्र, सदस्य, विधान सभा (वाराणसी)
5–श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा (अम्बेडकर नगर)
6–श्री दिवाकर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा (सिद्धार्थनगर)
7–डा० अशोक बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा (हरदोई)
8–श्री मुन्ना चौहान, सदस्य, विधान सभा (देहरादून)
9–श्री गौरी शंकर एडवोकेट, सदस्य, विधान सभा (लखनऊ)
10–श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, सदस्य, विधान सभा (महराजगंज)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा
(तेरहवीं विधान सभा)

गुरुवार, दिनांक 17 जुलाई, 1997

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अजय कुमार पोइया, श्री	मथुरा	देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह, श्री	कानपुर देहात
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर	नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री	बुलन्दशहर
अरविन्द कुमार जैन, श्री	ललितपुर	नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच	"पटेल" राम कुमार वर्मा, श्री	खीरी
अशफाक अहमद, श्री	बरेली	पूरन सिंह, बुन्देला, श्री	ललितपुर
आर० के० चौधरी, श्री	लखनऊ	प्रेम प्रकाश, श्री	देवरिया
* आलमबदी, श्री	आजमगढ़	प्रेम लता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद	फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	बंशीधर भगत, श्री	नैनीताल
ओइमवेश, स्वामी	बिजनौर	बनारसी दास चान्दना, श्री	मेरठ
ओमकार सिंह, श्री	बदायूं	बादू लाल कुशवाहा, श्री	बांदा
ओम प्रकाश, श्री	एटा	बिजेन्द्र आर्य, श्री	मुजफ्फरनगर
ओम प्रकाश गुप्त, श्री	सीतापुर	बिहारी लाल आर्य, श्री	झांसी
कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी	बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री	सीतापुर
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर	ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
काजिम अली खां, उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर	भगवती प्रसाद, श्री	कानपुर देहात
के० सी० सिंह, "बाबा"	सिंह नगर	भाई लाल, श्री	मिर्जापुर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर	मंजू, श्रीमती	बलिया
जयपाल सिंह, श्री	मेरठ	मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा	आगरा
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया	गोरखपुर	महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा०	वाराणसी
तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल, श्री	गोरखपुर	महेन्द्र पाल निषाद, श्री	बांदा
दुर्गा प्रसाद, श्री	आजमगढ़	मिथिलेश कुमारी, श्रीमती	एटा
		मुख्तार अन्सारी, श्री	मऊ

---

* अभी तक शपथ ग्रहण नहीं किया है।

रवीन्द्र शुक्ला, श्री	झांसी
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
राज राय सिंह, श्रीमती	पीलीभीत
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राधेश्याम, श्री	कानपुर देहात
राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा०	कानपुर नगर
राम खिलाड़ी, श्री	बदायूं
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम ललित चौधरी, श्री	बस्ती
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू भइया, श्री	गोण्डा
रूप चौधरी, श्री	मेरठ
लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, डा०	मेरठ
लक्ष्मी नारायण चौधरी, श्री	मथुरा
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
* वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
बहोरन लाल मौर्य, श्री	बरेली
विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना, श्री	शाहजहांपुर
वेद प्रकाश सिंह, एम०एस०, डा०	बिजनौर
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शिव गणेश लोधी, एडवोकेट	रायबरेली
श्याम किशोर यादव, श्री	लखनऊ
संजय सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सुशीला अग्रवाल, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र

उत्तर प्रदेश विधान सभा

---

*अभी तक शपथ ग्रहण नहीं किया है।

गुरूवार, दिनांक 17 जुलाई, 1997

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

राष्ट्रीय-गीत

श्री अध्यक्ष–

विधान सभा के इस सत्र में सभी माननीय सदस्यों का स्वागत है। इस सत्र का प्रारम्भ राष्ट्रीय-गीत 'वन्दे मातरम्' से करेंगे।

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्॥

सुजलाम्।

सुफलाम्।

मलयज शीतलाम्।

शस्य श्यामलाम्।

मातरम्। वन्दे मातरम्॥

शुभ्र-ज्योत्सना-पुलकित-यामिनीम्

फुल्ल-कुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम्। वन्दे मातरम्॥

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

मध्यान्ह भोजन के सम्बन्ध में नियम 31। के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं को सर्वप्रथम लिए जाने की मांग

(कार्यसूची के मद्दे "क" के अन्तर्गत सूचित तारांकित प्रश्न-संख्या। पुकारे जाने पर कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अवधेश प्रसाद–

लूटपाट डकैती हो रही है।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। नियम-311 की सूचनाएं प्रश्न काल के बाद ले लेंगे।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री सुधाकर सिंह–

माननवर, यह महत्वपूर्ण मामला है । किसानों पर गोलियां चल रही हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । मैंने कहा कि प्रश्न काल के तुरन्त बाद नियम-311 की सूचनाएं ले लूंगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य बैठें । माननीय नेता विरोधी दल स्थान ग्रहण करें । नियम-311 के तहत जितनी सूचनायें स्वीकार हुई हैं उनको प्रश्न काल के बाद ले लूंगा ।

नेता विरोधी दल (श्री धर्नीराम वर्मा)–

बबराला काण्ड हुआ है इस पर ग्राह्यता पर सुन लीजिए, इसमें सचमुच ग्राह्यता है या नहीं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल खत्म होने पर पहले बबराला काण्ड ले लेंगे ।

श्री सुधाकर सिंह–

किसान को गोली लगी है, किसान मरा है ।

श्री अवधेश प्रसाद–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

आप जो कह रहे हैं वह लिखा नहीं जाएगा । जो मन्तव्य आप पूरा करना चाहते हैं वह पूरा नहीं होगा ।

(कई सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर खड़े होकर एक साथ बोलने लगे जिससे घोर व्यवधान बना रहा)

श्री सुधाकर सिंह–

किसानों पर गोलियां चल रही हैं । अत्याचार हो रहा है, आये दिन डकैती की घटनाएं हो रही हैं ।

(अन्यसूचित तारांकित प्रश्न संख्या । पुकारे जाने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लें ।

नोट:–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

माननवर, मैंने प्रश्न किया था कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित, प्राइमरी पाठशालाओं में निःशुल्क शिक्षा के स्थान पर आगामी सत्र से शुल्क लगाने का निर्णय सरकार ने लिया है क्या जनहित में सरकार उसे वापस लेने पर विचार करेगी ?

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही 11.30 बजे तक स्थगित करता हूं ।

(तत्पश्चात् श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 07 मिनट पर सदन की कार्यवाही 11 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । 11 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया, कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है ।)

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राइमरी पाठशालाओं में शुल्क लगाये जाने पर आपत्ति

**1. श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी पाठशालाओं में निःशुल्क शिक्षा के स्थान पर आगामी सत्र से शुल्क लगाने का निर्णय सरकार ने लिया है ? यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है ? क्या जनहित में सरकार उसे वापस लेने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री रवीन्द्र शुक्ल)–

ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

दुर्बल वर्ग के लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता एवं परामर्श दिये जाने की नीति की जानकारी

**2. श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य के दुर्बल वर्ग के लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता एवं परामर्श उपलब्ध कराने हेतु किसी प्राधिकरण के गठन पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं,तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

जी हां । राज्य के दुर्बल वर्ग के लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता एवं परामर्श उपलब्ध कराने का कार्य पूर्व में दिनांक 11-5-1997 तक प्रदेश स्तर पर उत्तर प्रदेश कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड तथा

नोटः–उ० प्र० विधान सभा नियमावली, 1958 के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये ।

जिला स्तर पर जिला निःशुल्क कानूनी सहायता एवं परामर्श समितियों द्वारा किया जाता था। दिनांक 12-5-1997 से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 1996 बना कर, उक्त कार्य हेतु प्रदेश स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया जा चुका है और वर्तमान में उपरोक्त प्राधिकरण उक्त कार्य कर रहे हैं। अधिनियम तथा नियमावली उपरोक्त की व्यवस्था के अनुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में मुख्य संरक्षक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं कार्यपालक अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री वी० एल० हुन्दा के अतिरिक्त नौ पदेन सदस्य तथा सात नामित सदस्य हैं। नामित सदस्यों में समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जिला जज को प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। उनके अतिरिक्त 6 पदेन तथा 6 नामित सदस्य हैं। नामित सदस्यों में समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय से भिन्न न्यायालयों में वाद होने की दशा में ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय समस्त स्रोतों से 12 हजार रुपये से कम है, निःशुल्क विधिक सहायता पाने के पात्र होंगे। उक्त के अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, बच्चे विकलांग, मानसिक रूप से विक्षिप्त, श्रमिक, भिखारी प्राकृतिक विपदाओं एवं औद्योगिक विपदा से पीड़ित व्यक्ति तथा जातीय हिंसा से प्रभावित व्यक्ति निःशुल्क विधिक सेवा व सहायता पाने के पात्र होंगे। उपरोक्त दोनों प्राधिकरण लोक अदालत के माध्यम से सुलह और समझौते के आधार पर मुकदमों को निस्तारित करने का कार्य करेगी तथा निःशुल्क कानूनी सहायता एवं परामर्श उपरोक्त पात्र व्यक्तियों को उपलब्ध करायेगी।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 299(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

खेल के स्तर में सुधार संबंधी नीति की जानकारी

*1. श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गिरते हुए खेल स्तर को देखते हुए उसके स्तर में सुधार के लिए सरकार ने कोई नीति बनायी है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार प्रदेश की खेल नीति बनाने पर विचार करेगी ?

संस्कृति एवं खेलकूद मंत्री (श्री मारकण्डेय चन्द)–

नई खेल नीति शासन में विचाराधीन है।

[गुरुवार, दिनांक 17 जुलाई, 1997 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

पर्वतीय क्षेत्र में भूमि बन्दोबस्त अब तक न होने की शिकायत

*1. श्री भरत सिंह रावत–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में केवल पर्वतीय क्षेत्र ही ऐसा क्षेत्र है जहां कि भूमि का बन्दोबस्त अभी तक नहीं हो सका है ? यदि हां, तो क्या इस हेतु अब तक प्रयास किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या और उक्त क्षेत्र की भूमि का बन्दोबस्त कब तक करा लिया जायेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह जगौड़ी)–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद फैजाबाद का परिसीमन पुनर्गठन मानक बनाने की मांग

*2-श्री मित्रसेन यादव-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि मण्डलीय जनपद फैजाबाद का परिसीमन कर नवसृजित जनपद अम्बेडकर नगर का गठन किया गया है और जनपद फैजाबाद मानक विहीन हो गया है ? यदि हां, तो क्या जनपद फैजाबाद को मानक अनुरूप पुनर्गठित करने के लिए तहसील रुदौली, जनपद बाराबंकी को फैजाबाद में सम्मिलित करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

शासन की अधिसूचना संख्या-2510/1-5-97-254/81. दिनांक 29-9-95 द्वारा अम्बेदकर नगर जनपद बनाया गया था।

फैजाबाद जनपद के पुर्नगठन का फिलहाल कोई प्रस्ताव शासन में विचाराधीन नहीं है।

*3-श्री रघुवर दयाल वर्मा-

। पहले दुधवार में ता० प्र० सं० 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।

जनपद अलीगढ़ में अवैध रूप से चल रहे पशुवध शालाओं को बन्द कराने की मांग

*4-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जनपद में सरकार द्वारा स्वीकृत कितनी पशुवध शालायें हैं ? क्या यह सही है कि वहां अवैध रूप से पशुवधशालायें चलायी जा रही हैं ? यदि हां,तो क्या अवैध रूप से चलायी जाने वाली पशुवधशालाओं को बन्द कराने की कार्यवाही सरकार द्वारा की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

दुग्ध विकास एवं पशुधन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री सुन्दर सिंह बघेल)-

सूचना एकत्र की जा रही है।

गोवध कानून को कारगर ढंग से लागू किये जाने की मांग

*5-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पूर्ववर्ती भा० ज० पा० शासनकाल में गोवध पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जाने हेतु कोई प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को भेजा गया था ? यदि हां, तो प्रदेश सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुन्दर सिंह बघेल-

जी हां।

उ० प्र० गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1992 महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति हेतु दिनांक 29 मई, 1992 को सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया था। इस विधेयक पर भारत सरकार द्वारा कतिपय पृच्छायें की गई जिनका उत्तर समय-समय पर भारत सरकार को उपलब्ध करा दिया गया। अन्ततः भारत सरकार ने विधि एवं न्याय मंत्रालय के परामर्शानुसार मा० उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के परिपेक्ष्य में राज्य सरकार से समुचित एवं संतोषजनक स्पष्टीकरण उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की है। इस संबंध में विधिक परामर्श प्राप्त कर भारत सरकार को उत्तर भेजे जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

*6 श्री जगदम्बिका पाल–

| विभिन्न विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त |

कृषि विभाग द्वारा वर्ष 1996-1997 के बजट के उपयोग की जानकारी

*7–श्री सूर्य प्रताप शाही एवं श्री शिव प्रताप शुक्ल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1996-97 के मार्च माह में शासन द्वारा कितनी धनराशि की स्वीकृति कृषि विभाग को प्राप्त हुई ? उन्हें किन-किन कार्यक्रमों पर व्यय किया जाना था ? उक्त स्वीकृति के अनुसार निर्धारित कार्यक्रमों पर धन का व्यय न किये जाने के क्या कारण रहे ? क्या कोई धनराशि पी० एल० ए० में जमा की गयी ? यदि हां, तो धनराशि को पी० एल० ए० में जमा किये जाने के लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ? उनके नाम, पदनाम, तैनाती स्थान क्या है ? क्या उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)–

वित्तीय वर्ष 1996-97 में मार्च माह में शासन द्वारा कुल रु० 6493.93 लाख की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई जिसमें आयोजनेत्तर पक्ष में रु० 1871.22 लाख एवं आयोजनागत पक्ष में रु० 4622.71 लाख की धनराशि सम्मिलित है |

इन्हें आयोजनेत्तर पक्ष में अधिष्ठान व्यय की विभिन्न मदों में तथा खाद्यान्न बीज की लागत के भुगतान और मृदा परीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय किया जाना था जबकि आयोजनागत पक्ष में विभिन्न केन्द्र पुरोनिर्धारित योजनाओं, राज्य व जिला सेक्टर की योजनाओं–यथा गेहूं, दलहन, तिलहन, दलहन, भूमि संरक्षण से संबंधित विभिन्न योजनाओं, महिला प्रशिक्षण कार्यक्रम, कृषि यंत्रीकरण तथा नाबार्ड के वित्त पोषण से प्रारम्भ की गई वीहड़ सुधार व सड़क निर्माण की योजनाओं पर व्यय किया जाना था |

आयोजनेत्तर व आयोजनागत पक्ष में उक्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृति माह मार्च, 1997 में प्राप्त हुई जिसे उसी वर्ष व्यय किया जाना संभव नहीं था | अतः वित्त विभाग के निर्देशों के अनुपालन में इन्हें आगामी वित्तीय वर्ष में संदर्भित कार्यक्रमों पर व्यय करने हेतु कृषि निदेशक के पी० एल० ए० में रखा गया |

जी हां | आयोजनेत्तर पक्ष में रु० 36.75 लाख व आयोजनागत पक्ष में रु० 4167.00 लाख की धनराशि पी० एल० ए० में रखी गई |

कोई अधिकारी दोषी नहीं है क्योंकि प्रश्नगत धनराशि को वित्तीय स्वीकृति माह मार्च में प्रदान करते समय वित्त विभाग द्वारा इसे पी० एल० ए० में रखे जाने का निर्देश दिया गया था |

प्रश्न नहीं उठता |

अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–3 से वर्ग–2 में पदोन्नति की जानकारी

*8–श्री छोटे लाल–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–3 संवर्ग–2 में नियमित रूप से प्रोन्नति तथा अपर कृषि निदेशक (प्रशा०) उ० प्र० के आदेशांक ए० वी० (1) 4317/ दिनांक 16-12-89 द्वारा 30-6-77 से वर्ग–1 (विकास) में तदर्थ रूप से प्रोन्नत अनुसूचित जाति के सदस्य वर्ग–1 में विनियमित कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त

कर्मियों को वर्ग–1 में विनियमित कराकर उन्हें देय प्रोन्नति/प्रोन्नति वेतनमान दिलाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*9–श्री सरदार सिंह–

। दूसरे बुध में तारांकित प्रश्न संख्या–18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग के वेतनमान में लेखाकार की रखने की मांग

*10–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि जिला पंचायतों में केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग में वेतनमान 1400–2300 के अवर अभियन्ता को केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग में रखा गया है ? यदि हां, तो क्या इसी वेतनक्रम के लेखाकार को भी केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग में रखा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या रु० 1400–2400 के उच्च वेतनक्रम में आने वाले प्रशासनिक अधिकारी के पद को भी केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग में रखा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री बालेश्वर त्यागी)–

जी हां ।

जी नहीं ।

अवर अभियन्ता और लेखाकार की भर्ती की प्रक्रिया व सेवा शर्तें भिन्न-भिन्न है । अतः अवर अभियन्ता के साथ लेखाकार को केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग में सम्मिलित नहीं किया गया ।

जी नहीं ।

लेखाकार की भांति प्रशासनिक अधिकारी को भी केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग में सम्मिलित नहीं किया गया था किन्तु सम्प्रति लेखाकार और प्रशासनिक अधिकारी को केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग में रखे जाने पर विचार किया जा रहा है ।

जनपद मैनपुरी के जिलाधिकारी के अधीनस्थ कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को भरने की मांग

*11–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद मैनपुरी में जिलाधिकारी/कलेक्टर कार्यालय के अधीन विभिन्न कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कितने ? क्या यह सच है कि वर्ष 1996 में इन रिक्त पदों को भरने के लिये अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये थे और साक्षात्कार की तिथियां भी निश्चित की गई थी ? यदि हां, तो क्या उन रिक्तियों पर नियुक्तियां की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार मैनपुरी में उक्त रिक्त पदों को भरने के लिये कोई निर्देश निर्गत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पंचायती राज एक्ट के अन्तर्गत (73वें संशोधन के अनुसार) क्षेत्र पंचायतों को अधिकार दिये जाने की मांग

*12-श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचायती राज एक्ट के अन्तर्गत (73वें संशोधन के अनुसार) क्षेत्र पंचायतों को पूर्ण अधिकार मिलेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी-

73वें संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य में त्रिस्तरीय पंचायतों को अधिकार दिये जाने हेतु शासन द्वारा गठित बजाज आयोग तथा हाई पावर कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर प्रथम चरण में 16 विभागों द्वारा शासनादेश जारी किये जा चुके हैं ? शेष 16 विभागों द्वारा भी द्विस्तरीय पंचायतों को अधिकार दिये जाने के संबंध में शासनादेश यथाशीघ्र जारी किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ?

प्रश्न नहीं उठना ।

शासन द्वारा गठित अरविन्द वर्मा समिति की संस्तुतियों को लागू किये जाने की मांग

*13-डाक्टर अम्मार रिजवी श्री छोटे लाल गंगवार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा अक्टूबर, 1993 में गठित अरविन्द वर्मा समिति की कितनी संस्तुतियां, जनवरी, 1994 में तत्कालीन राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त प्राधिकृत समिति ने अप्रैल, 1994 में अपनी बैठक में पूर्ण रूप से स्वीकार कर ली थी ? उनमें से कितनी संस्तुतियों का क्रियान्वयन कर दिया गया है और कितनी स्वीकृत संस्तुतियों का क्रियान्वयन अभी तक नहीं किया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि लगभग 3 वर्ष के पश्चात् भी उक्त संस्तुतियों के क्रियान्वयन में विलम्ब क्यों हो रहा है ? अवशेष संस्तुतियों का क्रियान्वयन कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*14-श्री सुखपाल पाण्डेय-

(दूसरे सोम में तारांकित प्रश्न संख्या-19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित

अतारांकित प्रश्न

1-श्री शेर बहादुर सिंह तथा मस्त राम-

(अस्पष्टता के आधार पर निरस्त ।

डिग्री कालेज फतेहपुर तहसील बूढ़नपुर जनपद आजमगढ़ के स्टेडियम के निर्माण के भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायत एवं कार्यवाही की जानकारी

2-श्री शेर बहादुर सिंह तथा श्री मस्तराम-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 20-11-96 को श्री प्रियदर्शी जेतली पूर्व विधायक व श्री शेर बहादुर सिंह विधायक अम्बेडकर नगर के जनपद की आलापुर तहसील के संबंध में एक पत्र आवश्यक प्रमाण के साथ डिग्री कालेज फतेहपुर तहसील बूढ़नपुर जनपद आजमगढ़ में निर्माणाधीन ग्रामीण स्टेडियम में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में शासन को लिखा था ? यदि हां, तो संबंधित पत्र को सदन के पटल पर रखते हुए सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डे चन्द्र–

मा० सदस्य का पत्र दिनांक 20-11-96 युवा कल्याण विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद तहसील बीकापुर ग्राम–पूराउर्फ सुमेरपुर की निवासिनी स्व० रामराजी बेवा स्व० राम स्वरूप की पैतृक भूमि की अनियमित वरासत दर्ज करने का मामला एवं दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

3–श्री विश्वनाथ–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1995 के प्रथम गुरुवार, दिनांक 20-7-95 के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–28 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि मृतक रामराजी बेवा स्व० राम स्वरूप के विधिक वारिस (पुत्रियां) कौन-कौन हैं ? क्या भू-लेख निरीक्षक (एल० आर० आई०–1) ने दिनांक 20-12-88 को मृतक रामराजी के स्थान पर खाता सं०–485 एवं 488 पर वारिसान के नाम बतौर वारिस दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये थे ? यदि हां, तो उक्त आदेश के अनुपालन में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी दिनांक 30-12-90 को अपर तहसीलदार बीकापुर द्वारा पारित आदेश की प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मृतक रामराजी की दो पुत्रियां श्रीमती शिवनाथा देवी व श्रीमती ब्रम्हा देवी हैं।

जी हां।

भू-लेख निरीक्षक द्वारा प० क०–11 "क" के जरिये दि० 20-12-88 को मृतक रामराजी के स्थान पर खाता सं० 485 एवं 488 पर श्रीमती शिवनाथा देवी स्त्री राम भरोसे व श्रीमती ब्रम्हा देवी स्त्री रामनाथ (सगी) पुत्रियों के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान किया था जिसका अनुपालन क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा उसी दिनांक को ग्राम राजस्व अभिलेख (खतौनी) में कर दिया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

अपर तहसीलदार बीकापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-12-90 की प्रमाणित छायाप्रति कार्यालय में उपलब्ध है जो माननीय सदस्य महोदय को अलग से भेज दी जायेगी।

जनपद फैजाबाद की तहसील मिल्कीपुर के मृतक रामराजी की सम्पति पर नियमानुसार वारिसों का नाम दर्ज

4–श्री विश्वनाथ–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1995 के प्रथम गुरुवार, दिनांक 20-7-95 के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं०–28 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूलेख निरीक्षक मृतक रामराजी के स्थान पर विधिक वारिसान का नाम उसकी सम्पत्ति (खाता) पर दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करने के लिए प्राधिकृत/सक्षम थे ? यदि हां, तो उक्त आदेश के अनुपालन में अमल दरामद कितने दिनों के भीतर हो जानी चाहिए और उक्त आदेश की अमल दरामद करने न करने के लिए कौन-कौन राजस्व कर्मी उत्तरदायी है ? उक्त भूलेख-निरीक्षक ने उक्त आदेश किस प्राधिकार/अधिकार के तहत किया था ? दोषी भूलेख निरीक्षक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

भूलेख निरीक्षक अविवादित उत्तराधिकार के मामलों में मृतक खातेदार की सम्पत्ति (खाते) पर वारिसों का नाम दर्ज करने हेतु सक्षम हैं, परन्तु विवादित मामलों में विधिक वारिसान का निर्णय करने हेतु राजस्व न्यायालय ही सक्षम हैं।

अविवादित मामलों में भूलेख प्रपत्र प०क०–11 पर राजस्व निरीक्षक के आदेश तत्काल बाद अमलदरामद हो जानी चाहिए, परन्तु विवादित मामलों में राजस्व न्यायालय के आदेश के उपरान्त तहसील की नामान्तर दही में अमलदरामद के पश्चात् लेखपाल द्वारा अगली वेतन तिथि पर खतौनी में अमलदरामद की जाती है। मृतक रामराजी के मामले में राजस्व निरीक्षक ने प०क०–11 पर दिनांक 20-11-88 को आदेश पारित किया जिसकी अमलदरामद लेखपाल ने उसी दिन खतौनी में कर ली। अतः विलम्ब के लिए कोई दोषी नहीं है।

भूलेख निरीक्षक धारा–33–क भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत अविवादित मामलों में वरासत दर्ज करने हेतु अधिकृत है, अतः उनके द्वारा इसी अधिकार का प्रयोग करके अमलदरामद का आदेश दिया गया था।

भूलेख निरीक्षक द्वारा प्रथम दृष्टया मामला अविवादित समझकर प०क०–11 पर आदेश दिनांक 20-11-88 को पारित किया गया था, जबकि तहसीलदार, मिल्कीपुर के न्यायालय में एक वरासत के आधार पर दाखिल खारिज का वाद दिनांक 1-8-88 को ही दायर हो चुका था जिसकी उसे जानकारी नहीं थी। अतः संबंधित भूलेख निरीक्षक के विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं थी।

पांच वर्षीय बी० बी० एस० सी० एण्ड ए० एच० डिग्री कालेज प्राप्त पशुधन प्रसार अधिकारियों को पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति की मांग

5–श्री प्रभुनारायण सिंह यादव–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पशुपालन विभाग में कार्यरत जिन पशुधन प्रसार अधिकारियों ने पांच वर्षीय बी० बी० एस० सी० एण्ड ए० एच० डिग्री कालेज प्राप्त कर लिये हैं, उन्हें पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संबंध में अध्यक्ष, डिप्लोमा पशु चिकित्सा संघ, श्री वरिष्ठ नारायण सिंह ने दिनांक 3 अप्रैल, 97 को ज्ञापन दिया है ? यदि हां, तो क्या उस पर कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुन्दर सिंह बघेल–

जी नहीं। पशुचिकित्सा अधिकारी के पदों पर नियुक्ति उ० प्र० लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जाती है।

लोक सेवा आयोग द्वारा इनका चयन न होने के कारण श्री वरिष्ठ नारायण सिंह नहीं अपितु श्री वशिष्ठ नारायण सिंह का ज्ञापन दिनांक 3 अप्रैल, 1997 प्राप्त हुआ है।

उ० प्र० पशु चिकित्सा सेवा समूह "ख" सेवा नियमावली तैयार की जा रही है। उक्त नियमावली में कार्मिक विभाग के परामर्श से पांच वर्षीय बी० वी० एस०-सी० एण्ड ए० एच० डिग्री प्राप्त पशुधन प्रसार अधिकारियों को प्रोन्नति के माध्यम से पशुचिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु कोटा निर्धारित किये जाने का प्राविधान विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड पचपेड़वा में पचपेड़वा से मलदा व गनेशपुर से आदमतारा के सड़कों पर लेपन स्तर तक कार्य कराने की मांग

6–श्री बन्दू लाल–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड पचपेड़वा में सन् 1977-78 में पचपेड़वा से मलदा व गनेशपुर से आदमतारा क्रमशः दस किमी० व पांच किमी० मार्ग खड़न्जा स्तर तक मण्डीसमिति पचपेड़वा द्वारा बनाया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उसके बाद इसकी मरम्मत न होने के कारण दोनों मार्गों की दशा खराब हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन मार्गों का लेपन स्तर तक कार्य कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां ।

जी हां ।

मण्डी समिति से प्रस्ताव प्राप्त होने तथा वित्तीय संसाधनों के उपलब्ध होने पर ही लेपन स्तर तक का कार्य कराया जाना संभव होगा ।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड गैसड़ी व पचपेड़वा में राजस्व गांव होने से वंचित वन ग्रामों को राजस्व गांव घोषित करने की मांग

7–श्री बिन्दू लाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड गैसड़ी, पचपेड़वा में कितने ऐसे अनुसूचित जनजाति थारूओं के वनग्राम हैं, जो अभी तक राजस्व गांव घोषित नहीं किये गये हैं ? क्या राजस्व गांव न होने के कारण सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का पूरा लाभ उन ग्रामवासियों को नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन गांवों को राजस्व गांव घोषित करने का विचार करेगी ? क्या अन्य अनुसूचित जनजाति थारूओं के गांवों में योजनाओं का जो लाभ मिल रहा है उन वन ग्रामवासियों को भी दिलाने की व्यवस्था सरकार करेगी

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड गैसड़ी तथा पचपेड़वा में अनुसूचित जनजाति (थारू) के निम्न 5 वन ग्राम हैं, जो अभी तक राजस्व ग्राम घोषित नहीं हुए हैं :–

1–भुकुरूवा, विकास खण्ड पचपेड़वा

2–भुकुरूवाकला, विकास खण्ड पचपेड़वा

3–परबतिहा,, विकास खण्ड पचपेड़वा

4–(भवनियापुर)

5–नरिहवा, विकास खण्ड पचपेड़वा (कंचनपुर)

6–अकलधरवा, विकास खण्ड गैसड़ी

जी हां ।

वन विभाग की भूमि पर स्थित होने के कारण उपर्युक्त ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सेन्ट्रल डेरी फार्म, अलीगढ़ को शासन द्वारा प्राइवेट फर्म को दिये जाने के कारणों की जानकारी

8–यशपाल सिंह चौहान–

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेन्ट्रल डेरी फार्म, अलीगढ़ को शासन द्वारा किसी प्राइवेट फर्म को किराये पर दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब और किन कारणों से ?

श्री सुन्दर सिंह बघेल–

सेन्ट्रल डेरी फार्म, अलीगढ़ की मीट एवं दुग्ध इकाई को दिल्ली की एक निजी कम्पनी को 18 माह के प्रबन्धन हेतु दिया गया है ।

चूंकि सेन्ट्रल डेरी फार्म, अलीगढ़ को लगातार हानि के कारण निगम की कार्यशील पूंजी समाप्त हो गयी है । अतः निगम को और हानि से बचाने हेतु संस्था की डेरी एवं मीट फैक्ट्री (उत्पादन इकाई) में उत्पादन कार्य कलापों को बनाये रखने के उद्देश्य से दिल्ली की एक निजी कम्पनी को प्रबन्धन अनुबन्ध के अन्तर्गत दिनांक 16-12-96 से 18 माह के लिये संचालित व्यवस्था सौंपी गयी है ।

जनपद अलीगढ़ की तहसील सिकन्दराराऊ में ग्राम समाज की भूमि के पट्टे में अनियमितता की शिकायत

9–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत तहसील सिकन्दराराऊ में ग्राम सभाओं की कितनी आवंटन योग्य जमीन रिक्त है ? इस आवंटन योग्य जमीन में से मार्च, 1996 से अब तक कितनी जमीन का आवंटन विधिवत प्रक्रिया के अन्तर्गत किन-किन व्यक्तियों को किया गया ? उप जिलाधिकारी, सिकन्दराराऊ द्वारा दिनांक 20-3-97 को एक ही दिन में कितने पट्टे स्वीकृत किये गये हैं ? क्या उप जिलाधिकारी ने यह नियम विरुद्ध कार्य किया है ? यदि हां, तो उप जिलाधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विधान सभा क्षेत्र शिकन्दराराऊ जनपद अलीगढ़ में मंडी परिषद् द्वारा बनायी गयी सड़कों की टी० ए० सी० द्वारा जांच कराने की मांग

10–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिकन्दराराऊ विधान सभा क्षेत्र में मण्डी परिषद् सिकन्दराराऊ द्वारा बनायी गयी कच्ची सड़कों की टी० ए० सी० द्वारा जांच कराने हेतु प्रश्नकर्ता का प्रार्थना-पत्र शासन को मार्च 97 में मिला है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच के उपरान्त क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां ।

शिकायत कर्ता का पत्र दिनांक 9-1-97 मार्च, 97 में नहीं वरन जनवरी, 97 में प्राप्त हुआ है ।

प्रकरण की जांच उप निदेशक, (गुणता नियंत्रण) सेल, मण्डी परिषद् से करायी जा रही है । जांच आख्या अभी प्राप्त नही हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अपर निदेशक गोधन विकास द्वारा दवाओं और अन्य समानों की खरीद में गड़बड़ी की शिकायत

11-श्री राम तेज यादव-

क्या पशुधन मंत्री को जानकारी है कि मार्च, 1993 में विभिन्न दवाओं और वस्तुओं की खरीद के लिये पशुपालन विभाग के अपर निदेशक गोधन विकास ने 25 मार्च, 31 मार्च, 1993 तक किन-किन 25 फर्मों को आपूर्ति हेतु आदेश दिया था और उन्हीं तिथियों के अन्तर्गत किन-किन 25 फर्मों से सामान प्राप्त करने के लिये बिल प्राप्त किया ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है अपर निदेशक, संबंधित लेखाकार तथा प्रधान लिपिक द्वारा बिना सामान प्राप्त किये केवल 25 मार्च, से 31 मार्च, के बीच सम्पूर्ण भुगतान कार्यवाही पूरी कर ली गयी ? यदि हां, तो क्या सतर्कता विभाग से इसकी जांच कराकर जांच से सदन को अवगत करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुन्दर सिंह बघेल-

प्रश्नगत अवधि में अपर निदेशक गोधन विकास द्वारा न तो किसी फर्म को वस्तुओं/दवाएं आपूर्ति करने का आदेश दिया गया और न ही कोई बिल प्राप्त किया गया है।

प्रश्नगत अवधि में अपर निदेशक, गोधन एवं उनसे संबंधित कर्मचारियों द्वारा इस तरह का कोई भी भुगतान नहीं किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

निदेशक, पशु पालन विभाग के विरुद्ध चल रही जांचों की जानकारी

12-श्री राम तेज यादव-

क्या पशुधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि डा० ए० के० सिंह, अपर निदेशक पशुपालन विभाग के विरुद्ध कितनी जांचें चल रही हैं ? कौन-कौन प्रकरण ऐसे हैं जिनकी जांच रिपोर्ट शासन को मिल चुकी हैं ? जांच अधिकारी द्वारा आरोपित बिन्दु क्या हैं ? श्री सिंह के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुन्दर सिंह बघेल-

डा० ए० के० सिंह, सम्प्रति निदेशक, पशुपालन विभाग के पद पर कार्यरत हैं। अपर निदेशक के रूप में वर्तमान में इनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक जांच नहीं चल रही है।

पूर्व में अपर निदेशक (उत्तरांचल) के पद पर रहते हुये उनके विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा जांच की गई थी और उक्त जांच के परिणाम स्वरूप डा० सिंह को निन्दा प्रविष्टि प्रदान की गई थी।

जनपद बस्ती, कुम्हारी कला के लिए आवंटित भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत

13-श्री राम नक्षत्र-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजाराम पुत्र गंगा निवासी ग्राम त्रिलोकपुर तहसील हरैया जनपद बस्ती की त्रिलोकपुर ग्राम के गाटा सं०-274 एवं 90 की कुम्हारी कला हेतु पट्टे पर आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त जमीन पर अवैध रूप से किये जा रहे भवन निर्माण को सरकार रुकवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

तरवा ब्लाक जिला आजमगढ़ ग्राम चौकी गंजोर में स्थित पंचायत भवन पर अवैध कब्जा

14–श्री नरेन्द्र–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत तरवा ब्लाक में ग्राम चौकी गंजोर में पंचायत भवन पर किसी का अवैध कब्जा है ? यदि हां, तो उसे कब तक खाली कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कृषि निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के प्रश्नगत कर्मचारी के विरुद्ध मा० सदस्य के शिकायती-पत्र पर सेवा समाप्ति का मामला

15–श्री विश्वनाथ–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1997 के प्रथम गुरुवार दिनांक 24-4-97 के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–4 के उत्तर के संदर्भ में क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या संबंधित लेखाकार को सेवा से अनुपस्थित रहने का कोई नोटिस जारी किया गया था कि अमुक स्थान पर सेवा में उपस्थिति होकर योगदान करें और ऐसा न करने पर उसे अनुपस्थित माना जायेगा ? यदि हां, तो उस नोटिस को कब जारी किया गया और कौन सेवा समाप्ति की कार्यवाही की गयी है और कितने दिनों बाद सेवा समाप्ति की कार्यवाही की गयी ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां ।

प्रश्नगत नोटिस दिनांक 8 फरवरी, 1991 को जारी किया गया और दिनांक 26 दिसम्बर, 1992 को सेवा समाप्ति के आदेश निर्गत किये गये ।

जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड बलरामपुर के ग्राम खजोरिया में चकबन्दी कार्य में विलम्ब की शिकायत

16–श्री बिन्दू लाल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलरामपुर में विकास खण्ड बलरामपुर के ग्राम खेजोरिया में लगभग पिछले तीस वर्षों से चकबन्दी प्रक्रिया चल रही है ? यदि हां, तो इतने लम्बे समय तक धारा–52 का प्रकाशन न होने का क्या कारण है ? क्या सरकार शीघ्र ही धारा–52 का प्रकाशन का प्रयास करेगी जिससे कि लोक्याज कार्य शीघ्र पूरा कराया जा सके ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा–48 के अन्तर्गत उप संचालक चकबन्दी के न्यायालय में 98 निगरानिया निस्तारण हेतु लम्बित है जिनके न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत निस्तारणोपरान्त ग्राम में धारा–52 की कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी ।

गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोयडा के ग्राम हल्दौना के किसानों की जमीन के मुआवजे का मामला

17–श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद गौतमबुद्ध नगर के अन्तर्गत ग्रेटर नोयडा के ग्राम हल्दौना के किसानों की जमीन को सरकार ने एक वर्ष पूर्व अधिग्रहीत कर कब्जा कर लिया था ? यदि हां, तो क्या सरकार ने किसानों को प्रतिकर का भुगतान किया है ? यदि हां, तो कब और किस दर से ? यदि नहीं, तो क्यों ? किसानों को कब तक प्रतिकर का भुगतान करा दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां । प्रभावित किसानों को कब्जा हस्तान्तरण के पश्चात् अनुमोनित प्रतिकर की 80 प्रतिशत धनराशि का भुगतान रु० 50/–प्रति वर्गगज की दर से वर्ष 1995-96 में कर दिया गया है ।

अवशेष प्रतिकर धनराशि की मांग नोयडा विकास प्राधिकरण से की गई है, जिसके प्राप्त होने पर अवशेष प्रतिकर का भुगतान प्रभावित काश्तकारों को कर दिया जायेगा ।

विधान सभा क्षेत्र पुवायां जनपद शाहजहांपुर में विगत तीन वर्षों में पुवायां मण्डी समिति को निर्माण खण्ड शाहजहांपुर को उपलब्ध कराये गये धन की जानकारी

18–श्री चैतराम–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र पुवायां जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 1994 एवं 1995-96 में पुवायां मण्डी का कितना धन निर्माण खण्ड शाहजहांपुर को उपलब्ध कराया गया ? उनमें से कितनी धनराशि पुवायां मण्डी के अन्तर्गत विकास कार्यों पर खर्च की गयी एवं कितना धन निर्माण खण्ड शाहजहांपुर के पास अवशेष है ? क्या यह सच है कि पुवायां मंडी का धन अन्य मीडियों पर व्यय किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

पुवायां मण्डी समिति क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 में रु० 110.70 लाख तथा वर्ष 1995-96 में रु० 115.16 लाख की धनराशि निर्माण खण्ड शाहजहांपुर को उपलब्ध करायी गयी ।

पुवायां मण्डी क्षेत्र के निर्माण एवं विकास कार्यों पर संदर्भित वर्षों में रु० 163.88 लाख व्यय किया जा चुका है तथा रु० 61.98 लाख निर्माण खण्ड शाहजहांपुर के पास अवशेष है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के ग्राम व थाना मड़ियांव के निवासी छेदा पुत्र स्व० खन्ना की भूमि का फर्जी रजिस्ट्री का मामला

19–श्री राम नक्षत्र–

क्या राजस्व मंत्री की जानकारी में है कि जनपद लखनऊ के अन्तर्गत ग्राम व थाना मड़ियांव निवासी छेदा पुत्र स्व० खन्ना की भूमि नं०–453 रकबा बीघा की धोखाधड़ी करके फर्जी रजिस्ट्री दिनांक 28-5-96 को 9 लोगों द्वारा करा लेने की शिकायत की रिपोर्ट श्री छेदा ने दिनांक 31-10-96 को अपराध सं०–437/96 धारा–420, 467, 468, 471 के अन्तर्गत उक्त थाने पर दर्ज करायी है ? यदि हां, तो क्या उक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

20–श्री राम नक्षत्र–

। पहले मंगलवार में अतारांकित प्र० सं० 174 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

रामगंगा कमाण्ड परियोजना कानपुर में सृजित पदों में आरक्षण कोटा की स्थिति की जानकारी

21-श्री राम नक्षत्र-

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामगंगा कमाण्ड परियोजना कानपुर में 1989-90 में कुल कितने पद सृजित किये गये थे ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उसमें आरक्षित वर्ग का कोटा पूरा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राम प्रसाद चौधरी)-

कोई नये पद सृजित नहीं किये गये थे । पूर्व वर्षों की भांति ही समादेश में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के अस्थाई पदों की क्रमागत स्वीकृतियां नियमानुसार निर्गत की गयी थीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जनपद लखीमपुर में सीलिंग भूमि को पट्टाधारियों को कब्जा दिलाये जाने की जानकारी

22-श्री राम नक्षत्र-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर में कुल कितने निर्धनों को सीलिंग की भूमि का पट्टा किया गया है ? क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या पट्टाधारियों को कब्जा दिला दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

जनपद लखीमपुर में कुल 16.784 निर्धनों को सीलिंग भूमि का पट्टा किया गया है ।

16.784 पट्टाधारियों में से 663 पट्टाधारियों का माननीय अपीलीय/उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण कब्जा नहीं दिलाया जा सका है । शेष 16.121 को कब्जा दिला दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा मण्डल विकास निगम, आगरा द्वारा कस्बा कुसमरा तहसील भोगांव जनपद मैनपुरी की राइस प्लान्ट की नीलामी का मामला

23-श्री राम औतार शाक्य-

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री को जानकारी है कि आगरा मण्डल विकास निगम आगरा द्वारा कस्बा कुसमरा तहसील भोगांव जनपद मैनपुरी में स्थापित कई वर्षों से बन्द राइस प्लांट की नीलामी हेतु वर्ष 1992 में टेण्डर डाले गये थे ? यदि हां, तो टेण्डर डालने वालों ने कितनी-कितनी धनराशि जमा की थी और सबसे अधिक रेट का टेण्डर किसका था ? क्या यह सच है कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 15-3-96 को हुई नीलामी की कार्यवाही तत्काल पूर्ण करने के लिये सचिव, क्षेत्रीय विकास उ०प्र० शासन को पत्र दिया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी नहीं ।

प्रश्न नही उठता ।

जी हां ।

मण्डल, आगरा से अर्द्धशा० पत्र सख्या–एम–1–54–2–96 दिनांक 26-3-96 द्वारा परिसम्पत्ति का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण हेतु प्रबन्ध निदेशक को निर्देशित करने का अनुरोध किया गया । अपेक्षित मूल्य प्राप्त न होने के कारण विक्रय नहीं किया जा सका ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भूमि संरक्षण इकाई, लखनऊ शहर एवं ग्रामीण में तैनात अवर अभियन्ताओं को हटाने की मांग

24–श्री बनवारी लाल दोहरे–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि भूमि संरक्षण इकाई, लखनऊ (गोमती) एवं लखनऊ मैदानी में अवर अभियन्ता पद पर मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल शाखा के अवर अभियन्ताओं ने अवैधानिक रूप से अपनी नियुक्ति कृषि निदेशालय द्वारा करा रखी है ? क्या इन्हें यथाशीघ्र हटाकर कृषि स्नातक एवं सिविल डिप्लोमा अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कन्नौज को जिला बनाये जाने की मांग

25–श्री बनवारी लाल दोहरे–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कन्नौज को जिला बनाने का प्रकरण शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार कन्नौज को जिला बनाने की घोषणा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

कन्नौज को जिला बनाने के सम्बन्ध में कतिपय जनप्रतिनिधियों के अनुरोध प्राप्त हुए जिन पर राजस्व परिषद् की आख्या मांगी गयी है जो प्रतीक्षित है ।

सेवा निवृत्त लेखपाल श्री नजीरउद्दीन तहसील पट्टी, जिला प्रतापगढ़ के जी०पी०एफ० तथा सामूहिक बीमा को भुगतान का प्रकरण

26–श्री महराज सिंह यादव–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में लेखपाल पद से श्री लेखपाल पद से श्री नजीरउद्दीन वर्ष 1993 में सेवा निवृत्त हुए हैं परन्तु उनके जी० पी० एफ० तथा सामूहिक बीमा का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? अवशेष का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उप निदेशक मण्डी परिषद् आगरा द्वारा कथित फर्जी भुगतान के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

27–श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप निदेशक, मण्डी परिषद्, आगरा के विरुद्ध सांचौली देवी से राजस्थान सीमा पक्का मार्ग एवं छटीकरा से दलौटा पक्का मार्ग तहसील छाता के फर्जी भुगतान

के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा माह अप्रैल, 1997 में शिकायत की गई थी ? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई और उनके विरुद्ध जांचोपरान्त क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

प्रकरण की जांच उप निदेशक (निर्माण विशेष गुणत/नियंत्रण द्वारा करायी जा रही है। जांच आख्या अभी प्राप्त नही हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

फल मण्डी आगरा के वर्तमान वर्ष के टेण्डर में की गई अनियमितताओं के संबंध में प्रश्नकर्ता आदि के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

28–श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता एवं मा० बाबूलाल विधायक, आगरा द्वारा माह अप्रैल, 1997 में फल मण्डी आगरा के टेण्डर के संबंध में गम्भीर आरोपों से संबंधित शिकायत की गई थी ? यदि हां, तो शिकायत के तथ्य क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

प्रश्नकर्त्ता का नहीं, वरन् मा० बाबूलाल विधायक का पत्र प्राप्त हुआ।

श्री आर० एस० यादव उप निदेशक (नि०) आगरा द्वारा फल सब्जी मण्डी के थ्रम फेस के कार्य पूर्ण न होने से पूर्व II–फेस के निर्माण कार्य के टेण्डर पूल कराकर चहेते ठेकेदार से 6% एडवांस लेकर टेण्डर देने, तथा इस मद में लगभग 15 लाख का चूना लगाना मुख्य शिकायतें हैं।

प्रकरण में श्री यू०पी० सिंह, संयुक्त निदेशक (नि०) मुख्यालय से जांच करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उप जिला अधकारी तहसील फरेन्दा, जिला महराजगंज द्वारा ग्राम बरगाहपुर की भूमि का अनाधिकृत लोगों को पट्टा दिये जाने का मामला

29–श्री विनोद मणि–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज में फरेन्दा तहसील के ग्राम बरगाहपुर में उप जिलाधिकारी फरेन्दा द्वारा ग्राम समाज की बीसों लाख की सम्पत्ति 229 बी के तहत गलत कब्जा दिखा कर बिना प्रधान/ग्राम सभा को सूचना दिए स्कूल के मैनेजर के नाम एलाट कर दिया गया ? क्या इसकी जांच सरकार करायेगी कि इसी भूमि को मौके पर जाकर गरीबों में आवंटन करने हेतु उप जिलाधिकारी फरेन्दा ने प्रधान/गांव सभा को लिखित सूचना दी थी कि 13-5-97 को आवंटन की कार्यवाही की जाएगी ? फिर किन परिस्थितियों में 12-5-97 को ही उक्त भूमि का एलाटमेन्ट कर दिया गया जिससे गांव सभा की बीसो लाख रुपये की क्षति हुई है ? सरकार पुनः इस भूमि के गलत एलाटमेन्ट को निरस्त कर उसका गरीबों में आवंटन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है।

30–श्री विनोद मणि–

[पहले बुध में अता० प्र० सं० 174 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री श्याम सुन्दर पुत्र राज बहादुर, निवासीगण सराय तहसील सलोन जिला रायबरेली द्वारा श्री भगवान दयाल पुत्र प्रभू दयाल निवासी सराय तहसील सलोन जिला रायबरेली की भूमि को श्री श्याम सुन्दर पुत्र श्री भगवान दयाल द्वारा ग्राम प्रधान एवं लेखपाल की साजिश से अवैध रूप से अपने नाम कराने की शिकायत

31–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसीलदार–गौरीगंज सुल्तानपुर को सम्बोधित राम सरन सिंह पुत्र महादेव सिंह, राम रतन सिंह पुत्र महावीर सिंह, ग्राम बरोलिया का प्रार्थना पत्र तहसीलदार के पत्रांक 335 क्रम सं०–4 दिनांक 31-3-97 पर दर्ज है और जिसमें श्याम सुन्दर पुत्र राज बहादुर निवासीगण सराय, तह०–सलोन जिला–रायबरेली ग्राम जोधनपुर तह०–गौरीगंज सुल्तानपुर की भूमि श्री भगवान दयाल पुत्र प्रभू दयाल निवासी सराय तह०–सलोन जिला रायबरेली गाटा सं०–3 की भूमि को श्याम सुन्दर पुत्र भगवान दयाल ने ग्राम प्रधान व लेखपाल की साजिश से प-क 11 के आधार पर अपने नाम करा लेने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की यी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ रायबरेली के कर्मचारियों के वेतन से अवैध कटौती की शिकायत

32–श्री तेजभान सिंह–

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य कर्मचारी महासंघ, रायबरेली का पत्र जो आयुक्त एवं प्रशासक शारदा सहायक समादेश उ० प्र० को संबोधित था, श्री अशोक सिंह, सांसद रायबरेली के उपरिसंदर्भित पत्र के साथ दिनांक 8-4-97 का रजिस्टर्ड पत्र जिसमें कर्मचारियों से वेतन आदि में अवैध कटौती कर कर्मचारियों के उत्पीड़न करने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसकी जांच क्या किसी अधिकारी द्वारा करायी गई है ? यदि हां, तो जांच के बाद क्या कार्यवाही की यी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी–

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायती पत्र की जांच श्री शफीक अहमद, प्राविधिक अधिकारी, उन्नाव द्वारा की गयी है ।

जांच अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि शिकायत के सम्बन्ध में कोई अभिलेखीय साक्ष्य नहीं है और न ही उत्पीड़न की पुष्टि होती है । इस कारण उपराजस्व अधिकारी, के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कल्पनाथ त्रिपाठी तकनी अमीन (कृषि) के कार्य समय का बकाया वेतन एवं भुगतान की जानकारी

33–श्री तेजभान सिंह–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि अधिकारी, सुल्तानपुर का कृषि निदेशक उ०प्र० को संबोधित पत्रांक 2162 दिनांक 12-12-85 तथा 2396 दिनांक 14-1-94 व 739 दिनांक 9 अगस्त,

1995 जिसमें कल्पनाथ त्रिपाठी तकावी अमीन (कृषि) के कार्य समय का वेतन न दिए जाने तथा रिफण्ड आदि का भुगतान दिए जाने की अनुमति तथा आवश्यक राजाज्ञा मांग प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां ।

कृषि निदेशालय के पूर्ति अनुभाग के पत्रांक ए–886 दिनांक 23-6-94 द्वारा श्री त्रिपाठी के वेतन दिनांक 1-8-69 से 22-8-69 के वेतन मु० 136.25 का रिफण्ड वाउचर से भुगतान के आदेश दिये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 7-4-94 को जिलाधिकारी सुल्तानपुर को दिया गया पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

34–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को प्रश्नकर्ता द्वारा स्वयं दिनांक 7-4-94 को सुनील श्रीवास्तव, ग्राम सराय, रायबरेली का प्रार्थना-पत्र जिसमें जोधनपुर, तह०–गौरीगंज सुल्तानपुर स्थित भूमि पर सम्प्रदाय विशेष के लोगों द्वारा कब्जा कर मकान बनाने की शिकायत थी, जिस पर उप जिलाधिकारी को तुरन्त कार्यवाही के आदेश दिये हैं, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस भूमि का किस अधिकारी द्वारा सीमांकन हुआ ? क्या सीमांकन में अवैध कब्जा पाया या ? यदि हां, तो क्या उसे हटा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री सुनील श्रीवास्तव, ग्राम सराय रायबरेली का जोधनपुर तहसील गौरीगंज सुल्तानपुर की जमीन पर अवैध कब्जे के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र

35–श्री तेजभान सिंह–

क्या उपर्युक्त कब्जे की कार्यवाही एवं साम्प्रदायिक संघर्ष की आशंका विषयक श्री सुनील उपरोक्त का प्रार्थना-पत्र सहित थानाध्यक्ष जामो को दिनांक 6-4-97 को प्रश्नकर्ता के साथ दिया गया था ? यदि हां, तो क्या थानाध्यक्ष ने मौके पर न जाकर अवैध निर्माण को नहीं रोका है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कर सदन को अवगत कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

इन्दिरा नगर कालोनी लखनऊ के सेक्टर 8 ग्राम इस्माइलगंज तक खड़ंजा मार्ग न होने की शिकायत

36–श्री कौशल किशोर–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि इंदिरा नगर कालोनी लखनऊ के सेक्टर–8 से लेकर ग्राम इस्माइलगंज तक एक खड़ंजा मार्ग के पक्का न होने के कारण जनता को भीषण असुविधा का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या हजारों किसानों को अपनी कृषि उपज मंडियों/बाजारों तक लाने की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये इस मार्ग को पक्का कराने के आदेश उत्तर प्रदेश राज्य मण्डी परिषद् को दिये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

पूर्व से कोई सूचना नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत आने वाले मार्गों के निर्माण का दायित्व नगर निगम का है ।

सरकारी तथा गैर सरकारी जमीनों पर अनुसूचित जाति के मालिकाना का मामला

37–श्री कौशल किशोर–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि शासन द्वारा सरकारी तथा गैर सरकारी जमीनों पर आबाद ऐसे अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को, जो उस भूमि पर वर्ष 1995 तक आबाद रहे हैं, जमीन का मालिकाना हक देने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार समाज के गरीब वर्ग के लोगों और पिछड़े वर्ग के लोगों को भी लाभान्वित करने के सम्बन्ध में आदेश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

ऐसा मालिकाना हक 3 जून, 1995 तक स्थित कब्जों के सम्बन्ध में प्रदान कराया गया है ।

जी नही ।

अधिनियम में ऐसी व्यवस्था नहीं है ।

वर्तमान वर्ष में बाराबंकी में ओला वृष्टि से हुयी क्षति का विवरण एवं सहायता राशि देने की मांग

38–श्री हरदेव सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1997 में हुई ओलावृष्टि से बाराबंकी जनपद में किन-किन ब्लाकों में कितने-कितने ग्राम प्रभावित हुये हैं ? इस आपदा हेतु ब्लाक वार कितनी-कितनी सहायता राशि प्रभावित किसानों को दी गयी है ? यदि सहायता नही दी गयी है तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

दिनांक 3-4-97 को हुई ओलावृष्टि से जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड मसौली के 6 ग्राम, विकास खण्ड देवां के 16 ग्राम, विकास खण्ड रामनगर के 11 ग्राम तथा विकास खण्ड फतेहपुर के 2 ग्राम प्रभावित हुए थे ।

ओला प्रभावित विकास खण्डों के पात्र कृषकों में क्रमशः विकास खण्ड मसौली में रु० 5,83,800/–, देवां में 13,38,425/–, रामनगर में 8,75,665/- तथा विकास खण्ड फतेहपुर में 1,97,565/- की धनराशि पात्र व्यक्तियों में राहत सहायता के रूप में वितरित की गयी है । इस प्रकार सभी पात्र व्यक्तियों को राहत सहायता वितरित की जा चुकी है ।

उप निदेशक कृषि (प्रसार) उन्नाव के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन प्रत्येक माह विलम्ब से वितरित किये जाने की शिकायत

39–श्री बालचन्द्र मिश्र–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप कृषि निदेशक (प्रसार), उन्नाव कार्यालय में अधिकारियों/कर्मचारियों का मासिक वेतन माह सितम्बर, 1996 से आज तक किस-किस माह की किस-किस तारीख को आहरित करके भुगतान किया गया ? प्रत्येक माह विलम्ब से वेतन भुगतान किये जाने का क्या कारण है ? कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन का रेगुलर भुगतान किन कारणों से नहीं किया जा रहा है ? क्या राजपत्रित अधिकारियों के दैनिक उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर कराने का

प्राविधान कृषि विभाग ने कार्मिक विभाग के परामर्श से निर्धारित कर रखा है ? यदि हां, तो यह सभी जगह क्रियान्वित क्यों नहीं हो रहा है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

उक्त कार्यालय में दो योजनायें आच्छादित होती हैं दोनों योजनाओं के मासिक वेतन माह दिसम्बर, 96 से आज तक आहरण की तारीख निम्नवत् है :–

माह	प्रशिक्षण एवं सम्पर्क योजना	कृषि पूर्ति संगठन योजना
दिसम्बर, 96	01–01–97	03–01–97
जनवरी, 97	03–02–97	10–02–97
फरवरी, 97	01–03–97	21–3–97
मार्च, 97	21–4–97	21–04–97
अप्रैल, 97	01–5–97	01–5–97
मई, 97	31–05–97	31–05–97
जून, 97	01–07–97	कोषागार नियम 27 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

कृषि पूर्ति संगठन योजना में बजट की अनुपलब्धता के कारण प्रश्नगत भुगतान में उल्लिखित विलम्ब हुआ है ।

–तदैव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फैजाबाद शहर की गाटा संख्या 2544 की पैमाइश एवं सीमांकन के संबंध में मण्डलायुक्त फैजाबाद की रिपोर्ट की जानकारी

40–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि फैजाबाद जनपद के फैजाबाद शहर के गाटा संख्या 2544 की पैमाइश व सीमांकन मण्डलायुक्त, फैजाबाद के निर्देश पर तहसील के कर्मचारियों ने दिनांक 13–1–1996 तथा सिटी मैजिस्ट्रेट, फैजाबाद द्वारा दिनांक 28–6–1996 को कराया गया है ? यदि हां, तो दोनों पैमाइश रिपोर्टों का विवरण क्या है ? क्या पैमाइश रिपोर्ट के मुताबिक मौके पर सरहदम कायम कराया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ?

जनपद अम्बेडकर नगर की भीटी और कटेहरी के मिझौड़ा नाम की नई तहसील बनाये जाने के संबंध में सांसद श्री विनय कटियार के पत्र पर जानकारी

41–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अम्बेडकर नगर जनपद के भीटी और कटेहरी विकास खण्डों को मिलाकर मिझौड़ा में नई तहसील स्थापित करने के संबंध में सांसद विनय कटियार ने दिनांक 14-1-1997 तथा 22-4-1997 को सरकार को मांगपत्र दिया है ? यदि हां, तो सरकार मिझौड़ा में नई तहसील की स्थापना कब तक करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

उक्त नई तहसील बनाये जाने के संबंध में अध्यक्ष, राजस्व परिषद् उ० प्र० की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की आख्या एवं संस्तुति मांगी गई है जिसके प्राप्त होने पर तहसील के सृजन पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

42–श्री जय प्रकाश निषाद–

। तीसरे वुध में अता० प्र० सं० 174 के अंतर्गत स्थानांतरित।

43–श्री चन्द्र किशोर–

। पहले मंगल में अता० प्र० संख्या 173 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।

जनपद महराजगंज की तहसील फरेन्दा के ग्राम हरमन्दिल खुर्द में ग्राम समाज की जमीन के आवंटन में नियमों का पालन न करने की शिकायत

44–श्री विनोद मणि–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद महराजगंज में फरेन्दा तहसील के ग्राम हरमन्दिल खुर्द में गांव समाज की जमीन के आवंटन में पात्रता सूची किस आधार पर बनायी गयी है ? क्या गांव के सबसे दलित एवं गरीबों को आवंटन की भूमि दी गयी है ? क्या ग्राम समाज की भूमि का कृषि व आवास हेतु आवंटन बिना प्रधान/गांव सभा को सूचना दिये बगैर उप जिलाधिकारी/तहसीलदार मनमाने तरीके से किया है ? फरेन्दा तहसील में गत दो माह में कितने गांवों में जमीनों का आवंटन किया गया है ? क्या इन आवंटनों में नियमों का पालन किया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी तथा दोषी पाये गये अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है।

गोरखपुर में पच्चीस वर्ष पूर्व कतिपय बन्धों के निर्माणार्थ ली गई कृषि भूमि के मुआवजे की मांग

45–श्री विनोद मणि–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद में राप्ती नदी पर पचीस वर्ष पूर्व बने करमैनी पनघटिया एवं करमैनी बेलवली बन्धे में अधिग्रहीत की गई भूमि का मुआवजा आज तक हजारों किसानों को नहीं दिया गया है ? सरकार द्वारा किसानों को उनकी भूमि के मुआवजे का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

करमैनी व पनघटिया बांध में अधिग्रहीत की गई भूमि का मुआवजा अध्याप्ति निकाय, अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड, गोरखपुर से धन प्राप्त न होने के कारण कृषकों को वितरित नहीं किया गया है।

अध्याप्ति निकाय से धन प्राप्त होते ही प्रभावित किसानों को मुआवजे का वितरण कर दिया जायेगा।

जनपद सुल्तानपुर निवासी ग्राम कचनाव के श्री मंहगूदास तथा श्री सम्पत पुत्रगण स्व० गुरुचरन की उनकी पैत्रिक भूमि पर कब्जा दिलाये जाने की मांग

46–श्री चेतराम–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1995 के द्वितीय गुरुवार दिनांक 27–7–95 के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 5 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत मामले में जिलाधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा कराई गई विस्तृत जांच आख्या क्या है और उक्त जांच में कौन-कौन से लोग दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या संबंधित व्यक्तियों को अपनी पैतृक भूमि पर कब्जा दिला दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है।

आजमगढ़ जनपद में सामयिक संग्रह अमीन व चपरासी के स्थायीकरण की मांग

47–श्री राम प्यारे–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में सामयिक संग्रह अमीन व चपरासी कितने सूचीबद्ध है तथा भविष्य में स्थायीकरण हेतु सरकार की योजना क्या है ? विगत दो वर्षों या इससे पूर्व से कार्यरत सगड़ी के कर्मचारियों में कितने हटाये गये व कितने नये रखे गये ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है।

मंडी परिषद् एवं एग्रो द्वारा लगाये जाने वाले हैण्ड पम्पों के मरम्मत की योजना की जानकारी

48–श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डी परिषद् एवं एग्रो द्वारा लगाये जाने वाले इंडिया मार्क–2 हैण्ड पम्प के खराब होने के बाद मरम्मत की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

मण्डी परिषद् स्तर से स्थापित किये जाने वाले हैण्ड पम्प के खराब होने पर उसकी मरम्मत के लिये प्रति हैण्ड पम्प की मरम्मत पर वार्षिक रूप से अधिकतम रु० 200/– संबंधित मण्डी समिति द्वारा व्यय किया जायेगा। उ० प्र० एग्रो द्वारा स्थापित किये जाने वाले हैण्ड पम्प के संबंध में व्यवस्था है कि एक वर्ष तक रख-रखाव मुफ्त किया जायेगा तथा अगले दो वर्षों में रख-रखाव रु० 300/– प्रति हैण्ड पम्प किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता ।

मण्डी परिषद् द्वारा छाता पैगाव कराहरी पीगरी पक्का मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण कराने की मांग

49–श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि पूल फण्ड से स्वीकृत मण्डी परिषद् द्वारा बनाये जाने वाले छाता-पैगाव एवं कराहरी, पीगरी पक्का मार्ग दो साल से अधूरा पड़ा है ? यदि हां, तो उसे पूरा न करने के क्या कारण है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां ।

उल्लिखित सम्पर्क मार्ग का निर्माण धनाभाव के कारण बाधित है ।

जनपद महोबा में जिला परिषद् द्वारा बैरियर लगाकर अवैध वसूली शिकायतें

50–श्री अरिमर्दन सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महोबा में जिला परिषद् द्वारा रोड बैरियर लगाकर अवैध वसूली की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे तत्काल रोकने हेतु कार्यवाही करेगी ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के अधिकारों की जानकारी

51–श्री अरिमर्दन सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को क्या-क्या अधिकार प्राप्त है ?, क्या उन्हें निकट भविष्य में पंचायत राज एक्ट के अनुसार अधिकार प्रदान करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

क्षेत्र पंचायतों के समस्त अधिकार और कृत्य सामूहिक रूप से क्षेत्र पंचायतों में ही निहित हैं । क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को अलग से कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । 73 वे संविधान संशोधन के परिपेक्ष्य में त्रिस्तरीय पंचायतों (जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम पंचायत) को अधिकार दिये जाने हेतु शासन द्वारा गठित बजाज आयोग तथा हाई पावर कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर 16 विभागों द्वारा शासनादेश जारी किये जा चुके हैं । शेष विभागों के शासनादेश जारी किये जा रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर के कतिपय गांव के किसानों को जोत बही न मिलने की शिकायत

52–श्री अरूण प्रताप सिंह–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा गौरा वि० खण्ड बदलापुर जनपद जौनपुर के ग्राम भेलूपुर में किन-किन किसानों की किसान जोत बही अभी तक नही बन पायी हैं ? उनके नाम क्या है ? उन किसानों को कब तक जोत बही उपलब्ध करा दी जायेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रश्नकर्त्ता के जिलाधिकारी सुल्तानपुर को सम्बोधित पत्र दिनांक 29-4-95 के बारे में कृत कार्यवाही की जानकारी

53–श्री तेजभान सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दि० 29-4-95 जो श्री राम सरन पुत्र गुरू नि० ग्राम दाखिनगांव हारीमऊ, सुल्तानपुर को बीमा सम्बन्धी पशु दावा दिलाने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नही, तो क्यों ? उक्त रामसरन की कितनी बकरियां मरी थीं ?

श्री सुन्दर सिंह बघेल–

जी हां ।

श्री रामसरन की एक मृत बकरी का शव विच्छेदन पशु चिकित्साधिकारी जगदीशपुर, सुल्तानपुर द्वारा दिनांक 9-12-93 को किया गया था । जिसके बीमा का दावा का भुगतान बीमा कम्पनी ने चे०सं०–0033256, दि० 31-7-95 से मु० 600.00 रु० का कर दिया था ।

पुनः दिनांक 12-8-95 को लाभार्थी द्वारा 8 बकरियों के मरने की सूचना दी गयी पशु चिकित्साधिकारी, जगदीशपुर, सुल्तानपुर द्वारा उसी तिथि को उनका शव विच्छेदन कर दिया गया था । उनका क्लेम फार्म पूर्ण कराकर कर्ण छल्ला बीमा कम्पनी को दिनांक 30-8-95 को जमा करा दिया गया था ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

कुल नौ ।

ग्राम सभा भटपुर विकास खण्ड भरावन जनपद हरदोई के प्रधान द्वारा दलितों को बनाये गये भवनों को सवर्णों को आवंटन की शिकायत

54–श्री बनवारी लाल दोहरे–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा भटपुर, विकास खण्ड भरावन जनपद हरदोई के प्रधान ने दलितों के लिये निर्मित इंदिरा आवास सवर्णों (अपात्र व्यक्तियों) के नाम आवंटित करा दिये हैं जब कि यह ग्राम पंचायत दलित आबादी बाहुल्य और शासन द्वारा अम्बेडकर ग्राम भी घोषित हो चुका है ? क्या इस अनियमित कार्य के लिये प्रधान को दंडित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त आवासों का आवंटन निरस्त कराकर उन्हें पात्र व्यक्तियों को आवंटित किया जायेगा ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रश्नकर्ता का नायब तहसीलदार पटियाली जिला एटा के विरुद्ध शिकायती पत्र

55–श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का 1 मार्च, 1997 का जिलाधिकारी, एटा को सम्बोधित पत्र जो नायब तहसीलदार (पटियाली) के विरुद्ध ग्राम गड़िया सनोट में गंगासिंह की भूमि को

गलत ढंग से दाखिल खारिज करने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो क्या उसकी जांच करायी गयी ? जांच निष्कर्ष क्या है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

प्रश्न नही उठता ।

श्यामदेउरवा विधान सभा क्षेत्र महराजगंज के परतावल बाजार को तहसील मुख्यालय बनाये जाने की मांग

56–श्री ज्ञानेन्द्र सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि श्यामदेउरवा विधान सभा क्षेत्र जनपद महराजगंज का अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है ? क्या यह सही है कि श्यामदेउरवा के अन्तर्गत परतावल बाजार तहसील मुख्यालय हेतु विगत कई वर्षों से प्रस्तावित है तथा तहसील मुख्यालय की सारी औपचारिकतायें पूर्ण हैं ? यदि हां, तो परतावल बाजार को तहसील मुख्यालय कब तक घोषित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

महराजगंज जनपद में परतावल बाजार को तहसील बनाये जाने के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा भेजे गये प्रस्ताव पर अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, उ० प्र० की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति की संस्तुति प्रतीक्षित है ।

57–श्री ज्ञानेन्द्र सिंह–

। पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।

गोण्डा जनपद में विकास खण्ड उतरौला, श्रीदत्तगंज, गैड़ासबुजुर्ग में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा कराये गये कार्यों के विवरण की जानकारी

58–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड उतरौला, श्रीदत्तगंज, गैड़ासबुजुर्ग में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा वर्ष 1995-96 व 1996-97 में कितनी धनराशि किन-किन कार्यों हेतु आवंटित की गयी थी तथा उससे क्या-क्या कार्य कराये गये ? क्या सरकार कार्यों का निरीक्षण करवाकर मानक के अनुसार कार्य न कराये जाने पर संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

भूमि संरक्षण स्वयं में कोई विभाग नहीं है वरन् यह कृषि विभाग का एक अंग/अनुभाग है । जनपद गोण्डा के मात्र एक ही विकास खण्ड गैड़ास बुजुर्ग में कृषि विभाग की भूमि संरक्षण इकाई राष्ट्रीय जलागम बलरामपुर द्वारा कार्य कराया गया जिसमें धनावंटन एवं कराये गये कार्यों का वर्षवार विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	योजना का नाम	अवमुक्त धनराशि	कराये गये कार्य
95-96	सु० रो० योजना	17.20	समोच्चरेखीय बांध/मार्जिनल बांध
96-97	,,	21.78	पैरोफेरल बांध चकरोड एवं जल निकास कार्य ।

समस्त कार्य अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार मानक के अनुरूप कराये गये हैं । कार्यों का निरीक्षण समय-समय पर हुआ है । कार्य मानक के अनुरूप पाये गये हैं । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

शेष दो विकास खण्ड उतरौला एवं श्री दत्तगंज में कृषि विभाग द्वारा भूमि संरक्षण का कोई कार्य नहीं कराया गया ।

वर्ष 1987 में गोण्डा जनपद के राजस्व विभाग में चतुर्थ श्रेणी के चयनित को सेवा में न लिए जाने की शिकायत

59–श्री राम विशुन आजाद–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोण्डा में राजस्व विभाग में चतुर्थ श्रेणी पद हेतु वर्ष 1987 में 24 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था एवं सभी लोगों ने 17-8-87 से सेवा कार्य आरम्भ कर दिया था जिसमें से कुछ लोग सेवा कार्य कर रहे हैं और शेष लोगों की नियुक्ति किन्हीं कारणोंवश नहीं हो पायी थी ? यदि हां, तो नियुक्ति न करने का क्या कारण है ? क्या इसकी विजिलेंस जांच हुई थी जिसकी रिपोर्ट वर्ष 1993 में उ० प्र० शासन को प्रेषित की गयी है ? क्या सरकार शेष चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां । वर्ष 1987 में जनपद गोण्डा में राजस्व विभाग में चतुर्थ श्रेणी के 24 रिक्त पदों हेतु चयन किया गया था । उक्त में से 10 अभ्यर्थी जो चयन प्रक्रिया पूर्व से ही कार्यरत थे । वे कार्य कर रहे हैं । शेष अभ्यर्थियों की नियुक्ति किसी रिक्त पद विशेष पर नहीं की गई थी ।

मा० उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर होने व सतर्कता अधिष्ठान की जांच प्रारम्भ हो जाने के कारण नियुक्ति नहीं की जा सकी ।

जी हां । विजिलेंस जांच हुई थी । कोई अनियमितता नही पाई गई ।

मा० उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका खारिज हो जाने के उपरान्त वादियों द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर की गई है । विशेष अनुज्ञा याचिका मा० उच्चतम न्यायालय में लम्बित है ।

विकास खण्ड, मनकापुर के ग्राम सभा अम्बरपुर, जिला गोण्डा में 156 एकड़ भूमि का अवैध पट्टा किये जाने के सम्बन्ध में की गयी शिकायत

60–श्री राम विशुन आजाद–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड, मनकापुर के ग्राम सभा अम्बरपुर में 156 एकड़ सीलिंग भूमि का पट्टा दिनांक 4-5-95 और 10-10-95 को उपजिलाधिकारी, मनकापुर द्वारा कतिपय व्यक्तियों को किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि पात्र व्यक्तियों को पट्टा न देकर अपात्र व्यक्तियों को पट्टा दिया गया है ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या पूर्व विधायक श्री छेदी लाल एवं ग्राम प्रधान द्वारा 17-7-95 को हुये अवैध पट्टों के संबंध में जिलाधिकारी, गोण्डा को अवगत कराया गया था और जिलाधिकारी गोण्डा ने अपने पत्रांक सं० 2325/17-7-95/जांच 95 द्वारा जांच करने एवं निरस्त करने और पात्र व्यक्तियों को पट्टा देने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो अब तक कार्यवाही क्यों नही की गयी ? क्या सरकार संबंधित लेखपाल, कानूनगो और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

तहसील मनकापुर जनपद गोण्डा में विगत वर्ष राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना में फर्जी रिपोर्ट के आधार पर लाभ पहुंचाने की शिकायत

61–श्री राम विशुन आजाद–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि तहसील मनकापुर, जनपद गोण्डा में वर्ष 1996-97 में राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना में फर्जी तरीके से एक ही राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट पर कानूनगो क्षेत्र गौरा और मनकापुर के मृतक परिवार के लोगों को सहायता दी गयी है ? यदि हां, तो क्या पात्र लोगों को ही सहायता उपलब्ध करायी गयी है, यदि हां, तो उसका विवरण क्या है, सरकार को यह भी जानकारी है कि खण्ड विकास अधिकारी, मनकापुर द्वारा इस प्रकरण की जांच आख्या पत्रांक सं० 615/जांच आख्या /96-97 दिनांक 11-7-96 को शासन को दी गयी है ? यदि हां, तो अब तक संबंधित दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

62–श्री रामहर्ष सिंह–

[पहले सोम में अता०प्र०सं० 79 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

जिला कृषि अधिकारी, गोरखपुर द्वारा जनपद में अरबों रुपये की अमानक उर्वरक बिक्री कर कृषि उत्पादन को प्रभावित करने की शिकायत पर कृत कार्यवाही

63–श्री चन्द्र किशोर–

क्या कृषि मत्री को जानकारी है कि जिला कृषि अधिकारी, गोरखपुर द्वारा जनपद में अरबों रुपये की अमानक उर्वरक बिक्रीकर कृषि उत्पादन को प्रभावित करते हुये राष्ट्रीय क्षति किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक क 437322 दिनांक 23-4-97 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस अनियमितता पर सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं, इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–437332 दिनांक 18-4-97 प्राप्त हुआ है ।

प्राप्त शिकायतों की जांच करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण महाराजगंज की भूमि संरक्षण विभाग द्वारा आवंटित वन में स्थानीय विधायक की सहमति न लेने की शिकायत

64–श्री चन्द्र किशोर–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महाराजगंज के अन्तर्गत भूमि संरक्षण विभाग की वर्ष 95–96 एवं 96–97 में जो बजट जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, महाराजगंज को आवंटित किया गया ? उसमें क्षेत्रीय विधायक की संस्तुति प्राप्त की गई है ? यदि नहीं, तो क्यो ? क्या भूमि संरक्षण विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्यों की उचित गुणवत्ता परीक्षण हेतु किसी समिति का गठन किया गया

है ? जिसमें विधान सभा क्षेत्रवार विधायक की भागीदारी सुनिश्चित करायी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं ।

वर्ष 95–96 में भूमि संरक्षण इकाई, महाराजगंज को जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा रु० 78.037 लाख का बजट अवमुक्त किया गया था । वर्ष 95–96 में विधान सभा भंग कर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, जिसके कारण विधान सभा सदस्य की संस्तुति प्राप्त करने का अवसर नहीं था । वर्ष 96–97 में कोई भी धनराशि ग्राम्य विकास अभिकरण, महाराजगंज द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई ।

जी नहीं ।

विभाग द्वारा कराये गये कार्यों की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु किसी विशिष्ट समिति का गठन नहीं किया गया है बल्कि विभिन्न स्तर के विभागीय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर सम्प्रेक्षण/जांच/निरीक्षण एवं सत्यापन किया जाता है । इसके अतिरिक्त कृषि निदेशालय, उ० प्र०, कृषि भवन, लखनऊ के स्तर पर स्थापित प्राविधिक सम्प्रेक्षण प्रकोष्ठ की टीम द्वारा समय-समय पर भूमि संरक्षण कार्यों की जांच कराई जाती है तथा आवश्यकतानुसार अनियमितता पाई जाने पर उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है ।

श्री रामाराम पुत्र श्री गाजी, ग्राम-कन्वाना थाना कोतवाली रायबरेली को उनके पट्टे के तालाब की मछली पकड़ने में स्थानीय पुलिस द्वारा हस्तक्षेप की शिकायत

65–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी रायबरेली को सम्बोधित तथा पुलिस अधीक्षक, रायबरेली को पृष्ठांकित श्री राजाराम पुत्र श्री गाजी ग्राम कन्वाना, थाना कोतवाली जनपद रायबरेली का दिनांक 10–4–97 का रजि० प्रार्थना-पत्र जिसमें अपने पट्टे के तालाब की मछली स्थानीय पुलिस द्वारा न पकड़ने देने की शिकायत है प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी ने की है ? क्या इस संबंध में कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

कस्बा जायस में एक तालाब जो बरगदही तालाब के नाम से जाना जाता है, जिसका नम्बर 5707. रकबा करीबन 6 बीघा है का पट्टा मछली पालन हेतु राजाराम पुत्र श्री गाजी निवासी कन्वाना ने अपने नाम से कराया था जिसके द्वारा मछली पाली गई तथा बराबर इसके द्वारा मछली मारने का प्रयास किया जाता रहा । यह तालाब धार्मिक भावना से जुड़ा है, जहां हर साल दशहरा मेला लगता है तथा मूर्तियां विसर्जित होती हैं इस अधार पर दूसरे पक्ष के राधेश्याम पाण्डेय आदि ने मछली मारने का विरोध किया है तथा इस संबंध में मामला न्यायालय में विचाराधीन है ।

ग्राम पंचायत गौरा, विकास खण्ड व तहसील बदलापुर, जिला जौनपुर की आबादी की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत

66–श्री अरुण प्रताप सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम पंचायत गौरा, वि० ख० तथा तहसील बदलापुर, जनपद जौनपुर में गाटा सं० 131 में 25 डिस्मल एवं 143 में 21 डिस्मल जो सार्वजनिक आबादी है, पर किन-किन लोगों का अवैध कब्जा है ? क्या उस जमीन पर अवैध निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो सरकार उस अवैध कब्जे को हटाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम पंचायत गौरा, विकास खण्ड तथा तहसील बदलापुर, जनपद जौनपुर के गाटा सं०–131/0-25 डि० एवं 143/0-21 डि० चकबन्दी प्रक्रिया के दौरान सार्वजनिक आबादी हेतु दिनांक 27-11-83 को छोड़ी गयी है, परन्तु चक का समायोजन करते समय आराजी नम्बर 143 का 0-07 डि० रकबा दिनांक 13-5-86 को चक में प्रविष्ट कर दिया गया है । इस प्रकार 143 का केवल 0–14-डि० रकबा सार्वजनिक आबादी हेतु सुरक्षित है । ग्राम नदी के चपेट में होने के कारण बाढ़ व बरसात से बचने के लिये आराजी नम्बर 131/0-25 में 21 व्यक्ति तथा आराजी नं० 143/0-14 में 3 व्यक्ति अपनी-अपनी झोपड़ी व खूंटा गाड़ कर जानवरों को बांधते व चारा खिलाते हैं । यह ग्राम अभी भी चकबन्दी प्रक्रिया की धारा 48 के अन्तर्गत है । धारा 52 के प्रकाशन के पश्चात् ही वास्तविक सार्वजनिक आबादी के क्षेत्रफल का आंकलन किया जा सकता है ।

ग्राम पंचायत गौरा, विकास खण्ड एवं तहसील बदलापुर, जनपद मिर्जापुर में प्राइमरी पाठशाला जोखापुर गजेन्द्रपुर के नाम आवंटित जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत

67–श्री अरुण प्रताप सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत गौरा, वि० खं० बदलापुर, जनपद जौनपुर में प्राइमरी पाठशाला जोखापुर, गजेन्द्रपुर के नाम आवंटित गाटा संख्या 503, 503/1 एवं 495 में कुल 50 डिस्मल जमीन किसी और के कब्जे में है ? यदि नहीं, तो इस जमीन के कृषि कार्य से कितनी धनराशि प्राप्त होती है ? क्या उसका उपयोग उस पाठशाला के लिये हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि उक्त जमीन किसी अन्य के अवैध कब्जे में है ? उसको खाली कराने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम पंचायत गौरा, विकास खण्ड व तहसील बदलापुर, जनपद जौनपुर के गाटा सं० 503/1/0-05, 503/3/0-34 व 495/0-11 डि० कुल 0-50 डि० क्षेत्रफल चकबन्दी प्रक्रिया के दौरान प्रा० स्कूल फार्म के नाम सुरक्षित है । इस पर स्कूल का कब्जा है, जिसे वहां के प्रधानाध्यापक ने श्री रामफेर पुत्र बरखू को कृषि कार्य हेतु दे दिया है, जिसके निमित्त श्री रामफेर प्रधानाध्यापक को 300/- प्रति वर्ष देते रहे हैं । प्रधानाध्यापक श्री सन्त प्रसाद सिंह को निलम्बित कर दिया गया है और अब इस भूमि पर किसी का अवैध कब्जा नहीं है ।

श्रीमती तुलसा देवी पत्नी स्व० लोदी सिंह ग्राम अमिलिया, पो० रवनियां, तहसील कादीपुर, जनपद सुल्तानपुर की जमीन का फर्जी अमलदरामद की शिकायत

68–श्री अरुण प्रताप सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती तुलसा देवी पत्नी स्व० लोदी सिंह ग्राम अमिलिया,पोस्ट रवनियां, तहसील कादीपुर, जनपद सुल्तानपुर की जमीन खाता नं० 141 को श्री बजरंगी

सिंह पुत्र श्री झूरी सिंह जनपद सुल्तानपुर ने फर्जी रूप से अपने नाम अमलदरामद करा लिया है ? यदि हां, तो क्या इस फर्जी अमलदरामद के बारे में श्रीमती तुलसा देवी ने कोई प्रार्थना पत्र उप संचालक चकबंदी सुल्तानपुर को माह सितम्बर, 96 को दिया था ? यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की है ? क्या मंत्री जी इस प्रकरण की जांच किसी विशेष सेल से कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम पंचायत गौरा, विकास खण्ड बदलापुर, तहसील बदलापुर, जनपद जौनपुर के भेलूपुर में चक संख्या 22 के फर्जी शिकमी का मामला

69–श्री अरुण प्रताप सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम पंचायत गौरा, वि० खण्ड बदलापुर, तहसील बदलापुर, जनपद जौनपुर के ग्राम भेलूपुर में चक संख्या 22 जो कृपा शंकर सिंह पुत्र गजाधर के नाम था, को वर्ष 88/89 में आराजी नम्बर 136, 135 एवं 55 डिसमल पर फर्जी शिकमी की नकल बनवाकर किसी अन्य का अवैध कब्जा दिखाया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त सिकमी दर्ज करने हेतु किसी सक्षम न्यायालय का आदेश हुआ था ? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि फसली सन् 34, 56, 59, 62 में कहीं भी श्री हनीफ का नाम इन्द्राज नहीं है ? यदि हां, तो इसके लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर की ग्राम सभा खन्दवा निवासी विजय बहादुर सिंह पुत्र श्री गनेश सिंह के नाम ग्राम समाज की तैंतीस एकड़ भूमि का फर्जी पट्टा कराये जाने की शिकायत

70–श्री पारसनाथ यादव–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत ग्राम सभा खन्दवा निवासी विजय बहादुर सिंह पुत्र श्री गनेश सिंह के नाम से ग्राम समाज की 33 एकड़ भूमि फर्जी तौर पर पट्टा करा लिया गया है ? क्या उक्त भूमि पर दलित परिवार के लोग काबिज हैं, जिन्हें डराया धमकाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार बेदखल करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम सभा परगना सिकन्दरपुर गर्वी, तहसील बेल्थरा रोड जनपद बलिया की ग्राम समाज की 32.46 एकड़ भूमि बक चकबन्दी अधिकारी, सदर, बलिया द्वारा वाद संख्या 269 ग्राम सभा बनाम बिजय बहादुर, अन्तर्गत धारा 108 जो च०अ० में पारित आदेश दिनांक 24-3-93 द्वारा विजय बहादुर पुत्र गणेश व गणेश पुत्र लछमन निवासी नरही हाल मुकाम खन्दवा के नाम अंकित किया गया है जिसको निरस्त कराने हेतु बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) बलिया के न्यायालय में ग्राम सभा की ओर से अपील दाखिल की गयी है जो अभी न्यायालय के विचाराधीन है . उक्त भूमि 18 व्यक्तियों को कृषि प्रयोजन हेतु आवंटित की जा चुकी है जिस पर आवंटियों का कब्जा नहीं है दौरान मुकदमा बेदखली की

कार्यवाही अथवा पट्टेदारों को कब्जा दिलाने की कार्यवाही नहीं की जा रही है वाद के निस्तारण के उपरान्त ही आदेश के अनुरूप अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी ?

कृषि सेवा श्रेणी दो के विकास शाखा के पदों पर वरिष्ठता सूची की जानकारी

71–श्री छोटे लाल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि सेवा श्रेणी–2 विकास शाखा के पदों यथा जिला कृषि अधिकारी/भूमि संरक्षण अधिकारी/तहसील स्तरीय उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी पर पद स्थापना के संबंध में वरिष्ठता सम्बन्धी कोई विभागीय मापदण्ड निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या उनका अनुपालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्या पदस्थापना के संबंध में कोई नीति निर्धारित की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

कृषि सेवा वर्ग–2 विकास शाखा के जिला कृषि अधिकारी एवं भूमि संरक्षण अधिकारी के पदों पर परिवीक्षा काल पूरा हुए ही नियुक्ति किये जाने की शिकायत

72–श्री छोटे लाल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि सेवा श्रेणी–2 विकास शाखा के जिला कृषि अधिकारी एवं भूमि संरक्षण अधिकारी के पदों पर परिवीक्षा काल पूरा न करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो उनका विवरण क्या है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि अनेक जनपदों में वरिष्ठतम अधिकारियों को तहसील स्तरीय अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है और उनसे कनिष्ठ अधिकारी/जिला कृषि अधिकारी एवं भूमि संरक्षण अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जिला कृषि अधिकारी/भूमि संरक्षण अधिकारी के पद पर बिना प्रोबेशन पूरा किये नियुक्त अधिकारियों में कितने अनुसूचित जाति के अधिकारी तथा कितने सामान्य जाति के अधिकारी हैं ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां ।

सर्वश्री तेज प्रताप शाही, जिला कृषि अधिकारी, रायबरेली, छेदी लाल यादव, जिला कृषि अधिकारी, फर्रुखाबाद, रामवीर कटारा, जिला कृषि अधिकारी, सीतापुर, गंगादीन, जिला कृषि अधिकारी, महराजगंज, जगदीश नारायन, भूमि संरक्षण अधिकारी (रा० जला०), महोबा, बालक दास, भूमि संरक्षण अधिकारी, झांसी को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूरा करने से पहले तैनात किया गया है।

वरिष्ठता के आधार पर पदों का वर्गीकरण नहीं है । श्रेणी–2 के अधिकारियों को श्रेणी–2 के विभिन्न समकक्ष पदों पर परस्पर स्थानान्तरित किया जाता है ।

तीन सामान्य जाति के तथा तीन अनुसूचित जाति के अधिकारी हैं ।

अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–2 (विकास) की प्रोन्नति/सीधी भर्ती की मिली जुली ज्येष्ठता सूची बनाये जाने की मांग

73–श्री छोटे लाल–

क्या कृषि मंत्री को यह जानकारी है कि अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-2 (विकास) की प्रोन्नति/सीधी भर्ती की मिली हुई ज्येष्ठता सूची न बनाये जाने से वर्ग–2 विकास शाखा में वर्ग–3 के कोटे के 75 पद पिछले 15 वर्षों से रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–2 (विकास) की मिली जुली ज्येष्ठता सूची तैयार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं ।

प्रश्नगत ज्येष्ठता सूची तैयार करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शीघ्र ।

श्री शिव सिंह चक–

[दूसर ु : में अता० प्र० सं० 181 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फिरोजाबाद की उप तहसील टूण्डला को तहसील बनाये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र की जानकारी

75–श्री शिव सिंह चक–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता का जनपद फिरोजाबाद की उप तहसील टूण्डला बनाये जाने विषयक पत्र दिनांक 26-5-97 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो टूण्डला तहसील कब तक बना दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जनपद फिरोजाबाद की उप तहसील टूण्डला को तहसील बनाये जाने के संबंध में अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति की आख्या/संस्तुति प्रतीक्षित है ।

टूण्डला विधान सभा क्षेत्र की जमुना की तलहटी की हजारों एकड़ भूमि को भूमि सुधार योजना में लिये जाने एवं भूमिहीनों में वितरण की मांग

76–श्री शिव सिंह चक–

क्या सरकार को जानकारी है कि टूण्डला विधान सभा क्षेत्र जमुना की तलहटी में बसा हुआ है ? क्या उसकी हजारों एकड़ भूमि बेकार पड़ी है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऊसर सुधार के अन्तर्गत उक्त भूमि को समतल कराकर उसे हरिजनों एवं भूमिहीनों में वितरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद गोरखपुर की तहसील चौरी-चौरा की ग्राम विशुनपुर मटियरा की चकबन्दी में विलम्ब की शिथिलता

77–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील चौरी-चौरा के ग्राम विशुनपुर मटियरा की चकबन्दी वर्ष 1990 से प्रारम्भ होकर अब तक चकबन्दी प्रक्रिया जारी है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि गत वर्ष व वर्तमान वर्ष (1997) में नियुक्त लेखपाल चक नापकर कब्जा दिलाने में असफल रहा है ? यदि हां, तो क्या इस विषय में ग्राम वासियों ने डी० डी० सी० व जिलाधिकारी, गोरखपुर व चकबन्दी आयुक्त, लखनऊ को माह जून, 1997 में कोई पत्र कार्यवाही हेतु दिया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

ग्रामवासियों द्वारा निगरानियों के निस्तारण तथा पैमाइश का विरोध होने व विवाद के कारण कब्जा नहीं दिया जा सका।

जी हां।

पैमाइश/कब्जा परिवर्तन का प्रयास किया गया परन्तु ग्रामवासियों के आत्यधिक विरोध के कारण सम्भव नहीं हो सका। ग्राम वासियों ने ग्राम की पैमाइश/कब्जा परिवर्तन का कार्य 1-5-98 से प्रारम्भ किये जाने हेतु सहमति प्रदान की है।

उप जिलाधिकारी निचलौल, जि० महराजगंज द्वारा विगत वर्ष में अपात्र लोगों को सीलिंग की भूमि का पट्टा दिये जाने की शिकायत

78–श्री चन्द्र किशोर–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि उप जिलाधिकारी, निचलौल, जनपद महराजगंज ने मार्च, 1996 से फरवरी, 97 तक ग्राम सभा कटका, गिरहीयां, कइमी एवं बढ़या गांवों की सीलिंग से निकाली गयी भूमि को दलितों, मुसहरों, अनुसूचित पात्र परिवारों में न बांटकर बाहरी एवं अपात्र व्यक्तियों को भूमि का आवंटन कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार भूमि पट्टों की जांच कर पट्टा निरस्त करेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम गिरहिया में 182 व्यक्तियों के पक्ष में व ग्राम बढ़या में 102 व्यक्तियों के पक्ष में किये गये सीलिंग भूमि के पट्टे में कोई बाहरी या अपात्र व्यक्तियों में नहीं हुए हैं ? ग्राम बसूली में इस अवधि में कोई पट्टा नहीं हुआ है ? ग्राम करवतही उर्फ कटका में 356 व्यक्तियों में से 6 पट्टेदार जांच के दौरान बाहरी पाये गये हैं।

पट्टा निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

ग्राम पंचायत सबयां का पुर्वा बुधियां बरगदही, जनपद महराजगंज में वन विभाग निचलौल, रेंज गोरखपुर में दर्ज जमीन को अनुसूचित जाति के नाम पट्टा किये जाने की मांग

79–श्री चन्द्र किशोर–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम पंचायत सबयां का पूर्वा बुधियां, बरगदही, जनपद महराजगंज में रकबा नं० 2474/क/2476/77ख जो 5.009 एकड़ जमीन पर वन विभाग निचलौल रेंज गोरखपुर दर्ज है? क्या खाली जमीन को उक्त गांव के अनुसूचित एवं दलित भूमिहीन परिवारों द्वारा लगभग 20 वर्षों से कब्जे में लेकर जोतते, बोते चले आ रहे थे ? उक्त भूमि को क्या हल्का लेखपाल ने दलितों को धमकाकर सिसवा बाजार के भू-माफिया को कब्जा दिलाकर वर्ष 1995 में गन्ने की बुआई करवा दी है, जिसकी शिकायत पूर्व विधान सभा सदस्य, शारदा प्रसाद जायसवाल ने 13-4-96, 1-8-96 व 25-10-96 को शासन में दी थी ? यदि हां, तो सरकार शिकायत की प्रति तथा जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री आलमगीर पुत्र दलमत ग्राम मिश्रौली गौरीगंज, सुल्तानपुर का जमीन की फर्जी रजिस्ट्री के संबंध में पत्र

80–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि कमिश्नर, फैजाबाद व परगनाधिकारी, गौरीगंज, सुल्तानपुर को क्रमशः दिनांक 5-8-94 व 8-8-94 को आलमगीर पुत्र दलमत ग्राम मिश्रौली, गौरीगंज, सुल्तानपुर का प्रार्थना-पत्र जिसमें ग्राम मिश्रौली 254 ग 10 नम्बर ग्राम समाज की जलमग्न भूमि को फर्जी आदेश के तहत खाता बनवा लेने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम सेमरा, परगना पश्चिम राठ, तहसील मिल्कीपुर, जनपद फैजाबाद में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा की शिकायत

81–श्री मित्रसेन यादव–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि सेमरा परगना पश्चिम राठ, तहसील मिल्कीपुर, जनपद फैजाबाद में ग्राम की कुल कितनी भूमि पर किन-किन लोगों ने अवैध कब्जा कर निर्माण करा लिया है ? क्या यह सही है कि ग्राम समाज की कीमती व्यवसायिक भूमि का बगैर किसी वैधानिक कार्यवाही एवं आवंटन के प्रधान की साजिश से राजस्व सम्पत्ति को भारी क्षति पहुंचायी गयी है ? यदि हां, तो अवैध कब्जे की भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य क्या है ? दोषी के विरुद्ध कार्यवाही कर भूमि को मुक्त कराकर भूमिहीन अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों में आवंटन की कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम सेमरा में कुल 3बीघे 7 विस्वा 7 विस्वांसी गांव सभा भूमि पर 37 व्यक्तियों ने अवैध कब्जा करके निर्माण करा लिया है जिसकी [illegible] कार्यालय में देखी जा सकती है । इनमें से दो व्यक्तियों के एक साल पहले का कब्जे के हैं ।

अवैध कब्जे की सभी भूमि व्यवसायिक प्रयोग की नहीं है । अवैध कब्जों में प्रधान की साजिश का होना नहीं पाया गया है ।

अवैध कब्जे की भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 10.575 लाख है ।

दो नये अवैध कब्जेधारियों के विरुद्ध तहसीलदार मिल्कीपुर के न्यायालय में धारा–122 बी, ज० वि० एवं भूमि व्यव० अधिनियम के तहत कार्यवाही विचाराधीन है । पुराने अवैध 35 कब्जेदारों के विरुद्ध 122 बी के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही करने हेतु उप जिलाधिकारी, मिल्कीपुर को निर्देश दे दिये गये हैं ।

जनपद फैजाबाद, तहसील मिल्कीपुर की ग्राम सभा ईंटगांव में भूमिहीन की संख्या एवं उनको दिये गये पट्टों का विवरण

82–श्री मित्रसेन यादव–

क्या राजसव मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम ईंटगांव, परगना पश्चिम राठ, तहसील मिल्कीपुर, जनपद फैजाबाद में कुल कितने भूमिहीन हैं ? ग्राम समाज तथा सीलिंग की कृषि योग्य कितनी भूमि उपलब्ध है ? उपलब्ध सम्पूर्ण भू-राजस्व सम्पत्ति का ग्राम के पात्र भूमिहीन अनुसूचित जाति एवं कमजोर वर्ग के लोगों में अब तक आवंटन न किये जाने का क्या कारण है ? कब तक आवंटन की कार्यवाही सम्पन्न कराकर पात्र व्यक्तियों को आवंटन सुनिश्चित करा दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम ईंटगांव में अनुसूचित जाति के 4, पिछड़ी जाति व सामान्य जाति के 5 भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं । इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति के 38 तथा पिछड़ी जाति व सामान्य जाति के सात अत्यल्प भूमि वाले खेतिहर मजदूर हैं । ग्राम समाज की 26 बीघा 4 विस्वा 14 विस्वांसी व सीलिंग से अतिरिक्त घोषित भूमि 1 बीघा 17 विस्वा 5 विस्वांसी भूमि कृषि योग्य उपलब्ध है ।

सीलिंग की अतिरिक्त घोषित भूमि आवंटित की जा चुकी है । गांव सभा भूमि का 22 बीघा 16 विस्वा 6 विस्वांसी क्षेत्रफल पेड़ों से आच्छादित है । शेष भूमि 3 बीघा 8 विस्वा 8 विस्वांसी का प्रस्ताव भूमि प्रबन्धक समिति ने दिनांक 3-7-97 को अनियमित किया था जिसके कारण उक्त प्रस्ताव उप जिलाधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया है ।

भूमि प्रबन्धक समिति को अवक्रमित कर के कृषि भूमि आवंटन के संबंध में कार्यवाही की जा रही है ।

ग्राम नरिन्दा भांदे, परगना पश्चिम राठ, तहसील मिल्कीपुर, फैजाबाद में कृषि योग्य भूमि का अनुसूचित जातियों को पट्टे दिये जाने की मांग

83. श्री मित्रसेन यादव–

क्या राजसव मंत्री को जानकारी है कि ग्राम नरिन्दा भांदे, परगना पश्चिम राठ, तहसील मिल्कीपुर फैजाबाद अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम है जिसमें बड़ी संख्या में लोग भूमिहीन हैं ? क्या ग्राम नरेन्दा भांदें में सीलिंग तथा ग्राम समाज की कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है ? क्या सरकार भूमिहीन आवास के पात्र लोगो में आवास हेतु भूमि एवं कृषि योग्य भूमि के आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम तरौली मुबारकपुर, परगना बिड़हर, तहसील टाण्डा, जनपद अम्बेडकर नगर में बंजर एवं बचत तथा सीलिंग की भूमि का विवरण

84-श्री रामपाल वर्मा-

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम तरौली मुबारकपुर, परगना बिड़हर, तहसील टाण्डा, जनपद अम्बेडकर नगर में बंजर सीलिंग बचत की कितनी भूमि है और उस पर किसका कब्जा है? क्या उक्त भूमि को भूमिहीनों के नाम आवंटित करके उस पर कब्जा दिला दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त भूमि भूमिहीनों के नाम कब तक आवंटित कर दी जायेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

बंजर	सीलिंग	बचत
4-11-7	शून्य	0-0-16

खाली ।

जी नहीं ।

यह भूमि [illegible] रास्ता, नदी, नाला मंदिर आदि होने के आवंटन योग्य नहीं है ।

विधान सभा क्षेत्र सगड़ी, आजमगढ़ के उत्तरी भाग में ओलावृष्टि से हुई क्षति

85-श्री राम प्यारे-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सगड़ी, आजमगढ़ के उत्तरी हिस्से में माह मार्च, 1997 में ओले पड़े हैं ? यदि हां, तो किसानों की जो क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

माह मार्च, 1997 में ओलावृष्टि नहीं हुई थी, बल्कि 10 अप्रैल, 1997 को ओलावृष्टि हुई थी जिससे सगड़ी तहसील के कुल 19 ग्राम प्रभावित हुए थे । ओलावृष्टि से रबी की फसल की अनुमानित क्षति 18.5% होने के कारण किसानों को राहत सहायता दिये जाने का नियमों में प्राविधान नहीं है ।

नियमानुसार 50% या उससे अधिक की क्षति पर राहत सहायता प्रदान किये जाने का प्राविधान है।

ग्राम जोकहरा, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ के चकबन्दी बन्दोबस्त में हुई त्रुटि के सुधार की मांग

86-श्री राम प्यारे-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम जोकहरा, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ के चकबन्दी बन्दोबस्त के नक्शों में हुई त्रुटियों के सुधार हेतु क्या संबंधित स्थानीय अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र ग्रामवासियों द्वारा दि० 12-3-97 से 18-3-97 के बीच दिया गया था ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

जी हां।

ग्राम जोकहरा का चकबन्दी अधिनियम की धारा-52 के अन्तर्गत प्रख्यापन दिनांक 9-9-95 को हो चुका है और अभिलेख तहसील में जमा हो चुके हैं । ऐसी दशा में चकबन्दी विभाग का क्षेत्राधिकार समाप्त हो जाने के कारण प्रार्थना-पत्र पर चकबन्दी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं है ।

प्रदेश स्तर पर राजस्व अनामिका/नामिका वकीलों की प्रति मुकदमेवार फीस की जानकारी

87–श्री राम प्यारे–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न जनपदों में राजस्व अनामिका वकीलों की नियुक्ति की गयी थी ? उस समय उन्हें प्रति मुकदमें के हिसाब से क्या फीस दी जाती थी और इस समय प्रति मुकदमें कितनी फीस दी जाती है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में राजस्व नामिका वकीलों की नियुक्ति के लिये उ० प्र० भूमि व्यवस्था नियमावली के पैरा 114 में प्राविधान है । इसी नियम के 114(4) के अनुसार पैनल लायर को निम्नवत् भुगतान की व्यवस्था है :—

पैनल के वकील प्रति मामले के लिये समान दर से फीस के हकदार होंगे :—

1–तहसील स्तर एवं चकबन्दी अधिकारी न्यायालय के लिये 5/- रुपया

2–कलेक्टर/अपर कलेक्टर बन्दोबस्त अधिकारी के न्यायालय के लिये 10/- रु०

3–कमिश्नर, अपर कमिश्नर, संचालक चकबन्दी न्यायालय 16/- रु०

4–राजस्व परिषद्, उ० प्र० के लिए 32/- रु०

5–उच्च न्यायालय के लिए 100/- रु०

नवसृजित मण्डल आजमगढ़ के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 1996-97 में आवंटित धन की जानकारी

88–श्री राम प्यारे–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवसृजित मण्डल आजमगढ़ के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 1996-97 में कितना धन आवंटित किया गया तथा भविष्य में क्या योजना है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

नवसृजित मण्डल आजमगढ़ के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 1996-97 में राजस्व विभाग द्वारा कोई धन आवंटित नहीं किया गया । वित्तीय वर्ष 1997-98 में आयुक्त आजमगढ़ के आवास तथा कार्यालय भवनों के निर्माण हेतु 50.00 लाख रुपये की धनराशि का प्रस्ताव नई मांगों के 1997-98 के आय-व्ययक में सम्मिलित किया गया है । आय-व्ययक पारित होने पर उक्त धनराशि अवमुक्त की जायेगी तथा निर्माण कार्य की प्रगति को देखते अवशेष धनराशि की व्यवस्था की जायेगी ।

ग्राम पंचायत अधिकारी (श्री रामनयन वर्मा) विकास खण्ड रूधौली, जनपद बस्ती के विरुद्ध शिकायत

89–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत अधिकारी राम नयन वर्मा, विकास खण्ड रूधौली (जनपद बस्ती) में कब से कार्यरत हैं और इस पूरे कार्यकाल में किन-किन ग्राम पंचायतों में नियुक्त रहे हैं ? क्या इनके विरुद्ध प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र सचिव ग्राम पंचायत को माह फरवरी, 97 से अप्रैल, 97 के बीच प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

श्री राम नयन वर्मा, ग्राम पंचायत अधिकारी विकास खण्ड रूधौली (जनपद बस्ती) में दिनांक 27-7-87 से कार्यरत थे तथा ग्राम पंचायत भितेहरा, चन्द्रमानपुर, मुगरहा, पिपरपातीखुर्द, पचारी कला,

छतरिया, गनवरिया कला, गनवरिया खुर्द, पैड़ा, अनदेउरा, खम्भा, बरगदवा, कोडरा, पुरेना, मिश्रौलिया भइया, मैनी, तिगोडिया में नियुक्त रहे हैं।

जी हां।

शिकायती पत्र के आधार पर श्री वर्मा को विकास खण्ड रूधौली से विकास खण्ड हैसर बाजार स्थानान्तरित कर दिया गया है।

90–श्री शेर बहादुर सिंह–

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

मण्डी परिषद् द्वारा कासगंज विधान सभा क्षेत्र एटा में बनवाये गये सम्पर्क मार्गों का विवरण

91–श्री नेतराम–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि एटा जिले के कासगंज विधान सभा क्षेत्र की मण्डी समिति द्वारा वर्ष 1993 से 1996 तक किन-किन मार्गों की स्वीकृति हुई और उन पर कितना-कितना धन स्वीकृत हुआ ? कौन-कौन मार्ग पूर्ण हुए और कौन-कौन मार्ग अवशेष हैं ? अवशेष स्वीकृत मार्गों को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

वर्ष 1993 से 1996 तक 15 नग सम्पर्क मार्ग स्वीकृत किये गये हैं, जिनके निर्माण हेतु कुल रु० 97.50 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

9 नग मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। पांच मार्गों का कार्य प्रगति पर है तथा एक मार्ग पर कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

लखनऊ हरदोई रोड पर स्थित दुबग्गा फल सब्जी मण्डी को अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी घोषित करने की मांग

92–श्री मस्तराम–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ में स्थित हरदोई रोड पर दुबग्गा फल एवं सब्जी मण्डी को मलिहाबाद फल पट्टी क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी घोषित करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

मलिहाबाद फल पट्टी क्षेत्र के कृषकों/उत्पादकों/व्यापारियों से इस मण्डी को अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी घोषित करने का कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

जिला अम्बेडकर नगर, शहजाद–अकबरपुर के निवासी श्री संजय टण्डन द्वारा चकबन्दी आयुक्त, लखनऊ को भेजे गये पत्र के विवरण की जानकारी

93–श्री शेर बहादुर सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1995 के पहले गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के उत्तर के संबंध में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस संबंध में श्री संजय टण्डन निवासी शहजादपुर, जनपद अम्बेडकर नगर का दूसरा प्रार्थना पत्र भी उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

श्री टण्डन द्वारा निगरानी में पारित आदेश दिनांक 16-11-95 के विरुद्ध उप संचालक चकबन्दी फैजाबाद के न्यायालय में वाद कायमी प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर उसका नियमानुसार निस्तारण किया जायेगा।

श्री अतीबुल पुत्र श्री सुब्बा तथा हद्दीस पुत्र श्री मुजीबुल्ला ग्राम जलालपुर, विकास खण्ड व तहसील डुमरियागंज, जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा सड़क पर अतिक्रमण करने की शिकायत

94–श्री दीपक कुमार–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि श्री अतीबुल पुत्र सुब्बा तथा मो० हद्दीस पुत्र श्री मुजीबुल्ला, ग्राम जलालपुर, ब्लाक एवं तहसील डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर ने अपने घर के सामने सड़क में बढ़ाकर छपरा मड़हा रखकर सड़क पर अतिक्रमण कर लिया है ? क्या इससे गांव वालों तथा आने जाने वालों को भारी असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त अतिक्रमण को हटाने के आदेश देने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है।

संयुक्त निदेशक, कृषि (बीज एवं प्रक्षेत्र) द्वारा विगत दो वर्षों में खरीदे गये बोरों की संख्या एवं दर की जानकारी

95–श्री सुखपाल पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि संयुक्त कृषि निदेशक, (बीज एवं प्रक्षेत्र), उ० प्र० लखनऊ द्वारा वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 में कितना-कितना बोरा किस रेट पर खरीदा गया ? क्या यह सही है कि बोरी की कीमत का अधिक भुगतान किया गया था घटिया किस्म का बोरा खरीदा गया ? क्या इसकी जांच शासन में चल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार पूरा प्रकरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

विवरण अनुलग्नक (1) पर उपलब्ध है।

नहीं।

नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 93 पर)

आबकारी कान्सटेबल विकास निगम में श्री सेवाराम सिंह, सेवाधिकारी की छंटनी का मामला

96–श्री विजयपाल सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1997 के पहले गुरुवार के लिये निर्धारित अतरांकित प्रश्न सं० 1 के उत्तर के संदर्भ में क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य सचिव के दो बार आदेश दिनांक 23-5-95 व दि० 3-6-96 को मा० उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश 24-9-92 को तीन माह

में श्री लेखराज सिंह, लेखाधिकारी, आगरा मण्डल विकास निगम को समायोजित करने के आदेश को लागू न कराये जाने का क्या औचित्य है ? छटनी शुदा कर्मचारियों व अधिकारियों को समायोजित करने की क्या नीति रही है ? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राम प्रसाद चौधरी–

प्रश्नगत आदेशों के अन्तर्गत श्री लेखराज सिंह का समायोजन न करने का न कोई औचित्य है और न ही शासन/विभाग की ऐसी नीति रही है । जैसे-जैसे स्थान उपलब्ध होते हैं, अर्हता एवं अनुमन्यता के आधार पर समायोजन हेतु कार्यवाही की जाती है । शासन/विभाग इन आदेशों के अनुपालन के प्रति पूर्णतया प्रतिबद्ध है ।

कार्मिक विभाग द्वारा इन छटनीशुदा अधिकारियों/कर्मचारियों के समायोजन हेतु शासनादेश संख्या–3-20-92-का–2-93, दिनांक 11 नवम्बर, 1993 के अन्तर्गत अर्हता एवं अनुमन्यता की शर्तें/नीति निर्धारित की गई हैं । प्रतिलिपि (विवरण) संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 94-96 पर)

खेलकूद विभाग के वाराणसी लखनऊ तथा झांसी में तैराकी प्रशिक्षकों, लाइफगार्डों फिल्टर प्लांट आपरेटर तथा चौकीदार के स्थायी रिक्त पदों पर भर्ती की मांग

97–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि वाराणसी, लखनऊ तथा झांसी में तैराकी प्रशिक्षकों, लाइफगार्डों, फिल्टर प्लांट आपरेटर तथा चौकीदार के स्थायी पद अभी रिक्त हैं ? क्या यह सही है कि वाराणसी का डाइविंग बोर्ड शुरू से ही दोषपूर्ण है और वाराणसी तथा लखनऊ में लाइफगार्ड के 2-2 अतिरिक्त पद की आवश्यकता है ? क्या प्रदेश में तैराकी खेल को समुचित प्रोत्साहन देकर अच्छे तैराक तैयार करने की दिशा में सरकार उपाय करेगी ?

श्री मारकण्डेय चन्द्र–

वाराणसी, लखनऊ, झांसी में तैराकी प्रशिक्षकों, लाइफगार्डों, फिल्टर प्लांट आपरेटर तथा चौकीदार का कोई भी स्थायी पद वर्तमान में रिक्त नहीं है । सूचना एकत्रित की जा रही है । जी हां ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अधिकांश नैसर्गिक अभिजनन केन्द्रों पर सांड़ों के अभाव की शिकायत

98–श्री मोहन सिंह रावत ''गांववासी''––

क्या पशुपालन मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में अनेक ऐसे नैसर्गिक अभिजनन केन्द्र हैं जहां पर वर्षों से सांडों की कोई व्यवस्था नहीं है और ये नैसर्गिक अभिजनन केन्द्र ठप्प पड़े हुए हैं ? यदि हां, तो इन केन्द्रों पर कब तक सांड तथा भैंसा उपलब्ध करा दिये जायेंगे ? सांण्डों के अभाव में पशु नस्ल सुधार का क्या कार्यक्रम चलाया जा रहा है इससे लाभान्वित पशुपालकों की विकास खण्डवार प्रमाणित संख्या क्या है ?

श्री सुन्दर सिंह बघेल–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजकीय कृषि प्रक्षेत्र मलवा, जनपद फतेहपुर में प्रक्षेत्र अधीक्षक द्वारा किये गये गबन दुर्विनियोग की विभागीय जांच की रिपोर्ट की जानकारी

99–श्री छोटे लाल–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि राजकीय कृषि प्रक्षेत्र मलवा, जनपद फतेहपुर में प्रक्षेत्र अधीक्षक द्वारा किये गये गबन, दुर्विनियोग की विभागीय जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट पर प्रक्षेत्र अधीक्षक के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां ।

जांच अधिकारी की जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री प्यारे लाल पुत्र श्री सुखन, निवासी ग्राम मोहले खेड़ा, मजरा पुरवा मानपुर, तहसील सण्डीला, जनपद हरदोई के पूर्व चक को बदलने की शिकायत

100–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री प्यारे लाल पुत्र श्री सुखन निवासी ग्राम मोलहे खेड़ा, मजरा पुरवा, मानपुर, तहसील सण्डीला, जनपद हरदोई को जिन गाटों का पूर्व में चक काटा गया था और उन्हें उस पर कब्जा दिलाया गया था ? क्या पुनः उप संचालक चकबन्दी ने फेरबदल कर उड़ान चक काटे जाने का आदेश दिया है ? क्या पूर्व में मिले चक गाटा सं० 402 में यूकेलिप्टस के पेड़ भी हैं ? यदि हां, तो चकबन्दी प्रक्रिया के उपरान्त पुनः फेरबदल किये जाने का क्या कारण है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी नहीं । श्री प्यारे लाल द्वारा बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के आदेश दिनांक 1-10-92 के विरुद्ध उप संचालक चकबंदी के न्यायालय में निगरानी योजित की गयी थी, जिसका निस्तारण आदेश दिनांक 2-2-96 के अन्तर्गत करते हुए उनके मूल गाटा 402 पर संशोधित चक दिया गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के कृषि फार्मों की संख्या तथा उनमें काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी के बारे में जानकारी

101–श्री सुखपाल पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कृषि विभाग के अन्तर्गत प्रदेश में कुल कितने कृषि फार्म हैं ? उन फार्मों पर मजदूरों की मजदूरी अप्रैल, 1997 तक कितना-कितना बकाया है ? मजदूरों की मजदूरी भुगतान न करने का क्या कारण है ? उनकी मजदूरी का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

संयुक्त निदेशक, कृषि (बीज एवं प्रक्षेत्र) द्वारा कृषि फार्मों का दौरा करने से अर्जित धनराशि के विवरण की जानकारी

102–श्री सुखपाल पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि संयुक्त कृषि निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र), उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने वर्ष 1996-97 में किन-किन जिलों में दौरा कर किन-किन फार्मों का निरीक्षण किया और निरीक्षण पुस्तिका में क्या सुझाव अंकित किया ? उनके द्वारा कितना टी० ए० डी० ए० प्राप्त किया गया ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

वर्ष 1996-97 में संयुक्त कृषि निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र) ने कानपुर, हरदोई, फैजाबाद, आजमगढ़, सुल्तानपुर एवं बरेली जनपदों का दौरा किया ।

ढकौनी (हरदोई) रहीमाबाद एवं कटियार (लखनऊ) स्थित प्रक्षेत्रों का निरीक्षण किया गया ।

निरीक्षण रिपोर्ट प्रक्षेत्रों पर उपलब्ध है ।

उनके द्वारा वर्ष 1996-97 में रु० 44,074.60 पै० का टी० ए० डी० ए० प्राप्त किया गया जिसमें प्रदेश के बाहर की यात्रा भी सम्मिलित है ।

ग्राम कटका, खेसरहा, गिरहिनिया तहसील निचलौल, जिला महाराजगंज में सीलिंग की भूमि के पट्टे के विवरण की जानकारी

103–श्री विनोद मणि–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज के तहसील निचलौल में ग्राम कटका, खेसरहा, गिरहिनिया में सीलिंग भूमि का आवंटन वहां के तत्कालीन उप जिलाधिकारी द्वारा किन-किन व्यक्तियों के नाम किया गया ? क्या यह सही है कि जिले व तहसील के निवासियों को न करके बाहरी बड़े लोगों को पट्टा कर जमीन दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार पूरे प्रकरण की जांच करायेगी और दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद महाराजगंज के तहसील निचलौल में ग्राम कटका में कुल 255 आवंटियों के नाम तथा ग्राम गिरहिनिया में कुल 182 आवंटियों के नाम तत्कालीन उप जिलाधिकारी द्वारा सीलिंग भूमि का पट्टा किया गया जबकि ग्राम खेसरहा में तत्कालीन उप जिलाधिकारी द्वारा कोई पट्टा नहीं किया गया है ।

ग्राम कटका उर्फ करवसही में 6 पट्टेदार बाहरी पाये गये हैं, पट्टा निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रारम्भ करायी गयी है ।

क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक/नायब तहसीलदार द्वारा जांच किये जाने के उपरान्त तहसीलदार की संस्तुति पर संबंधित लेखपाल के विरुद्ध आरोप पत्र निर्गत कर दिया गया है ।

104–श्री नरेन्द्र सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

ग्राम सिधौना, तहसील मिल्कीपुर, जिला फैजाबाद में ग्राम समाज के खाते में अंकित कुल भूमि का विवरण एवं उसके आवंटन की मांग

105–श्री मित्रसेन यादव–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सिधौना, तहसील मिल्कीपुर, फैजाबाद में कुल कितनी भूमि ग्राम समाज के खाते में अंकित है और उक्त गांव में भूमिहीन अनुसूचित जाति और कमजोर वर्ग के लोगों की संख्या क्या है ? कृषि योग्य उपलब्ध भूमि के होते हुए उक्त भूमि का अभी तक आवंटन न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम सभा सेमरा, मु० चिखड़ी, परगना पश्चिम राठ, तहसील मिल्कीपुर, फैजाबाद के गाटा संख्या 288, खाता सं० 244 पर नाजायज कब्जा

106–श्री मित्रसेन यादव–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा सेमरा, मु० चिखड़ी, परगना पश्चिम राठ, तहसील मिल्कीपुर, फैजाबाद के गाटा संख्या 288 खाता सं० 244 ग्राम समाज की भूमि फसली सन् 1396-1401 में उक्त गांव के प्रधान अपने नाम असंक्रमणीय भूमिधर दर्ज करा लिया है, जबकि उक्त भूमि वृक्षारोपण हेतु आवंटित की गयी थी ? क्या उक्त ग्राम समाज की भूमि पर अवैध निर्माण और कब्जा भी कर लिया गया है ? यदि हां, तो इन अवैध कब्जेदारों और निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध अब तक कौन-कौन सी कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों का मामला

107–श्री मित्रसेन यादव–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद में विगत पांच वर्षों से पूर्व कुल कितने दैनिक श्रमिक विभिन्न फार्मों एवं शोध संस्थानों में कार्यरत हैं ? क्या उनकी कोई वरिष्ठता सूची है जिसके आधार पर पात्रता के अनुसार कितने दैनिक श्रमिकों को नियमित रूप से समायोजित किये जाने की प्रक्रिया अपनायी गयी है ? कितने दैनिक श्रमिकों को नियमित किया गया है ? और कितने शेष हैं ? उनको कब तक नियमित कर दिया जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद में विभिन्न फार्मों एवं शोध संस्थानों में कार्यरत कुल दैनिक श्रमिकों की संख्या 1008 है ।

वर्ष 1996 में इन दैनिक श्रमिकों की अनन्तिम वरिष्ठता सूची तैयार की गयी है । दैनिक श्रमिकों को नियमित किये जाने का विश्वविद्यालय के परिनियमों में कोई प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद में वरिष्ठ एवं कनिष्ठ शोध सहायकों की नियुक्ति में आरक्षण कोटा की जानकारी

(18)–श्री मित्रसेन यादव–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद में कार्यरत वरिष्ठ एवं कनिष्ठ शोध सहायकों की कितनी तदर्थ नियुक्तियां विगत वर्षों में की गयी हैं ? क्या तदर्थ नियुक्तियों में आरक्षण का कोटा पूरा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? आरक्षण कोटो की पूर्ति हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद में विगत वर्षों में वरिष्ठ एवं कनिष्ठ शोध सहायक पदनाम से कोई तदर्थ नियुक्ति नहीं की गयी है । जब उक्त पदनाम से कोई नियुक्तियां ही नहीं की गयी हैं तो ऐसी स्थिति में आरक्षण कोटा पूर्ण करने के संबंध में कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं है ।

प्रबन्ध निदेशक, डेरी फार्म रामनगर के विरुद्ध जांच कराकर सरकारी पैसे बचाने की मांग

(19)–श्री छब्बू पटेल–

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलरामपुर, जनपद में रामनगर डेरी फार्म में ई० टी० पी० प्लान्ट के संचालन पर दो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी रखे गये थे ? इनको वेतन 3(XX) रुपया प्रतिमाह दिया जाता था तो उक्त प्लांट को 23(XX) के हिसाब से संचालन हेतु टेंडर पर क्यों दिया गया ? क्या मंत्री जी इसकी जांच कराकर प्रबन्ध निदेशक डेरी फार्म रामनगर के विरुद्ध जांच कराकर सरकार का प्रतिमाह 20,(XX) रुपये की अवैध दुरुपयोग से बचायेंगे ? क्या सरकार उक्त प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध जांच कर कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुन्दर सिंह बघेल–

जी नहीं ।

पूर्व में दुग्ध संघ के नियमित कर्मचारी दो संविदा श्रमिक एवं अवर अभियन्ता को सम्मिलित करते हुए तीन पालियों में ई० टी० पी० का कार्य संचालित कराया जाता था । इनके वेतन पर रु० 20,(XX) तथा परीक्षण, रसायन व उपकरणों के अनुरक्षण पर रु० 6,(XX) अर्थात् कुल रु० 26,(XX) व्यय होता था, परन्तु उचित तकनीकी कर्मचारियों के अभाव में उक्त संयंत्र सुचारु रूप से निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता था । अतः संयंत्र के नियमित संचालन, उपकरणों के रख-रखाव, अनुरक्षण, प्रयोग में आने वाले रसायन एवं परीक्षण आदि पर होने वाले समस्त व्ययों को सम्मिलित करते हुए मात्र रु० 23,(XX) पर उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिकृत पार्टियों को आमंत्रित कर निविदा के माध्यम से संचालक का चयन किया गया । इस प्रकार अब संयंत्र में रु० 3,(XX) की बचत भी हो रही है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

मण्डी परिषद् द्वारा मैनपुरी एवं बेवर में विगत वर्ष में स्वीकृत सड़कों के निर्माण हेतु प्रस्ताव की जानकारी

110–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मैनपुरी विधान सभा क्षेत्र भोगांव में मण्डी परिषद् द्वारा कितनी सड़कें वर्ष 1996-97 में स्वीकृत हुई हैं ? क्या यह सच है कि मण्डी समिति, मैनपुरी एवं बेवर द्वारा कई सड़कें बनाने का प्रस्ताव वर्ष 1996-97 में मण्डी परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त सड़कों का निर्माण सुनिश्चित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जनपद मैनपुरी में विधान सभा क्षेत्र भोगांव में वर्ष 1996-97 में कोई भी सम्पर्क मार्ग स्वीकृत नहीं किया गया है।

जी हां।

सम्बन्धित मण्डी में धन की उपलब्धता को दृष्टिगत रखकर आवश्यकतानुसार निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

सेवा निवृत्त लेखपाल श्री दुर्गा प्रसाद के पेंशन आदि देयों के भुगतान की मांग

111–श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद उन्नाव के तहसील उन्नाव में कार्यरत अल्प वेतन भोगी लेखपाल श्री दुर्गा प्रसाद जो दिनांक 31 जुलाई, 1995 को सेवानिवृत्त हुए थे, का जी० पी० एफ०, ग्रेच्युटी, नकदीकरण बीमा व पेंशन आदि का भुगतान अभी तक क्यों नहीं किया गया है ? भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद आगरा के तहसील फतेहाबाद के बादशाहीबाग में चल रहे कार्यालयों के कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था की मांग

112–श्री विजय पाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा की फतेहबाद तहसील एवं राजस्व विभाग के सभी कार्यालयों को स्थानान्तरित करके बादशाही बाग में स्थापित किया गया है ? यदि हां, तो बादशाही भूमि का हस्तान्तरण राजस्व विभाग के नाम कब हुआ और यहां कार्यालय स्थापित होने पर जनता और कर्मचारियों की सुरक्षा लिये क्या व्यवस्था की गयी ? क्या यह सही है कि एक वर्ष के अन्तराल में एक व्यक्ति की हत्या भी हो गयी है ? यदि हां, तो इस असुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री जी उक्त कार्यालयों को पूर्व स्थान पर स्थानान्तरित करने के आदेश प्रदान करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है।

113–श्री तेजभान सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

ग्राम सरमें, परगना जामों, तहसील गौरीगंज, जिला सुल्तानपुर का अपात्र लोगों को भूमि का पट्टा दिये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र

114–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगनाधिकारी, गौरीगंज, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री सीताराम पासी, शिवकुमार मौर्य, ग्राम सरमें, परगना जामों, तह० गौरीगंज का प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ दिनांक 27-8-94 को प्राप्त कराया गया है जिसमें ग्राम समाज व अधिकारियों द्वारा कृषि एवं आवासीय पट्टों में कोई पात्रता सूची न बनाने, अपात्रों व गांव सभा के प्रधान व सदस्यों के सम्बन्धियों व मृतकों को पट्टा देने की शिकायत है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब तक इसमें क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश सेवा श्रेणी–2 की राजपत्रित पदों पर पदोन्नति के संबंध में शासनादेश की अवहेलना की शिकायत

115–श्री नेतराम सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी–2 की राजपत्रित पदों की पदोन्नति के संबंध में शासनादेश संख्या 2094/12-1-96-212/96, दि० 28-5-96 द्वारा पारित निर्देशों के परिपालन में राज्य कृषि सेवा श्रेणी–2 की गजटेड पदों पर पदोन्नति हेतु कृषि निदेशालय, उ० प्र० लखनऊ के पत्रांक कोट सेल/13787/टी०–1, दिनांक 10-1-97 एवं पत्रांक ए० ए० 4363/ए०/9, दि० 24-2-97 के द्वारा विशेष सचिव, कृषि अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को उक्त शासनादेश के परिपालन में लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को कोई प्रस्ताव भेजा गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां, प्रश्नगत पदोन्नति हेतु अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है ।

प्रकरण लोक सेवा आयोग के विचाराधीन है ।

116 श्री नरेन्द्र सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

क्षेत्र पंचायत कोट (गढ़वाल) की बैठक में पारित प्रस्ताव संख्या 43 पर उठाये गये बिन्दुओं पर कार्यवाही न होने की शिकायत

117–श्री मोहन सिंह रावत "गांववासी"–

क्या पशुधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्र पंचायत कोट (गढ़वाल) की दिनांक 30 अगस्त, 1995 की बैठक में पारित प्रस्ताव संख्या 43 की प्रति पत्रांक 928/कोट/5-पशुपालन-95-96, दिनांक 25 सितम्बर, 95 द्वारा तत्कालीन पशुपालन मंत्री और अन्य विभागीय अधिकारियों को भेजी गयी

थी और दिनांक 20-11-95, 11-12-95, 30-3-96, 8-8-96, 23-8-96, 28-8-96, 6-9-96 तथा 7-9-96 स्मरण पत्रों के उपरान्त भी प्रस्ताव में उठाये गये बिन्दुओं पर अभी तक निराकरणात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सुन्दर सिंह बघेल–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

युवा कल्याण निदेशालय में तैनात सहायक निदेशक के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मामला

118–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या युवा कल्याण मंत्री को जानकारी है कि तत्कालीन निदेशक एवं प्रशासकीय समादेष्टा, युवा कल्याण निदेशालय एवं प्रादेशिक विकास दल उ० प्र० श्री आर० के० सिंह ने अपने अर्द्ध शा० पत्रांक–दो–318/ प्रा०वि०द०/1982, दिनांक 29 अक्टूबर, 1982 जो तत्कालीन सचिव, ग्राम्य विकास, उ० प्र० शासन, लखनऊ को सम्बोधित है, में युवा कल्याण निदेशालय के कार्यालय में तैनात सहायक निदेशक के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं शासकीय धन के दुरुपयोग के मामले में कार्यवाही किये जाने हेतु संस्तुति की थी ? यदि हां, तो अब तक उसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मारकण्डेय सिंह–

जी हां ।

श्री आर० पी० यादव, सहायक निदेशक, युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल, उ० प्र० लखनऊ को निलम्बित किया जा चुका है । उनके विरुद्ध नियमानुसार जांच कार्यवाही भी चल रही है ।

ग्राम सेमरा मु० चिखड़ी, परगना पश्चिम राठ, तहसील मिल्कीपुर, जनपद फैजाबाद की ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा

119–श्री मित्रसेन यादव–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सेमरा मु० चिखड़ी, परगना पश्चिम राठ, तहसील मिल्कीपुर, जनपद फैजाबाद में ग्राम समाज की भूमि पर से अवैध कब्जे हटाने और कब्जेदारों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कोई रिपोर्ट स्थानीय लेखपाल द्वारा परगनाधिकारी अथवा तहसीलदार, मिल्कीपुर को मार्च, 1997 में प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट के आधार पर अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? उक्त ग्राम समाज की कितनी भूमि पर कुल कितने अवैध कब्जे हैं ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम सभा की जमीन जो नवीन परती के रूप में अंकित है, से कब्जा हटाने हेतु तहसीलदार मिल्कीपुर के न्यायालय में दिनांक 15-4-97 एवं चारागाह की जमीन से कब्जा हटाने हेतु रिपोर्ट दिनांक 6-4-97 को प्राप्त हुई हैं ।

दोनों ही प्रकरणों में प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 122 बी, उ० प्र०-ज० उ० एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत वाद दर्ज कर अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध नोटिसें जारी की गयी है ।

ग्राम सभा की 3 बीघा 7 बिस्वा 7 बिस्वांसी भूमि पर 37 व्यक्तियों के अवैध कब्जे हैं ।

नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के अधिशासी अभियन्ता के निलम्बन एवं जांच के परिणामों की जानकारी

120-श्री मित्रसेन यादव-

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के अधिशासी अभियन्ता को किन्हीं गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के कारण निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो निलम्बन कब किया गया और उक्त प्रकरण में जांच से क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं ? उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

विश्वविद्यालय के प्रबन्ध परिषद् की बैठक दिनांक 7-7-97 में लिये गये निर्णयानुसार अधिशासी अभियन्ता को आदेश दिनांक 11-7-97 द्वारा निलम्बित कर दिया गया है। वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध जांच की कार्यवाही चल रही है।

नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के विभिन्न फार्मों एवं शोध संस्थानों में दैनिक श्रमिकों के वेतन के नाम पर लाखों की हेराफेरी की शिकायत

121-श्री मित्रसेन यादव-

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के विभिन्न फार्मों एवं शोध संस्थानों में दैनिक श्रमिकों के रूप में काम करने वालों के नाम फर्जी उपस्थिति रजि० में दर्शाकर लाखों रुपये की मजदूरी का पैसा हड़प लिया गया है ? क्या हर्टीकल्चर में वर्ष 1996 के माह जनवरी, फरवरी मार्च के उपस्थिति पंजिका में दर्शाये गये विभिन्न दैनिक मजदूरों में से कई मजदूरों ने कोई काम नहीं किया है और न ही उक्त नामों के लोग गांव में मौजूद ही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच कराई जा रही है। जांचोपरान्त दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

राजकीय कृषि अभियंत्रण शोध कार्यालय, चिनहट, लखनऊ में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन भुगतान न होने की शिकायत

122-श्री पारसनाथ यादव-

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कृषि अभियंत्रण शोध कर्मशाला, चिनहट, लखनऊ में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का दिनांक 20-6-1990 से जुलाई, 1991 तक के वेतन का भुगतान करने हेतु अपर कृषि निदेशक (प्रशासन) कृषि भवन, लखनऊ द्वारा आदेश निर्गत कर दिये जाने के पश्चात् भी अब तक नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को उपरोक्त अवधि के वेतन का भुगतान कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां ।

प्रश्नगत अवधि के चिट्ठे कालातीत हो जाने के फलस्वरूप कोषागार द्वारा लगाई गई आपत्ति के कारण भुगतान नहीं किया जा सका ।

जी हां ।

उक्त अवधि के कालातीत देयक के पूर्व सम्परीक्षक की स्वीकृति देने का प्रकरण परीक्षणाधीन है ।

कृषि विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण में भेदभाव की शिकायत

123–श्री पारस नाथ यादव, श्री भाई लाल एवं श्री लाखीराम जोशी–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि कृषि विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में से मात्र कृषि निदेशालय में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची तैयार कर उन्हें विगत कई वर्षों से नियमित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ? जबकि कृषि विभाग के ही जनपद स्तर के कार्यालयों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की न तो कोई ज्येष्ठता सूची तैयार कराई गई और न ही जनपदीय कार्यालयों में पद रिक्त होते हुए भी उन्हें नियमित ही किया गया ? क्या मंत्री जी कृषि निदेशालय की भांति ही जनपद स्तर के विभिन्न कार्यालयों में पद रिक्त हुए भी उन्हें नियमित ही किया गया ? क्या मंत्री जी कृषि निदेशालय की भांति ही जनपद स्तर के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित कराने की कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां ।

जनपद स्तर पर प्रक्षेत्रों/वर्कशापों में कार्याधिक्य के आधार पर समय-समय पर आवश्यकतानुसार दैनिक श्रमिक रखे व हटाये जाते हैं ? ऐसे दैनिक श्रमिकों की ज्येष्ठता सूची बनाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता । अतएव पद की उपलब्धता के उपरान्त भी प्रश्नगत दैनिक श्रमिकों को नियमानुसार नियमित नहीं किया जा सकता ।

प्रश्न स्पष्ट नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों को चतुर्थ श्रेणी के पेंशन निस्तारण के अधिकार के समान जनपदीय अधिकारियों को भी तीन माह तक जी० पी० एफ० स्वीकार करने का अधिकार दिये जाने की मांग

124–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पशुपालन विभाग में जनपद स्तर पर मुख्य पशु चिकित्सालय अधिकारियों को शासनादेश संख्या 3-297/दस-51392, दिनांक 26-5-93 के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण को निस्तारित करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया है ? यदि हां, तो तीन माह से अधिक का जी० पी० एफ० स्वीकृति का अधिकार जनपदीय अधिकारियों को स्वतंत्र रूप से न दिये जाने का क्या कारण है ? क्या उनको उक्त अधिकार दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुन्दर सिंह बघेल--

जी हां।

राजकीय कर्मचारियों को जी० पी० एफ० स्वीकृत करने का कोई प्राविधान नहीं है बल्कि जी० पी० एफ० अग्रिम स्वीकृत करने का प्राविधान है,जिसके लिये महीनों की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।

वित्त विभाग द्वारा बनायी गयी सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश नियमावली, 1985 जो कि समस्त विभागों पर सामान्य रूप से लागू है, के प्राविधानों के अन्तर्गत जी०पी० एफ० अग्रिम स्वीकृत किये जाने का अधिकार विभागाध्यक्ष को होने के कारण जनपदीय अधिकारियों को दिया जाना सम्भव नहीं है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम सभा मनौली, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में अपात्र व्यक्तियों को दिये गये भूमि पट्टे की शिकायत

125-श्री तेजभान सिंह-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित नसीम उप प्रधान तथा अन्य सदस्यों के बयान हल्फी सहित दिनांक 15 सितम्बर, 1994 का प्रार्थना पत्र जिसमें ग्राम सभा मनौली, तहसील मुसाफिरखाना, सुल्तानपुर में अपात्रों को पट्टा देने तथा बगैर किसी बैठक, नायब तहसीलदार व तहसीलदार के [illegible] फर्जी पट्टा कर देने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी [illegible] तथा जांच के बाद क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रधान ग्राम सभा बहेड़ा, विकास खण्ड कोट, पौड़ी गढ़वाल द्वारा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को लिखे गये पत्रों के बारे में जानकारी

126-श्री मोहन सिंह रावत गांववासी-

क्या पशुधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सम्बोधित 14 पत्रों के संदर्भ में प्रधान ग्राम सभा बहेड़ा, विकास खण्ड कोट, पौड़ी गढ़वाल का पत्रांक बहेड़ा/5/पशुपालन/96-97 दिनांक 20 फरवरी, 97 विभाग को कब प्राप्त हुआ और पत्र में संदर्भित 14 पत्रों में उल्लिखित समस्याओं के निराकरण हेतु विभाग द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है तथा इन संदर्भित पत्रों में उठाये गये समस्याओं का कब तक निराकरण कर दिया जायेगा ?

श्री सुन्दर सिंह बघेल-

प्रधान ग्राम सभा बहेड़ा खाल विकास खण्ड कोट, जनपद पौड़ी का पत्रांक बहेड़ा/पांच-पशुपालन/96-97, दिनांक 20-2-97 इस कार्यालय में दिनांक 26-2-97 को प्राप्त हुआ तथा पत्रों में वर्णित समस्याओं के निराकरण हेतु कृत कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

(देखिये सभी 'ग' अगले पृष्ठ 97-98 पर)

जनपद सुल्तानपुर की तहसील गौरीगंज के ग्राम मूंही के प्रधान श्री कमलेश बहादुर सिंह की शिकायत पर भूमि के फर्जी इन्द्राज करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध शासन द्वारा कृत कार्यवाही की मांग

127-श्री तेजभान सिंह-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के तीसरे गुरुवार हेतु निर्धारित अता० प्रश्न संख्या-32 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि खतौनी में जाली इन्द्राज किसके द्वारा किये गये हैं ? क्या जाली इन्द्राज करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध शासन द्वारा कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रश्नगत मामले में मा० उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग

128-श्री तेजभान सिंह-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद-गाजीपुर में रिट याचिका संख्या 41417/92 साहब दयाल आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि के वाद में पारित स्थगन आदेश के अनुपालन में याचीगण से कार्य लिया जा रहा है ? क्या उन्हें नियमित रूप से वेतन भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो मा० उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना के लिये दोषी अधिकारियों के प्रति क्या कार्यवाही की गयी है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

जी हां ।

जी हां । कार्यभार ग्रहण करने की तिथि दिनांक 20-2-95 से याचीगण को नियमित रूप से वेतन का भुगतान किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

मौजा सेमरा मुतालिके चिखड़ी परगना पश्चिम राठ, तहसील मिल्कीपुर, फैजाबाद की गाटा संख्या-308 का अभी तक किसी भूमिहीन को पट्टा न दिये जाने की शिकायत

129-श्री मित्रसेन यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाटा संख्या-308 स्थित मौजा सेमरा मुतालिके चिखड़ी, परगना पश्चिम राठ, तहसील मिल्कीपुर, फैजाबाद ग्राम समाज सम्पत्ति है ? यदि हां, तो उसे किसी पात्र व्यक्ति को अभी तक आवंटित क्यों नहीं की गई है ? इसके लिये कौन लोग दोषी हैं ? क्या इस संबंध में स्थानीय राजस्व कर्मी की कोई आख्या तहसीलदार/परगना अधिकारियों को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उक्त के संबंध में क्या कार्यवाही प्रस्तावित है । अब तक कार्यवाही न किये जाने का कारण क्या है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

जी हां ।

पूर्व में भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव न किये जाने के कारण तथा वर्तमान में इस भूमि के संबंध में तहसीलदार मिल्कीपुर के न्यायालय में धारा 122 बी उ० प्र० जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन होने के कारण आवंटन नहीं हो सका ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां । इस भूमि पर श्री देवेन्द्र मणि त्रिपाठी पुत्र श्री प्रेम भूषण मणि त्रिपाठी द्वारा अवैध कब्जा करके मकान बना लिये जाने की रिपोर्ट तहसीलदार मिल्कीपुर के न्यायालय में प्राप्त हुई है ?

तहसीलदार मिल्कीपुर के न्यायालय में धारा 122 बी का वाद दर्ज किया गया है जो विचाराधीन है ।

ग्राम टण्डवा, खण्डसेपुर, मोहम्मदपुर, डूडी परगना खण्डासा, तहसील मिल्कीपुर, फैजाबाद की सीलिंग भूमि पर पट्टाधारियों को कब्जा मिलने की शिकायत

130 श्री मित्रसेन यादव–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1978/1979 में ही ग्राम टण्डवा, खण्डसेपुर, मोहम्मदपुर, डूडी, परगना खण्डासा, तहसील मिल्कीपुर, फैजाबाद में उपलब्ध सीलिंग भूमि का आवंटन उक्त गांव के अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति एवं कमजोर वर्ग के लोगों में करा दी गई थी यदि हां, तो क्या 15 वर्ष बीत जाने के बाद भी आवंटियों को कब्जा नहीं मिल पाया है ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिये कौन लोग दोषी हैं ? आवंटित भूमि पर कब्जा अभी तक न देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार आवंटियों को भौतिक रूप से कब्जा दिलाकर जबरिया जमीन छीनने वालों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम मनौली, परगना व तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में स्थित ग्राम समाज की भू-सम्पत्ति का आवंटन पात्र व्यक्तियों को न करने की शिकायत

131–श्री मित्रसेन यादव–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम मनौली, परगना व तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में स्थित ग्राम समाज सम्पत्ति का आवंटन पात्र व्यक्तियों में नहीं किया गया है क्या यह भी सही है कि उक्त गांव की भूसम्पत्ति इसौली मार्ग पर स्थित होने के कारण व्यवसायिक दृष्टि से काफी कीमती है ? क्या उसे पात्र व्यक्तियों में आवंटित न कर स्थानीय राजस्व कर्मियों द्वारा लाखों रुपये अर्जित कर कुपात्र लोगों को आवास के नाम पर दुकानें बनवा दी गई हैं ? यदि हां, तो इस गम्भीर अनियमितता के लिये कौन दोषी है ? उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्रीमती कुसमा देवी प्रजापति, निवासी ग्राम कैथी, नसीरपुर, तहसील अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर की जमीन पर सबल लोगों का अनधिकृत कब्जा की शिकायत

132 श्री शेर बहादुर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती कुसमा देवी प्रजापति निवासी ग्राम कैथी नसीरपुर, तहसील अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर की भूमि ग्राम के सबल व्यक्ति द्वारा जोर जबरदस्ती के बल पर कब्जा करने सम्बन्धित शिकायत श्री प्रियदर्शी जेतली, पूर्व विधायक दिनांक 24-10-96 को जिला अधिकारी अम्बेडकर नगर से की है ? यदि हां, तो क्या सम्बन्धित महिला को कब्जा दिलाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश बीज तराई विकास निगम में बोरों के स्टाक के बारे में जानकारी

133-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम में 31 जनवरी, 1997 को बोरों का क्या स्टाक था ? क्या यह सही है कि भू०पू० प्रबन्ध निदेशक द्वारा कुलपति होने के बाद लाखों बोरे क्रय किये जबकि उसकी आवश्यकता नहीं थी ? क्या यह सही है कि निगम द्वारा विगत कई वर्षों से बोरे निर्माताओं से न खरीद कर बिचौलियों से क्रय किये जा रहे हैं ? क्या मंत्री जी इसकी पूरी जांच करायेंगे ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम में 31 जनवरी, 1997 को अवशेष 3.02 लाख एल० ट्विल, 8.31 लाख डी० डब्लू० टी०, 40 किलोग्राम, 5.83 लाख 20 किलोग्राम एवं 0.68 लाख 7 किलोग्राम क्षमता के जूट बोरों का स्टाक था ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री केशव प्रसाद सेवा निवृत्त प्रशासनिक अधिकारी कृषि निदेशालय लखनऊ के कनिष्ठ के समकक्ष वेतन निर्धारण तथा भविष्य निधि के संबंध में प्रत्यावेदन की जानकारी

134-हरदेव सिंह-

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री केशव प्रसाद, सेवा निवृत्त प्रशासनिक अधिकारी, कृषि निदेशालय, लखनऊ के कनिष्ठ के समकक्ष वेतन निर्धारण तथा भविष्य निधि के अवशेष भुगतान विषयक प्रत्यावेदन दिनांक 15-7-96 एवं पूर्व प्रत्यावेदनों तथा राज्य मंत्री श्रम एवं सेवायोजन का पत्र सं० 774/जी/एस.एम.एल./97 दिनांक 23-5-97 सचिव, कृषि व उपकृषि निदेशक, मुख्यालय का पत्रांक मु०प० 5177 दिनांक 22-12-86 उप सचिव, कृषि अनुभाग-9 को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो क्या सत्य है कि ऐसे ही एक अन्य कनिष्ठ के समकक्ष वेतन निर्धारण के प्रकरण में उप सचिव, कृषि अनुभाग-9 के पत्रांक 217/12-9-95, दिनांक 30-5-95 द्वारा कनिष्ठ के समकक्ष वेतन निर्धारण के निर्देश निर्गत किये गये हैं ? क्या उसी आधार पर श्री केशव प्रसाद के प्रकरण का निस्तारण अब तक नहीं हो सका है ? यदि हां, तो क्यों तथा कनिष्ठ के समकक्ष वेतन निर्धारण एवं अवशेष सम्पूर्ण राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी-

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं, दोनों प्रकरण पृथक-पृथक हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तत्कालीन सचिव, युवा कल्याण श्री यशपाल वशिष्ठ द्वारा सहायक निदेशक युवा कल्याण से मांगे गये स्पष्टीकरण के संबंध में जानकारी

135-श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

क्या युवा कल्याण मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि तत्कालीन सचिव, युवा कल्याण विभाग उ० प्र० शासन डा० यशपाल सिंह के हस्ताक्षर से कोई पत्र संख्या-897/पचास-यु०क०

1993 दिनांक 12 जुलाई, 1993 जो सहायक निदेशक युवा कल्याण श्री आर० पी० यादव के संबंध में था, जारी किया गया था जिसमें श्री यादव से स्पष्टीकरण मांगे गये थे । यदि हां, तो किन-किन बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया था और अब तक उन बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ अथवा नहीं ? क्या यह सही है यह पत्रावली युवा कल्याण अनुभाग में ही दबा कर रख दी गयी है ? क्या मंत्री जी सचिव का पत्र, प्राप्त स्पष्टीकरण तथा उस पर की गयी कार्यवाही सहित सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जी हां ।

वर्ष 1991-92 में श्री यादव को ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजनार्थ दिये गये अग्रिम के व्यय/समायोजन में उनके द्वारा की गयी अनियमितताओं के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था ।

जी हां, प्राप्त हुआ ।

जी नहीं ।

जी नहीं । जांचोपरान्त श्री यादव को निलम्बित किया जा चुका है तथा विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गबन के आरोपी जिला पंचायत के हमीरपुर के लेखाकार के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

136–श्री विजय पाल सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि शा० प० सं० 1402वी/33-2-93-(800)2) दि/90, 6-4-93व शा० आ० सं० 5388वी/33-2-95-(800)2/90, दि० 2-5-95 के संबंध में रुपये 1.50 लाख के गबनके आरोप में जिला पंचायत, हमीरपुर के लेखाकार को दोषी पाया गया है ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जिला पंचायत, हमीरपुर में रु० 1.50 लाख के गबन के प्रकरण में जिला पंचायत के लेखाकार को प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाया गया था ।

मामले की विशेष सम्परीक्षा निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से करायी जा रही है । सम्परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषी कार्मिक के विरुद्ध संगत सेवा नियमों के अधीन आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

देवरिया पडरौना में इंडिया मार्का हैण्ड पम्प लगाये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

137–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का देवरिया तथा पडरौना जनपद में इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प लगाने हेतु शासन को पत्र प्राप्त हुआ जिसे मण्डी निदेशक, को जनवरी तथा फरवरी, 1997 में संदर्भित कर हैण्ड पम्प लगाने की अपेक्षा की गयी थी ? यदि हां तो उसकी प्रगति क्या है ? यदि नहीं, क्यों क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

प्रश्नकर्ता का पत्र जनवरी, 97 प्राप्त हुआ जिसमें केवल देवरिया जनपद में हैण्डपम्प लगवाने का अनुरोध किया गया था। पत्र में पडरौना का कोई उल्लेख नहीं है।

मण्डी समिति बरहज बाजार (देवरिया) से प्रस्तावित हैण्डपम्प स्थापना का प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु मण्डी परिषद् द्वारा अनुरोध किया गया है।

जनपद गोरखपुर की तहसील चौरी चौरा के तहसीलदार ने ग्राम प्रधान विशुनपुर मटियरा तहसील चौरी चौरा गोरखपुर का गाटा संख्या 419/2 का नवैयत बदलने के संबंध में जानकारी

138–श्रीमती गौरी देवी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील चौरी चौरा के तहसीलदार ने अपने कार्यालय के पत्रांक मेमो/र०का० दिनांक 23-8-96 ई० में ग्राम प्रधान विशुनपुर मटियरा तहसील चौरी चौरा गोरखपुर को संबंधित पत्र में गाटा संख्या 419/2 धोबी घाट की नवैयत बदलने तथा आवंटन की कार्यवाही करने हेतु लिखा है तथा इसकी प्रतिलिपि संबंधित लेखपाल को भी प्रेषित की है? यदि हां, तो प्रस्ताव दिनांक 25-12-96 के अनुमोदनार्थ संबंधित फाइल बनाकर लेखपाल को प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार व उप जिलाधिकारी चौरी चौरा को जनवरी, 97 से अब तक पूर्व विधायक व सांसद श्री फिरंगी प्रसाद विशारद के कितने पत्र प्राप्त हुए हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? पट्टा कब तक पुष्ट कर दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है।

139–श्री राम विशुन आज़ाद–

[दूसरे मंगलवार में अता० प्र० सं० 179 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विभाग में सीनियर इंजीनियर के रहते कितने जूनियर अधिकारियों को उप निदेशक मण्डी परिषद् (निर्माण) बनाये गये लोगों का विवरण तथा मूल विभाग में वापसी

140–श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभागीय सीनियर इंजीनियरों के रहते कितने जूनियर अधिकारियों को उप निदेशक मण्डी परिषद् (निर्माण) बनाया गया है ? क्या उन्हें अपने मूल विभाग को वापस भेजा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

काम चलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आये दो सहायक अभियन्ताओं को उप निदेशक (निर्माण) का प्रभार सौंपा गया है।

इन अभियन्ताओं की प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने अथवा मण्डी परिषद् के अपने अभियन्ताओं की व्यवस्था होने पर, इन्हें मूल विभागों में वापस भेजा जायेगा ?

मण्डी परिषद् में शासनादेशों के विरुद्ध नियुक्ति की शिकायत

141–श्री वीरेन्द्र सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश के विरुद्ध मण्डी परिषद् में कर्मचारियों को नियमित दैनिक वेतन भोगी अथवा अस्थाई नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस बारे में नियमानुसार कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं ।

शासनादेशों के विरुद्ध कोई नियुक्ति नहीं की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

142–श्री वीरेन्द्र सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश के खाद विक्रेताओं द्वारा नकली खाद बेचे जाने की शिकायत

143–श्री स्वामी ओइमवेश–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के खाद विक्रेताओं द्वारा नकली डी० ए० पी० व दूसरी नकली खादें बिना किसी भय के बाजार में बेची जा रही है जिससे किसान को भारी हानि हो रही है ? क्या सरकार ऐसे खाद के विक्रेताओं के खिलाफ कोई प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

नकली खादें विक्रय का कोई प्रकरण शासन के संज्ञान में नहीं आया है ?

उर्वरकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश में उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985/आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्राविधानानुसार कार्यवाहियां बराबर की जा रही हैं ।

प्रदेश में नकली खाद विक्रेताओं के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही की जानकारी

144–श्री स्वामी ओइमवेश–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान में कितने खाद बनाने के कारखाने चल रहे हैं ? क्या सरकार ने खाद की क्वालिटी की जांच कराई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? प्रदेश में कितने कारखाने अच्छी किस्म के खाद बना रहे हैं ? कितने नकली खाद तैयार करते हैं ? पकड़े गये नकली खाद निर्माताओं के खिलाफ शासन ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

प्रदेश में वर्तमान में उर्वरक बनाने के 75 कारखाने चल रहे हैं ।

जी हां ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

उक्त कारखाना परिसरों से उर्वरकों की गुणवत्ता परीक्षण हेतु वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में ग्रहीत क्रमशः 628 एवं 164 नमूनों के विश्लेषण पर 20 नमूनें तत्वों में आंशिक कमी पाये जाने के

कारण अमानक घोषित हुए हैं ? यह अमानक घोषित नमूने 13 कारखानों से सम्बन्धित हैं, तथापि नकली खाद तैयार करने का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है ।

उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के प्राविधानानुसार उक्त अमानक नमूनों से सम्बन्धित कारखानों में से 4 के पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त एक का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निलम्बित, एक की बिक्री प्रतिबन्धित तथा दो को चेतावनी दी गयी है । एक प्रकरण अपील में है जबकि चार प्रकरण उक्त आदेश की धारा–3। के तहत पंजीकरण प्राधिकारी के स्तर पर सुनवाई हेतु लम्बित हैं ।

प्रदेश में कृषि उपयोगी नकली कीटनाशक दवाइयों के निर्माण के संबंध में शिकायतें

145–श्री स्वामी ओइमवेश–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में भारी पैमाने पर नकली दवाइयों के बनने के कारण कृषकों द्वारा इन दवाइयों का उपयोग करने से उनकी फसलों को कोई लाभ नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार नकली दवाइयों के निर्माण एवं उसका विक्रय करने वालों के विरुद्ध कोई अभियान चलाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नकली दवाइयों के निर्माण एवं बिक्री के रोक कार्य हेतु कृषि रक्षा रसायनों के नमूनों का विश्लेषण अधिसूचित प्रयोगशालाओं में बराबर कराया जाता है ।

नवसृजित ज्योतिबा राव फूले नगर में जनपद बिजनौर के विलीन क्षेत्रों की जानकारी

146–श्री स्वामी ओइमवेश–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ज्योतिबा राव फूले नगर नया जिला बनाने की घोषणा मुख्य मंत्री ने की है ? यदि हां, तो उसमें जनपद बिजनौर का कौन-कौन सा क्षेत्र शामिल किया जायेगा और किस आधार पर ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

नवसृजित जनपद ज्योतिबा राव फूले नगर में जनपद बिजनौर का कोई भी क्षेत्र सम्मिलित नहीं किया गया है ।

147–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[दूसरे मंगलवार में अता० प्र० सं०–178 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

तहसील मिल्कीपुर, जिला फैजाबाद के ग्रामों में हुए कतिपय अग्निकाण्डों के विवरण एवं पीड़ित परिवार की सहायता की मांग

148–श्री मित्रसेन यादव–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील मिल्कीपुर, फैजाबाद में स्थित ग्रामों में विगत चार माह मार्च, अप्रैल, मई, जून, 1997 में अग्निकांड की गम्भीर घटनायें किन-किन गांवों में किन-किन तारीखों में घटित हुई हैं और अग्निपीड़ित परिवारों को सहायता धनराशि कब आवंटित की गयी है ? विलम्ब का कारण क्या था ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद फैजाबाद की तहसील मिल्कीपुर के कतिपय ग्रामों में विगत चार माह में क्रमशः मार्च, अप्रैल, मई एवं जून, 1997 में अग्निकांड की घटना घटित हुई थी । घटना का विवरण ग्रामवार, तिथिवार एवं वितरित राहत सहायता का दिनांक इस प्रकार है :––

अग्निकाण्ड से प्रभावित ग्राम	अग्निकाण्ड की घटना का दिनांक	अग्निकाण्ड से पीड़ित परिवारों को वितरित राहत सहायता का दिनांक
माह मार्च, 97		
1–इटौंजा	8-3-97	13-3-97
2–पाराखानी	17-3-97	28-3-97
3–विरौलीझाम	18-3-97	22-3-97 28-3-97
4–महुआ	18-3-97	29-3-97
माह अप्रैल, 97		
1–बघौड़ा	24-4-97	3-5-97
2–गौहनिया	25-4-97	3-5-97
माह मई, 97		
1–मिश्रौली	2-5-97	29-5-97
2–ईछोही	4-5-97	20-5-97
3–डीली सरैया	10-5-97	20-5-97
4–चन्दौरा	12-5-97	25-5-97
5–गहनाग	13-5-97	29-5-97
माह जून, 97		
1–रानिकपुर	16-6-97	20-6-97

इस प्रकार उक्त विवरण से विदित है कि अग्निकाण्ड से प्रभावित परिवारों में राहत सहायता विवरण में विलम्ब नहीं हुआ है ।

ग्राम सभा मनौली, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में अवैध पट्टे दिये जाने की शिकायत

149–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री नसीम खां, उप प्रधान, ग्राम सभा तथा 7 सदस्यों के शपथ-पत्र के साथ ग्राम सभा मनौली, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में अवैध रूप से फर्जी पट्टे दिये जाने संबंधी शिकायती-पत्र दिनांक 15 सितम्बर, 1994 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी से करायी गयी ? क्या शिकायतकर्ता को भी जांच में साक्ष्य हेतु बुलाया गया ? यदि हां, तो जांचोपरान्त क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

तहसील गौरीगंज, जिला सुल्तानपुर के अभिलेखों में अनियमित इन्द्राज करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

150–श्री नेजभान सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के पांचवें गुरुवार हेतु निर्धारित अता० प्रश्न सं०–31 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित तहसील में अभिलेखों के अनुरक्षण एवं उसमें इन्द्राज करने का अधिकार किस व्यक्ति को सौंपा गया था ? अभिलेखों में हेराफेरी होने पर नियमानुसार उस व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या संदर्भित प्रकरण में इस तथ्य की छानबीन की गयी ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा तथा कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ?

ग्राम बरही नेवादा, परगना पन्द्रह, तहसील व जिला बाराणसी में भू-चित्र की प्रतियां उपलब्ध कराने की मांग

151 श्री छब्बू पटेल–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1995 के दूसरे गुरुवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न सं०–113 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बरही नेवादा परगना पन्द्रह, तहसील व जिला वाराणसी के रिकार्ड रूम में फसली सन् 1247 तथा फसली सन् 1291 का नक्शा (भू-चित्र) की प्रतियां राजस्व परिषद् के अभिलेखागार से उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोरखपुर की तहसील चौरी चौरा के बिशुनपुर मटियरा के भूखंड संख्या 419/1 के पट्टे का मामला

152–श्रीमती गौरी देवी–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर की तहसील चौरी चौरा के ग्राम बिशुनपुर मटियरा के भूखण्ड संख्या 419/1 हरिजन बस्ती की जमीन का पट्टा नये ढंग से (दुबारा) भूमि प्रबन्धक समिति ने दिनांक 25-12-96 में चार दलित वर्ग के लोगों के पक्ष में कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसकी पत्रावली तैयार कर अनुमोदन कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मैनपुरी में असंक्रमणीय भूमिधरी के पट्टों पर कब्जा दिलाये जाने का विवरण

153–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मार्च, 97 से दिनांक 18-6-97 तक जनपद मैनपुरी में कितने असंक्रमणीय भूमिधरी के पट्टों पर कब्जा दिलाये गये उनमें से कितने अनुसूचित जाति से सम्बन्धित हैं ?

क्या सरकार ने ऐसा कोई सर्वेक्षण कराया है कि अब तक कितने अनुसूचित जाति के लोगों को असंक्रमणीय भूमिधरी के पट्टों पर कब्जा दिलाया जाना शेष है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मार्च, 1997 से 18-6-97 तक जनपद मैनपुरी में कुल 5633 असंक्रमणीय भूमिधरों के पट्टों का कब्जा दिलाया गया। अनुसूचित जाति से सम्बन्धित पट्टों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कराया जा रहा है।

ग्राम लीलाडेवा, विकास खण्ड म्योरपुर, जिला सोनभद्र के ग्राम प्रधान के जाति पर विवाद तथा बर्खास्तगी की मांग

154–श्री विजय सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र विकास खण्ड म्योरपुर के ग्राम लीलाडेवा का प्रधान पद पिछड़ी जाति के लिये आरक्षित करके गजट किया था, जिस पर रामलखन जायसवाल (कलवार) जाति का प्रधान चुना गया है ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उ० प्र० पिछड़ी जाति की सूची में जायसवाल या कलवार जाति पिछड़ी जाति में है ? यदि नहीं, तो उक्त प्रधान को बर्खास्त करते हुए जाली प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारी को दण्डित करेंगे ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

मौजा मिठौरा, तहसील निचलौल, जनपद महराजगंज में दलित वर्ग की लोगों की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत

155–श्री शिवेन्द्र सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मौजा मिठौरा, तहसील निचलौल, जनपद महराजगंज में दलित वर्ग के लोगों को सीलिंग की भूमि खेती करने हेतु दी गयी थी और आराजी नं० 416 पर उपज की मड़ाई के लिये खलिहान के रूप में सदैव से प्रयोग में है ? क्या उस बीच दबंग लोगों द्वारा दलित लोगों को खलिहान के प्रयोग से रोक कर उक्त भूमि में अवैध कब्जा का प्रयास किया जा रहा है ? क्या उप जिलाधिकारी एवं समस्त पुलिस प्रशासन के जानकारी के बावजूद भी दलितों की इस समस्या का समाधान प्रशासन दबंग व्यक्तियों के प्रभाव में नहीं कर रहा है ? क्या पीड़ित व्यक्तियों की मदद करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

जी हां।

जी नहीं। सिविल न्यायालय द्वारा उभय पक्षों को यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश के कारण कार्यवाही नहीं हो पा रही है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर प्रधान का चुनाव लड़ने की शिकायतें

156–श्री नारायण राम दास–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर ग्राम प्रधानों के चुनाव लड़ने के कितने प्रकरण प्रकाश में आये ? क्या फर्जी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

एक प्रकरण प्रकाश में आया है ।

जनपद लखनऊ के विकास खण्ड चिनहट की ग्राम पंचायत कमलापुर पूरब गांव के प्रधान पद हेतु निर्वाचन लड़ने का एक प्रकरण प्रकाश में आया । श्री लाल बिहारी, जो कलवार जाति के हैं, ने हलवाई जाति का फर्जी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रधान पद का निर्वाचन लड़ा है, जबकि कलवार जाति पिछड़ी जाति के अन्तर्गत नहीं आती है । इसकी जांच उप जिलाधिकारी, बक्शी का तालाब द्वारा कराई गयी तथा तहसीलदार, बक्शी का तालाब द्वारा फर्जी जाति प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया गया है । खण्ड विकास अधिकारी, चिनहट द्वारा श्री लाल बिहारी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना गाजीपुर में दिनांक 3-5-95 को दर्ज करा दी गई है । वर्तमान में यह प्रकरण मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ, लखनऊ में विचाराधीन है ।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

बबराला काण्ड को नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 17-7-97 को नियम 311 के अन्तर्गत जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं उनमें पहली सूचना सर्वश्री डा० अशोक बाजपेई, रामतेज सैनी, अम्बरीष कुमार, अवधेश प्रसाद, शिवपाल सिंह यादव, रामतेज यादव एडवोकेट की जनपद बदायूं के बबराला में 31 मई, 1997 को धरने पर बैठे लोगों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज एवं अत्याचार के संबंध में है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, पहले आप औचित्य के प्रश्न को ले लें ।

श्री अध्यक्ष–

कार्यवाही प्रारम्भ होने के समय ही मैंने कह दिया था कि प्रश्नकाल के समाप्ति के बाद 311 की सूचनायें ले लेंगे । माननीय पाल जी जो आप कहना चाह रहे हैं, उसको बाद में सुन लेंगे ।

311 की सूचना पर जिन माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, उनमें से दो माननीय सदस्य बोल लें ।

(श्री अवधेश प्रसाद के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय अवधेश प्रसाद जी, इससे पहले कि आप बोलें, मेरी एक जिज्ञासा का उत्तर दे दें तो अच्छा रहेगा । नियमावली का नियम–311 देख लें इसमें है कि "कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेंगे, कि किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित कर दिया जाय और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो वह नियम उस समय के लिये निलम्बित कर दिया जायेगा ।"

आपने जो सूचना दी है उसमें अनुरोध किया है कि नियमों को शिथिल करते हुए सदन की कार्यवाही स्थगित कर इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा करायी जाये । यह तो नियम–56 के अन्तर्गत आ जायेगा, नियम 311 के अन्तर्गत नहीं आता है । आपने इस बात पर बल दिया है कि घटना महत्वपूर्ण है इसलिये आपको सुन लेते हैं लेकिन आप अपनी बात में इसकी ग्राह्यता का उल्लेख कर दें कि नियम–311 में किस प्रकार से बनता है ।

* श्री अवधेश प्रसाद–

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद बदायूं राज्य के सबसे पिछड़े जिलों में से एक है जहां पर डबराला है। यहां पर टाटा केमिकल्स कम्पनी में यूरिया खाद बनाने का एक कारखाना बना रखा है । जब कारखाने की शुरुआत हो रही थी तब तीन गांवों के किसानों, जिसमें 600 किसान हैं उनकी भूमि को अधिग्रहीत किया गया था । भूमि अधिग्रहण के समय यह तय किया गया था कि किसानों को उचित मुआवजा और परिवार के एक-एक व्यक्ति को नौकरी दी जायेगी लेकिन यह काम नहीं हुआ तो 3 गांवों के किसानों, जिसमें 600 किसान हैं, में असन्तोष बढ़ता गया । 7 मई, 1997 को किसानों ने मिल गेट के सामने शान्तिपूर्ण ढंग से सभा करना शुरू किया । यह सिलसिला 16-5-97 तक चलता रहा । लेकिन 17 मई, 1997 से उसका रूप थोड़ा बदल गया, सभा के स्थान पर धरना हो गया । धरना चलता रहा । 17 मई, 97 को धरना शुरू हुआ तो वहां के एस० डी० एम० और सी० ओ०, रजपुरा थाने के एस० ओ० ने प्रदर्शनकारियों पर आक्रमण किया जिसमें 72 लोगों को गम्भीर चोटें आयीं । गम्भीर चोटें आयी और दो लोगों को फ्रैक्चर हुआ । एक 60 साल की महिला और एक जाटव का पैर टूट गया । इस 17 तारीख के बाद 24 तारीख से फिर अनशन शुरू हुआ, यह अनशन 31 तारीख तक चलता रहा । इस पूरे मामले में जो सबसे गम्भीर और हृदयविदारक घटना है वह 31 तारीख की रात में सुबह के 4 बजे की है। इस दिन बदायूं के जिलाधिकारी, एस० पी०, एडीशनल एस० पी० अपने साथ एक हजार पुलिसकर्मियों को लेकर उन तीन गांवों नाइकोमडइया, मेंदवा, पिपरी पर हमला बोल दिये । जो लोग अनशन पर बैठे हुए थे, वह रात की वजह से सो रहे थे, उनको मारा पीटा गया । इस मारपीट से एक, एक साल का बच्चा और एक डेढ़ साल की लड़की जो गोद में थी, मर गई । वहां 6-6 महिलाओं के साथ, जिसमें एक कुंवारी लड़की भी थी, के साथ बलात्कार किया गया । श्रीमन्, यह कोई मामूली घटना नहीं है । श्रीमन्, आज केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरा हिन्दुस्तान स्वतंत्रता दिवस की स्वर्णिम जयन्ती मना रहा है । ऐसे मौके पर 6-6 महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, लूटा गया, दो बच्चों की जान चली गयी । इस घटना में 9 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को भी जेल भेजा गया । 60 साल से 70 साल की 37 महिलाओं को जेल में बंद किया गया । मान्यवर, मई-जून का महीना शादी–ब्याह का महीना होता है । इस महीने में इन तीनों गांवों में एक दर्जन लड़के-लड़कियों की शादी थी । इन परिवारों में लोगों ने जेवर बनवा रखे थे, पैसा इकट्ठा किया था । इस घटना के दौरान इन शादी वाले घरों में पुलिस ने लोगों को लूटा और 2 लाख 40 हजार के जेवर तथा 15 लाख की नकदी लूट लिया । इस गांव में घटना की वजह से इन लड़के-लड़कियों की शादी भी नहीं हो पायी ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

आपने जो सूचना दी है, उसमें 2 लाख 40 हजार के जेवर और 15 लाख की नकदी की बात नहीं लिखी है ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, संसदीय लोकतंत्र में आन्दोलन होता है, लाठीचार्ज भी होता है, आंसूगैस भी छोड़ी जाती है, फायरिंग भी होती है, लेकिन आज तक हमने कभी भी नहीं सुना था कि बलात्कार किया जाय, डकैती की जाय,

(सत्ता पक्ष की ओर से कई सदस्यों द्वारा टोकाटाकी करने पर घोर व्यवधान)

यह घटना आजाद हिन्दुस्तान में ऐसी पहली घटना है, जिसमें लूटपाट की जाय, हत्या की जाय, लाठीचार्ज किया जाय और मारा पीटा जाय, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, हिन्दुस्तान में ही नहीं, दुनिया की यह पहली घटना है जबकि आन्दोलनकारियों के ऊपर, उनकी जायज मांगों के होने हुए, उनके साथ बलात्कार किया गया । उनके यहां डकैती की जाय, लूटपाट की जाय और दुधमुंहे बच्चे को डंडे से गोली से मारकरहत्या की जाय,यह अत्यन्त दर्दनाक तथा दुखद घटना है । इसमें 199 लोगों का चालान किया गया है । इन्हें आई० पी० सी० की धारा 147, 148, 149, 307, 336, 332, 353 तथा 7 क्रिमिनल ला अमेन्डमेन्ट ऐक्ट के अन्तर्गत जिसमें जमानत नहीं होती, में जेल भेजा गया । इस शर्मनाक घटना से उत्तर प्रदेश सरकार कटघरे में है । यह इतना संवेदनशील मामला है जिसमें जिलाधिकारी की मौजूदगी में, कप्तान की मौजूदगी में यह घटना हुई है ।

श्री अध्यक्ष–

कितने लोगों का चालान किया गया

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, इसमें 199 लोगों का चालान किया गया जिसमें कि 9 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के 14 बच्चे, 37 महिलाएं सबको मिलाकर 199 हैं जिसमें महिलायें 60 वर्ष से 70 वर्ष की आयु की हैं जिन्हे गम्भीर चोटें आयी हैं । इस मामले में यह भी जानकारी मिली है कि इसमें समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमण्डल गया था जिसमें हमारे नेता और इस देश के रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव भी गये थे, नेता विरोधी दल गये थे । श्रीमन्, यह जांच रिपोर्ट हमारे सामने है । इसको देखा जाय तो ऐसा लगेगा कि यह बहुत गम्भीर मामला है । इस मामले में प्रथमदृष्टया वहां का प्रशासन दोषी है । यह काण्ड जिलाधिकारी, एस० एस० पी०, कमिश्नर और डी० आई० जी० के निर्देशन में हुआ है और यह इसलिये हुआ है ताकि किसान अपनी जायज मांगों को मांग न सकें । इसके लिये उत्तर प्रदेश की सरकार भी कटघरे में है इसमें आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है मैं मांग करता हूं कि जिन [illegible] के साथ बलात्कार हुआ है उनको 10-10 लाख रुपया मुआवजा दिया जाय और साथ ही जिम्मेदारों को हर्जाना दिया जाये और मुकदमें वापिस लिये जायं । चूंकि इस मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार कटघरे में है इसलिए इसकी जांच सी०बी०आई० से कराई जाय । इन शब्दों के साथ मैं इस पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं । जिन नेताओं ने इसमें हस्तक्षेप किये है उनकी भी सुन लिया जाय ।

श्री राम सिंह सैनी--

मान्यवर, जैसा कि माननीय विधायक महोदय ने इस सदन का ध्यान आकृष्ट किया है उसी में मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह महत्वपूर्ण घटना है। मान्यवर, 3 गांव के लोग आन्दोलन कर रहे थे, उनकी जायज मांगें थी और जो टाटा केमिकल्स लिमिटेड ने खाद का कारखाना स्थापित किया था उसमें एग्रीमेन्ट हुआ था लेकिन अभी तक मुआवजे का 9 लाख 40 हजार रुपया भूस्वामियों को नहीं मिला है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि बहुत सी ऐसी जमीन है जिसे टाटा केमिकल्स लि० द्वारा जबरन हथिया ली गयी है और असहाय, गरीब किसान को उसका मुआवजा देने की बात नहीं की जा रही है। इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यह भी तय हुआ था, कि हर परिवार के एक बच्चे को नौकरी दी जायेगी लेकिन अभी तक मात्र 9 बच्चों को नौकरी पर रखा गया है और वह भी मात्र मेरिट के आधार पर, जमीन अधिग्रहण से उसका कोई वास्ता नहीं है। तो इस तरह से जो कहा गया था कि हर परिवार के एक बच्चे को नौकरी दी जायेगी उसमें किसी को भी अभी तक नौकरी पर नहीं रखा गया है।

मान्यवर, जो लोग आन्दोलन कर रहे थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस तरह से हमें अंहिसात्मक तरीके से आन्दोलन करने का रास्ता दिखाया था उसी तरह से अपनी जायज मांगों के संबंध में वह अहिंसात्मक आन्दोलन कर रहे थे लगभग 1000 पुलिस कर्मियों द्वारा 4 बजे उन पर हमला बोल दिया जाता है जिसमें लोगों को गंभीर चोटें आई है, फैक्चर हुए है हड्डी टूट गयी है और दो बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया है।

मान्यवर, यह जनहित का मामला है, पुलिस ने बर्बर अत्याचार किया है, हम यह मांग करते हैं कि सदन की कार्यवाही स्थगित करते हुए इस महत्वपूर्ण हृदय विदारक प्रश्न पर चर्चा करायी जाय।

डा० अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, जिस घटना का जिक्र माननीय सदस्यों ने किया है, जब देश आजादी की स्वर्ण जयन्ती मना रहा है, बबराला में यह जो बर्बर घटना घटी है यह मानवता पर एक धब्बा है। मान्यवर, अपने अधिकारों के लिये, अपनी जायज मांगों को रखने के लिये महात्मा गांधी द्वारा बताये अहिंसा के आन्दोलन को चलाने का काम वे लोग कर रहे थे। उन सत्याग्रहियों पर पुलिस प्रशासन ने बर्बर लाठीचार्ज किया, महिलाओं की इज्जत लूटी गयी, इस घटना मे जिस तरह मानवता को कुचला गया उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलेगी। 31 मई का दिन उत्तर प्रदेश के इतिहास में काले दिन के रूप में लिखा जायेगा। 37 महिलाओं के साथ जिसमें 14-14 साल की लड़कियां थीं, बलात्कार किया गया। मान्यवर, सरकार की ओर से अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का काम नहीं किया गया है। टाटा केमिकल्स के प्रबन्धकों के इशारे पर बर्बर लाठीचार्ज करने का काम किया गया है जिसकी मैं घोर निन्दा करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच, उत्तर प्रदेश सरकार की किसी एजेन्सी से नहीं हो सकती है, इसकी जांच सी० बी० आई० से करायी जाय।

मान्यवर, आप इस पर अध्यक्ष पीठ से निर्देश दें कि इस पूरे प्रकरण की सी० बी० आई० से जांच करायी जाय ताकि सत्ता में जो लोग बैठे हैं जिन पर भी इसकी कालिख लगी हुई है, सामने आ सके। टाटा केमिकल्स के इशारे पर बड़े उद्योगपतियों के इशारे पर बड़े लेन देन के आधार पर ग्रामवासियों के

वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

आन्दोलन को कुचलने का काम किया गया है 37 महिलाओं को जेलों में डाला गया, कक्षा 4-5 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर आपराधिक मुकदमें इसमें कायम किये गये हैं जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिल सकती है। सत्याग्रहियों को मारा गया, जेवर लूटे गये, लाखों रुपये की नगदी लूटी गयी, उनके नुकसान की भरपाई के लिये तत्काल मुआवजा देने का काम सरकार करे।

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

पाल साहब कृपया बैठ जायं।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, इससे महत्वपूर्ण विषय आज कोई दूसरा नहीं हो सकता। आज हम जब लोकतंत्र की वर्ष मनाने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र की यह सबसे बड़ी संस्था विधान सभा है, इस शर्मनाक घटना से सदन चिन्तित नहीं होता है तो यह दोषी अधिकारी लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का काम करते रहेंगे, लोकतंत्र के शासन को कुचलने का काम करेंगे।

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

कोई चर्चा नहीं हो रही है मैं केवल ग्राह्यता पर सुनने का काम कर रहा हूं। यह नियम 311 में किस तरह से सूचना आ रही है, इसका उल्लेख किसी माननीय सदस्य ने नहीं किया है। माननीय पाल जी आपको इस पर सूचना नहीं है।

* श्री शिवपाल सिंह यादव–

मान्यवर, 31 मई की वह काली रात आजादी के बाद की सबसे काली रात है इस दिन बदायूं जिले के बागों की मढ़ैया, पवारी गाव, हसनपुर के लोग अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे थे।

माननीय अध्यक्ष जी 31 मई की रात को तीन गांवों के आन्दोलनकारी जो सो रहे थे उनको जगा बदायूं जनपद की पुलिस ने तथा टाटा कैमिकल्स लिमिटेड के प्रबन्धकों ने इकट्ठा होकर के बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, महिलाओं के साथ दुष्कार किया तथा उनके जेवरों को लूटा।

श्री अध्यक्ष–

आप ग्राह्यता पर बोलें। ये बातें तो पहले आ चुकी हैं।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

बरेली के कमीश्नर ने, डी०आई०जी० होशियार सिंह ने, जनपद बदायूं के जिलाधिकारी ने व अपर पुलिस अधीक्षक ने तथा पुलिस ने–इन सबने मिलकर उन अनशनकारियों पर हमला किया बलाई, महिलाओं के साथ बलात्कार किया। यही नहीं मान्यवर, अवयस्क लड़कियों के साथ पुलिस ने बलात्कार किया और महिलाओं के जेवर भी लूटे। इसलिये मेरी मांग है कि इन दोषी अधिकारियों के खिलाफ व पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किये जायं और इस समूचे प्रकरण की जांच सी०बी०आई० से कराई जाय। इसके साथ ही जिन लोगों को चोटें आयी हैं और जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, उन्हें मुआवजा दिया जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, 311 के अन्तर्गत जो सूचना आज इस आदरणीय सदन में दी गई है, उसकी ग्राह्यता के बारे में आपसे कहना चाहता हूं। यह घटना एक ऐसी व्यवस्था के अन्तर्गत हुई है जहां पर सरकार का गठन बाई दि पीपुल, फार दि पीपुल और आफ दि पीपुल के आधार पर होना है। कहने का मतलब जनता की सरकार, जनता के लिए सरकार और जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है। आज हम स्वतंत्रता की 50वीं वर्ष गांठ मना रहे हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि शान्तिपूर्वक अनशनकारियों के विरुद्ध यदि इसी तरह से यह सरकार अपना व्यवहार करेगी, जो जनता की सरकार है, जनता के लिए है और जनता द्वारा चुनी गई सरकार है तो यह प्रजातंत्र कैसे जिन्दा रहेगा ? जब हम प्रजातंत्र की बात करते हैं तो वहीं पर टौलरेन्स अर्थात् सहिष्णुता की भी बात करते हैं। आज ये लोग सत्ता पक्ष में बैठे हैं और हम विपक्ष में बैठे हैं यदि इसी प्रकार से सहिष्णुता को खत्म कर दिया जायेगा तो कैसे प्रजातंत्र जिन्दा रहेगा ? वहां पर अनशनकारियों से पूछा जा रहा था कि आपने वोट किसको दिया और उनके ये कहने पर कि समाजवादी पार्टी को वोट दिया तो उन्हें बर्बरतापूर्वक पीटा गया। जनता की वह श्रद्धा थी कि समाजवादी पार्टी को वोट दिया परन्तु पुलिस के जरिये यह सरकार शासन चलाना चाहती है जिससे प्रजातंत्र की नींव कमजोर हुई है और उसे कमजोर करने का काम यह सरकार कर रही है। यदि यही हालत रही तो हम अपनी आजादी को कायम रख पायेंगे कि नहीं रख पायेंगे यह विचारणीय है। आज बबराला काण्ड हमारे प्रजातंत्र के लिए एक अस्तित्व का प्रश्न बन गया है। इसलिए 311 के तहत आप इसकी ग्राह्यता को स्वीकार करें, और इस पर चर्चा करायें।

* श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, नियम–311 के तहत जिस मामले को आपके संज्ञान में लाया जा रहा है उससे अधिक महत्व का और कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता है। माननीय सदस्यों ने जो विचार यहां पर रखे, उसके पीछे एक मन्शा यह भी है कि बबराला जैसा घिनौना काण्ड फिर किसी जनपद में न होने पाये। इसलिये मान्यवर, आपको इस विषय पर गम्भीर कदम उठाने पड़ेंगे ताकि उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ जो इस प्रकार की घटनायें घटती रहती हैं, वह दुबारा न होने पायें। जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दो-दो बार गये तथा अन्य दलों के लोगों की कमेटियां गईं और सत्तारूढ़ पार्टी के लोग वहां जाते हैं तो वह ऐसी रिपोर्ट लाते हैं जिससे किसान आहत होता है वहां पर 60, 70 साल के बुजुर्गों के साथ अत्याचार किया गया उनको लूटा गया, उनके जेवरात छीन लिये गये महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, छोटी-छोटी लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया इतना बड़ा संवेदनशील मामला यहां पर लाया गया और इसे यहां पर सरसरी तौर से लिया जा रहा है।

मान्यवर, यह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण मामला है और मैं यह चाहूंगा कि इसकी जांच सी०बी०आई० के द्वारा कराई जाय। जब आपके पास रिपोर्ट आ गई है तो इस महत्वपूर्ण मामले को गोल-मोल करके टालने की आवश्यकता नहीं है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा वह यह है कि जब से बसपा और भाजपा का नापाक गठबंधन हुआ है तब से इस पर अंकुश लगाना जरूरी हो गया है और यह अंकुश अगर लगेगा तो वह आपकी पीठ से लगेगा। मान्यवर, जिन लोगों के साथ बलात्कार किया गया है उनको 10-10 लाख का मुआवजा दिया जाय और जो नौकरी दिलाने का वायदा किया गया था उस वायदे को भी पूरा किया जाय। आप हमारे संरक्षक हैं और आप हमें संरक्षण नहीं देंगे तो और कौन देगा, हम और किससे कहेंगे ? आप इस सदन में अगर सख्त कदम उठायेंगे तो बबराला जैसे दूसरे काण्ड इस प्रदेश में फिर नहीं हो पायेंगे और जो सत्ता पक्ष के इशारे पर लोग यह घृणित काम कर रहे

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

हैं उस पर भी अंकुश लगेगा । आज यह लोग सत्ता के मद में मदहोश हो गये हैं उस पर अंकुश लगाना पड़ेगा यह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण मामला है और यह लोक महत्व का मामला है मैं चाहूंगा कि इस पर चर्चा करने का अवसर दिया जाय ।

(श्री राम जग के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आपने जो सूचना दी है उसमें दो विषय का उल्लेख किया है । इस पर कई माननीय सदस्यों ने कह दिया है । आप अपने विचार थोड़े से शब्दों में रखें ।

* श्री राम जग–

मान्यवर, आज जो बबराला काण्ड का विषय यहां पर रखा गया है यह अत्यन्त ही अहम विषय है । बबराला काण्ड से उत्तर प्रदेश के किसानों का हृदय कांप उठा है । किसान लोग वहां पर शांतिपूर्वक आन्दोलन कर रहे थे । चार बजे सुबह को पुलिस ने बर्बर हमला किया और दो बच्चे मारे गये, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, लूट पाट हुई । जो कमेटियां गईं उनकी रिपोर्ट आयी है । जहां तक इस काण्ड का सवाल है उत्तर प्रदेश की सरकार ने सिर्फ खाना पूरी की है और किसानों पर बर्बर हमला किया गया । इस लोकतंत्र में जब इस प्रकार के काण्ड होंगे तो कैसे चलेगा, हम उसकी घोर निन्दा करते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

*श्री राम जग–

मान्यवर, हमारी मांग है कि इसकी जांच सी० बी० आई० से कराई जाये जो कहा गया कि सरकारी एजेन्सी इसकी जांच करेगी तो हमें उसके ऊपर भरोसा नहीं है क्यों कि पुलिस के अधिकारी इसमें मिले हुये हैं ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें । इसकी बात आ गई है ।

*श्री राम जग–

मान्यवर, जो किसानों को मुआवजा मिलना था वह अभी तक नहीं मिला है उसको दिलाया जाय जिन महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया है उनको 10–10 लाख रुपया मुआवजे का दिया जाय और इस काण्ड की जांच सी० बी० आई० से कराई जाय । क्योंकि हमें किसी भी सरकारी एजेन्सी पर विश्वास नहीं है ।

* श्री अम्बिका चौधरी–

बबराला के संबंध में मैं तथ्यों पर दुबारा नहीं कहना चाहता हूं कि कैसे लूट हुई और कैसे उन लोगों को चोटें आयीं । सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपने मुझे ग्राह्यता के प्रश्न पर बोलने की अनुमति दी है । मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, हमारे जीवन का अधिकार है, हमारी सम्पत्ति का अधिकार है, डिग्नीफाइड तरीके से जीने का अधिकार है, तो हमारे जो यह मौलिक अधिकार हैं, उनका हनन हुआ है । नाबालिग बच्चों को जेल भेजा गया है, महिलाओं के साथ इस तरह का आचरण किया गया है, जिस की अनुमति कोई भी स्थापित कानून नहीं देता है । तो इस प्रकार के

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कानूनों का उल्लंघन हुआ है और साथ ही साथ जो संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है, उनको छीनने का काम किया गया है। मान्यवर, अगर यह अधिकार किसी साधारण व्यक्ति द्वारा छीने जाते या साधारण अपराधी द्वारा छीने जाते तो कोई दूसरी बात थी, लेकिन सरकारी मशीनरी द्वारा उनको छीनने का कार्य किया गया है। सरकारी मशीनरी जो इन अधिकारों की रक्षा करने के लिये है, उसके द्वारा ही हमारे यह अधिकार छीने गये हैं। इससे और क्या महत्वपूर्ण बात हो सकती है ? मैं कहना चाहता हूं कि पूरी तरह से सरकारी साजिश पर और सरकार के इशारे पर यह कृत्य किया गया है, तो इससे और अधिक महत्वपूर्ण बात क्या हो सकती है और इससे अधिक अविलम्बनीय बात और क्या हो सकती है ? हम 50 वीं साल की आजादी को मना रहे हैं। अगर सरकार ही इस तरह का आचरण करेगी तो कानून और संविधान की बात कहां रह जाती है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन के अन्य कार्यों को स्थगित करके इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करा दें।

*श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह विषय लोक महत्व का है, अविलम्बनीय है और तात्कालिक है।

श्री अध्यक्ष–

कब का है ?

श्री जगदम्बिका पाल–

22 तारीख की घटना है।

मान्यवर, इस घटना का मुख्य कारण क्या है, यह मैं आपको बता देना चाहता हूं। टाटा केमिकल द्वारा किसानों की भूमि को लिया गया। तो नियम यह है कि जब किसानों की जमीन अधिग्रहीत की जाती है, तो जिन किसानों की जमीन ली जाती है, उनके घर से एक व्यक्ति को वहां पर नौकरी दी जायेगी और बाजारू मूल्य पर उनको मुआवजा दिया जायेगा। इस बात को लेकर वहां के किसान अनशन कर रहे और यही घटना का कारण बना और वहां पर लूटपाट हुई और मार पीट हुई। तो यह जांच का विषय है। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है इस घटना की जांच सी० बी० आई० से करा दी जाये।

* श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष महोदय आपने अभी पूछा था कि इसकी तात्कालिकता क्या है ? तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब से यह घटना घटित हुई है, तब से आज पहली बार सदन बैठ रहा है और पहले ही दिन यह विषय सदन के सामने आ गया है और अविलम्बनीय इस लिये है कि गरीब मजदूर मारे जा रहे हैं, जिनके अधिकार छीने जा रहे हैं, उनकी रक्षा करना है। मैं कहना चाहता हूं कि पूंजीपतियों के अधिकारों की रक्षा के लिये किसानों पर गोलियां चलायी जा रही हैं।

यहां तो टाटा के हितों की रक्षा होती है उसके लिये बदायूं हो या गोरखपुर हो, वहां के किसानों को मारा गया। मेरा सुझाव है, स्वीकार करें या न करें, लेकिन घटना के तथ्यों पर जांय और इसमें कुछ भी तथ्य पाये जांय तो दोषियों को सजा मिलनी चाहिये। सी० बी० आई० से तत्काल जांच कराने के आदेश दें। उससे पूर्व सर्वदलीय समिति वहां जाय आज के बाद तीन दिन तक सदन नहीं चलेगा, इस बीच सर्वदलीय समिति वहां जाय, यह घटना गलत है या मनगढ़न्त है उसकी वह जांच करे, और अपनी रिपोर्ट दे और जो दोषी हैं उनको दंड देने के लिये सोमवार को सर्वदलीय समिति की रिपोर्ट के आधार

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

पर आदेश देना चाहिये । मुझे अपने उत्तराखण्ड के साथियों पर तरस आता है [x x x] (व्यवधान) आज वह शासन में बैठे हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नहीं मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

श्री प्रमोद कुमार–

जो घटनायें हो रही हैं चाहे वह गोरखपुर की हो, बदायूं की हो या बुलन्दशहर की हो, गरीब लोग मारे जा रहे हैं । (व्यवधान)

नेता, विरोधी दल (*श्री धनीराम वर्मा)–

माननीय अध्यक्ष जी, बबराला की दर्दनाक घटना पर हमारे बहुत सारे साथियों ने ध्यान आकर्षित किया और अपनी बातें कही जो बहुत महत्वपूर्ण है । क्या यह सच है कि बबराला के किसानों और उसके आसपास लगे 3 गांवों के किसानों की भूमि अधिग्रहीत की गयी, क्या उनको मुआवजा दिया गया और वायदे के अनुसार क्या उनको नौकरियां दी गयीं ?

आज सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि एक तरफ किसान मुआवजे की मांग करता है, नौकरी का प्रश्न तो उलझा हुआ है । टाटा कैमिकल्स कहता है कि उन्होंने पैसा दे दिया है नौकरी की बात अलग है। यू० पी० एस० आर० डी० सी० ने भूमि अधिग्रहीत की और उसे टाटा कैमिकल्स को बेच दिया । टाटा कैमिकल्स प्रबन्ध तंत्र का कहना है कि उन्होंने पूरा पैसा दे दिया है । अगर दे दिया है तो फिर सरकार ने किसानों को क्यों नहीं दिया ? किसान 10. 12 साल से लगातार मांग करते आ रहा है, उसका पेट भूखा है, उसके बच्चे बेहाल हैं, उसके घर का काम सुचारु रूप से नहीं चल रहा है । ऐसे में अंततोगत्वा धरना और प्रदर्शन के अलावा और क्या रह जाता है, धरना उसके लिये मजबूरी थी ? 7 ता० को उन्हें धरना देना पड़ा और प्रदर्शन प्रारम्भ हुआ उसके बाद 17 ता० से अनशन शुरू हुआ जो 24 ता० तक चला, इसी बीच 20 ता० से कुछ लोग आमरण अनशन पर बैठे उसके बाद 3 गांव बाबू मडेरवा, पवारी, महुआ हसनगंज के किसानों के घरों में 4 बजे सबेरे हमला हो गया । मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहूंगा कि डी०आई०जी० बरेली, कमिश्नर बरेली, डी०एम० बदायूं, एस०डी०एम० बदायूं, और अन्य पुलिस कर्मियों की साजिश के तहत किया गया और बिना सरकार के इशारे पर, बिना सरकार की हरी झंडी न मिले किसी की हिम्मत नहीं हो सकती है कि वह 4 बजे रात को ऐसी कार्यवाही कर सके । आजादी के बाद आज तक ऐसी निन्दनीय घटना नहीं हुयी है । धरना कहां हो रहा था और गांव में शौच पर जाती महिलाओं को नंगा किया गया, उनके साथ बलात्कार किया गया। बच्चे जो घरों में लेटे थे, मां जो घरों में लेटी थीं और बुड्ढे जो घरों में लेटे हुये थे उनको मारा गया, महिलाओं को नंगा किया गया । छोटे-छोटे लड़कों, लड़कियों को पीटा गया इससे जघन्य अपराध क्या होगा ? बहुत से माननीय सदस्यों ने इस घटना के बारे में बताया है मैं उन चीजों को बार-बार कहना नहीं चाहता । लेकिन यह जरूर कहना चाहूंगा कि महिलाओं के साथ जो बलात्कार हुआ है वह अत्यन्त निन्दनीय है । मैं जब वहां गया और मैंने पूछा तो महिलाओं ने घूंघट डालकर रोते हुये जिन शब्दों में अपना हाल बताया उसको सुनकर हमारी आंखों में आंसू निकल आये और मैं ज्यादा देर तक उनकी बात सुन नहीं सका । मैं यह कहना चाहता हूं कि 4 बजे ऐसे कृत्यों का क्या औचित्य था जहां धरना हो रहा था वहां लाठी चलायी जाती तो कोई आपत्ति नहीं थी लेकिन लोगों के घरों में जाकर,

[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

3-3 गांवों में घरों में घुसकर, शौचालय जाती हुयी महिलाओं के साथ बलात्कार, अभद्रता का जो व्यवहार किया गया है उसकी कोई मिसाल नही है । आपके सामने बहुत से लोगों ने सारी बातों को कहा है । मैं इतना जरूर कहूंगा, कि यह घटना वास्तविक है लेकिन सरकार कहती है कि वास्तविक नहीं है तो अब एक ही रास्ता बचंता है कि इस सारे मामले की सी०बी०आई० से जांच करायी जाय ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ सके और इस घटना की वास्तविकता सामने आ सके और जो दोषी हैं उनको सजा मिल सके । मैं इस पर बल देता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इसको नियम 311 में स्वीकार करके चर्चा करायें और इस मामले की जांच सी०बी०आई० से करायी जाय ।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, कई माननीय सदस्यों ने जिस गम्भीर बिन्दु को उठाया है और जिन 2-3 बिन्दुओं की ओर माननीय सदस्यों ने अपनी बातों में बल दिया है तो पहली बात माननीय सदस्यों ने कही और जैसा कि अभी माननीय नेता विरोधी दल ने भी जोर दिया है वह यह है कि भूमि का अधिग्रहण किया गया । भूमि अधिग्रहण का जो प्रोसेस है, जो उसके लिये नियम और कानून हैं और उनके तहत जो व्यवस्था बनायी गयी है उसी प्रोसेस के तहत यह भूमि अधिग्रहण किया गया । भूमि अध्याप्ति अधिकारी ने भूमि का अधिग्रहण किया और जो मुआवजा बना उसके खिलाफ जिनकी जमीनें ली गयीं थीं वे लोग उच्च न्यायालय में गये । उन लोगों ने उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया । उच्च न्यायालय ने जो मुआवजा तय किया उस रेट पर इस फैक्टरी ने उतना मुआवजा उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के पास जमा कर दिया । यह जो संस्था है टाटा केमिकल्स उसने किसानों से जमीन सीधे नहीं ली है न सीधे टाटा केमिकल्स ने मुआवजा दिया है, मान्यवर, मुआवजा के संबंध में कहूंगा कि पैसा कम या ज्यादा मिला वह न्यायालय ने तय किया था जिसे टाटा ने जमा कर दिया था, तो इसमें उनका क्या दोष है ? (व्यवधान होने पर) माननीय सदस्य मेरी बात को शांति पूर्वक सुनें । यदि आप लोगों को कोई संशय होगा तो उसे हम दूर करने का प्रयास करेंगे । यह तो अधिग्रहण का मामला है । इसमें डाइरेक्ट टाटा से लड़ाई नहीं है । कम मुआवजा मिला है तो जो अदालत ने फैसला दिया था उसके मुताबिक उन्होंने जमा कर दिया ।

दूसरी मांग नौकरी देने की है । तो कोई भी फैक्ट्री जिसे जिस तरह की लेबर की आवश्यकता होगी, स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर की, तो वह उस तरह का लेबर रखेगी ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मंत्री जी घटना के संबंध में न बोलकर वह तो एक वकील के रूप में बोल रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायें और माननीय मंत्री जी को बोलने दें । कृपया आप लोग शांत रहें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, नौकरी देने के मामले में टाटा फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उसमें 70 प्रतिशत लोग उत्तर प्रदेश के हैं ।

मान्यवर, तीसरी मांग क्षेत्रीय विकास की थी । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य अपना-अपना आसन ग्रहण करें और माननीय मंत्री जी ने जब कहा है कि हम आप लोगों के संशय को दूर करेंगे और जो वहां समस्या है उसका निराकरण करेंगे, तो पहले माननीय मंत्री जी की बात को आप लोग सुन लें और मंत्री जी को बोलने दें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, टाटा केमिकल्स ने भूमि के मुआवजे का पैसा दे दिया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि उनके बचाव के लिए। * * * *।

श्री अध्यक्ष–

यह आक्षेप है, इसलिए यह नहीं लिखा जायेगा।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जिसकी भावना जैसी होती है उसको वैसा ही दिखाई देता है।

माननीय नेता विरोधी दल जी ने इस बात पर काफी गंभीरता से जोर दिया है कि वहां पुलिस की क्या जरूरत पड़ गई ?

श्री धनीराम वर्मा–

जरूरत पड़ गई नहीं। सुबह 4 बजे क्यों जरूरत पड़ गई ?

श्री बी० आर० वर्मा–

यह जैसा कि घटनाक्रम के बारे में बताया गया, कि 17 तारीख से 25 तारीख तक घटना प्रदर्शन का कार्य चलता रहा और 24 तारीख को जब आन्दोलनकारी उधर गेट के पास बैठ गये और जिस कारण वहां से कोई भी कर्मचारी न तो बाहर जा सकता था और न ही अन्दर आ सकता था। यहां तक कि जो जीवन की आवश्यक चीजें हैं, बच्चों के लिये दूध जो लोग फैक्ट्री में रह रहे थे उनको नहीं मिल सका।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, जो बात हम कह रहे हैं यह उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप उनकी बात तो सुनिये। पहले पूरा उत्तर तो आ जाने दीजिये।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जो फैक्ट्री का उत्पादित यूरिया है उसकी रैक को भी रोक लिया। वह भी नहीं जा सकता था। तब टाटा कैमिकल्स वालों ने जाकर उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया। उच्च न्यायालय के आदेश हुए कि फैक्ट्री के परिसर से 200 मीटर की दूरी पर कोई धरना, प्रदर्शन कर सकते हैं ताकि वहां आवागमन में कोई कठिनाई न हो।

एक सदस्य–

क्या * * * * भी न्यायालय ने दिया ?

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी को अपनी बात कहने दें।

नोट :– * * * * यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री बी० आर० वर्मा–

तो मान्यवर, इस तरह से उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह न्यायालय के आदेश का समादर करे । उस आदेश के मुताबिक वहां पर जो दिक्कत पैदा हो गई थी, किसानों को तिनर बिनर करने का प्रयास किया गया तो पुलिस आई ।

(व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, मैं दो बातों का उत्तर चाहता हूं । तमाम तर्क वितर्क किया जा रहा है । क्या किसानों का मुआवजा 9 लाख 40 हजार जो बाकी था या नहीं ? इसका उत्तर दिलवा दीजिये । दूसरी बात कि 4 बजे सुबह वहां पुलिस की क्या आवश्यकता पड़ी जबकि डी० आई० जी०, वहां के कमिश्नर और डी० एम० इन सब की देख-रेख में पुलिस ने वहां तीन गांवों में हमला क्यों किया ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मैं उन्हीं बातों की तरफ गंभीरता से इस गंभीर प्रकरण पर बता रहा था । मान्यवर, कोई मुआवजा न्यायालय के आदेश के अनुरूप टाटा केमिकल्स के ऊपर बकाया नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जिस कम्पनी या जिस व्यक्ति द्वारा लिया जाता है, सरकार के द्वारा या किसी निगम के द्वारा यह कम्पनी मुआवजा जमा कर देती है । आपने कहा उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के पास मुआवजा जमा नहीं किया ? तो क्या मुआवजे का भुगतान होगा ?

(व्यवधान)

श्री बी० आर० वर्मा–

चाहे कोई संस्था हो किसी भी व्यवस्था के लिए, जो जमा किया जाता है वह हर जिले में भूमि अध्याप्ति के अधिकारी होते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

किसी भी मंत्री से सीधे प्रश्न नहीं किया जा सकता है पीठ के माध्यम से पूछा जाता है । जब मैं देख रहा हूं कि कोई चीज स्पष्ट है तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ? इन लोगों का मतलब मुआवजे से है ।

(व्यवधान)

श्री बी० आर० वर्मा–

मुआवजे को बांटने का काम अधिकारियों द्वारा किया जाता है जो लोग मुआवजा नहीं लेते हैं उनके नाम से पैसा जमा कर दिया जाता है । इस प्रक्रिया का पूरा अनुसरण किया गया । कानून और व्यवस्था का पूरा अनुसरण किया गया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी के भाषण के बाद मेरी व्यवस्था सुन लीजियेगा । उसके बाद कहिएगा ।

श्री बी० आर० वर्मा–

अगर वह मुआवजा नहीं लेते हैं तो सरकार का या किसी का दोष नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा–

यदि कोई नहीं लेता है तो उसके नाम जमा कर दिया जाए ।

श्री बी० आर० वर्मा–

जो आरोप माननीय सदस्यों द्वारा सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं वह सत्यता से परे हैं । वहां कोई बलात्कार नहीं हुआ है न ही कोई लूट हुई है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पहले मंत्री जी का उत्तर आ जाने दीजिए । मैं स्पष्टीकरण करा दूंगा ।

श्री बी० आर० वर्मा–

महिलाओं की गिरफ्तारी महिला पुलिस द्वारा की गई है अगर महिला पुलिस महिलाओं का बलात्कार कर सकती है जैसा माननीय सदस्यों को नजर आता है, यह किसी तरह संभव नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी का उत्तर समाप्त हो जाने दीजिए ।

श्री ओम प्रकाश–

मैं यह कह रहा हूं कि किसानों का मुआवजा मिला नहीं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपने शायद मेरी बात नहीं सुनी । माननीय मंत्री जी का उत्तर समाप्त होने के बाद मेरी व्यवस्था की प्रतीक्षा कर लीजियेगा ।

श्री बी० आर० वर्मा–

जिन लोगों को पकड़कर ले जाया गया था उनका डाक्टरी परीक्षण हुआ उसमें किसी भी महिला ने, किसी भी बच्चे ने या किसी ने भी यह नहीं कहा कि किसी के साथ बलात्कार हुआ है । इसके बारे में बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के इसी सदन के सदस्य वहां पर गए थे उन लोगों ने वहां पर जाकर देखा और समझा है । उन्होंने बयान भी लिए हैं उसमें किसी भी लूट या बलात्कार की घटना की पुष्टि नहीं हुई है । इसके बावजूद हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है उसने इसको काफी तत्परता से लिया है और जो अधिकारी वहां पर सरकार की अपेक्षा पर खरे नहीं उतरे हैं उनको तत्काल वहां से हटाया गया जहां तक जांच का सवाल है, वह हो रही है इसके अतिरिक्त किसी अन्य एजेन्सी की जांच की आवश्यकता नहीं है अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो मजेस्टेरियल जांच हो सकती है ।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन् मैंने प्रार्थना के लिए मुख्य रूप से दो बिन्दु उठाए थे पहला तो यह कि यह धरना या आमरण अनशन जायज था और जायज होने के बाद टाटा केमिकल्स या सरकार की संस्था पर किसानों का कितना पैसा बकाया था अथवा पैसा बकाया नहीं था ? दूसरा जब 30 तारीख तक धरना व प्रदर्शन शाम तक चल रहा था तो इन तीन गांवों में सवेरे चार बजे एक हजार से ज्यादा पुलिस की टुकड़ी देने का क्या औचित्य था ?

श्री सतीश शर्मा–

मान्यवर, इस मामले की सी० बी० आई० द्वारा जांच होनी चाहिए । क्योंकि सरकारी एजेन्सी जैसा सरकार चाहेगी वैसा ही करेगी ।

श्री बी० आर० वर्मा–

वहां पर इस सम्मानित सदन के सदस्य गए थे उन लोगों ने जाकर सारी जानकारी हासिल की है । इस मामले में हमारा दिमाग खुला हुआ है अगर आप चाहें तो मजिस्ट्रेट के द्वारा भी जांच हो सकती है ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह जो हादसा हुआ उसके सारे तथ्य आप लोगों के समक्ष आ गए इसके मूल में दो बातें बताई गई । किसानों की भूमि का मुआवजा न मिलना तथा नौकरी न मिलना अभी यह बात बताई गई कि टाटा कैमिकल्स ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के पास मुआवजे की धनराशि जमा कर दी । संविधान के वर्तमान स्वरूप में जितनी भी सरकारें व जितने भी राज्य हैं वे सभी कल्याणकारी राज्य हैं यह निगम सरकारी निगम है । इस निगम की ओर से जिस व्यक्ति की जमीन ली गई है, उसके मुआवजे का भुगतान, विशेषकर उन परिस्थितियों में जिनका आपने उल्लेख किया है इसमें उच्च न्यायालय का निर्णय हो गया है और मुआवजे की राशि तथा दर का निर्धारण हो गया है । तो इस सरकारी एजेन्सी द्वारा भुगतान में विलम्ब करना उचित नहीं प्रतीत होता है, यदि इस असन्तोष का मूल कारण है जितना मैं समझा हूं । एक तो आप इस बात पर विचार कर लें कि शीघ्रातिशीघ्र जिन किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, उनको मुआवजे का भुगतान कर दिया जाये । दूसरी चीज, प्रत्येक व्यक्ति जिसकी भूमि जाती है उसके मन में यह भावना होती है कि उसकी रोजी-रोटी का एक साधन चला गया । इसलिये कदाचित शासन ने पहले से यह निर्णय लिया है कि जिस व्यक्ति की भूमि अर्जित की जायेगी उसके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जायेगी । बहुत से औद्योगिक संस्थान ऐसे होते हैं जो आज के इस वैज्ञानिक युग में अन-स्किल्ड लोगों की भरती नहीं कर पाते हैं । लेकिन 31 मई की घटना है, आप जानकारी प्राप्त कर लें, उसके बाद विचार करें, कि इस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं ? 31 मई, 1997 तक जिन किसानों की भूमि अर्जित की गयी है उनके परिवार के कितने लोगों ने टाटा केमिकल्स में नौकरी देने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया, जो उनकी योग्यता है, क्या उनकी योग्यता के अनुसार उस कम्पनी में पद उपलब्ध है और उनमें से कितने लोगों का समायोजन किया गया ? इस विवाद का जो मूल है उसका निराकरण कर देंगे, तो क्षेत्रीय जनता का असन्तोष दूर हो जायेगा । धरना, प्रदर्शन यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हम सब उस व्यवस्था में रह रहे हैं और अब अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से आन्दोलनों, धरना-प्रदर्शनों का युग आ गया है । क्या शासन इस पर विचार करेगा कि अपने अधिकारियों को इस प्रकार के आन्दोलनों में सही ढंग से व्यवहार करने के लिए एक गाइड लाइन दे दिया जाए । क्योंकि आये दिन धरना प्रदर्शन होते रहते हैं, आये दिन समाचार पत्रों में भी पढ़ते हैं तथा इस सदन के तमाम माननीय सदस्य भी धरना प्रदर्शन में भाग लेते हैं तो एक दिशा-निर्देश समस्त

जिलों के पुलिस अधीक्षकों या दूसरे अधिकारियों को दे दिया जाये, कि वह ऐसी स्थिति में किस प्रकार का व्यवहार करें। जो बातें आयी हैं, महत्वपूर्ण हैं तो मैं आपसे इस पर विचार करने के लिये निवेदन कर रहा हूं। इस बात के लिए जरूर आग्रह करूंगा कि जो भुगतान शेष हैं और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार धनराशि औद्योगिक विकास निगम में जमा है, उनके अधिकारियों से बात करके शीघ्रातिशीघ्र भुगतान कराये।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, सी० बी० आई० से इस प्रकरण की जांच के लिये निर्देशित कर दें

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अमरमणि–

माननीय अध्यक्ष जी, गोरखपुर जनपद में किसानों का घोर उत्पीड़न हुआ है, किसानों की हत्यायें हुई हैं। मैं चाहता हूं कि आप गीडा पर भी सुन लें।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, एक शंका का समाधान नहीं हुआ है। प्रातः 4.00 बजे एक हजार से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने तीनों गांवों में घुसकर बहशी अत्याचार क्यों किया ? ये पुलिस कर्मी इन गांवों में दिन में भी जा सकते थे। इसको सरकार स्पष्ट कर दे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने पहले ही कहा है कि यदि सहमत हों तो मैजिस्टीरियल जांच करा दें।

(विपक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश–

श्रीमन् आपकी सब बात से हम लोग सहमत हैं। वहां 72 लोगों को चोटें आई। मान्यवर, आपकी मंशा भी साफ है, हम लोग भी वही चाहते हैं कि इस लोकतंत्र की पद्धति में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाय, इसलिये आप सी०बी०आई० से जांच करा दें और इसके लिये आपकी पीठ से आदेश होना चाहिये, उसके बाद हम लोगों का कोई विरोध नहीं रह जायेगा।

श्री धनीराम वर्मा–

मेरे सीधे से प्रश्न का उत्तर माननीय संसदीय कार्य मंत्री घुमा फिराकर दे रहे हैं तो इनके अधीनस्थ कार्य करने वाला मजिस्ट्रेट कैसे जांच कर सकेगा ?

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, कोई भी सरकारी एजेन्सी, जो इस सरकार के अधीनस्थ काम करती है, से निष्पक्ष जांच का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। आपने स्वतः अपनी व्यवस्था दी है, मेरा कहना यही है कि सी०बी०आई० के अलावा और किसी एजेन्सी से निष्पक्ष जांच हो ही नहीं सकती, इसलिये आप सी०बी०आई० से जांच कराने के लिये सरकार को निर्देशित करें।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, यह जो विवाद पैदा हुआ, आप देखें कि उसकी जड़ क्या है, इसी विवाद के कारण के निवारण की दिशा में इच्छा जाहिर की गई, सरकार इसे पूरी तत्परता से लेगी। मान्यवर, जैसे ही यह

बात सामने आई और वहां धरना-प्रदर्शन शुरू हुआ, जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति बना दी गई, जो दोनों पक्षों से बात कर रही है, इसकी कई बैठकें भी हो चुकी हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। यह सरकार असंवेदनशील सरकार है और बी० आर० वर्मा जी इसे संवेदनशील सरकार बता रहे हैं। अब आप ही देख लीजिये कि वहां लाठीचार्ज हुआ, बर्बरतापूर्वक मारा पीटा गया। यह भी कह रहे हैं कि किसी लड़के से नहीं कहा कि बलात्कार हुआ। मान्यवर, लड़का भी बलात्कार के बारे में कैसे बता सकता है ? मान्यवर, आपने जो व्यवस्था दी है, वह शिरोधार्य है। लेकिन आप मामले की गम्भीरता को देखें। मंत्री जी ने स्वयं कबूल किया कि वहां मुआवजा नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली और आज 31 मई को घटना होने के बाद मुख्य मंत्री तक वहां नहीं गई, जबकि वह गृह मंत्री भी हैं, वह आज सदन में मौजूद भी नहीं हैं। श्री बी० आर० वर्मा ही संजय की दिव्य दृष्टि से देखकर बयान दे रहे हैं। इस घटना में कमिश्नर, डी०आई०जी०, कलेक्टर, एस०पी० के खिलाफ चार्जेज लगाये जा रहे हैं और यह मजिस्ट्रेट से जांच करवाने की बात कह रहे हैं। आप स्वयं सोचें कि कोई मजिस्ट्रेट कमिश्नर के खिलाफ, डी०आई०जी० के खिलाफ, एस०पी० के खिलाफ जांच कर सकेगा। इसलिये मैं आपसे चाहता हूं कि इस सदन की परम्परा भी रही है कि जब इस तरह की घटना हो तो सदन की पीठ से निर्देश जारी होते रहे हैं। आप इस सरकार से अपेक्षा न करें। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सरकार को निर्देश दें कि वह इस पूरे मामले की सी०बी०आई० से जांच करायें।

मान्यवर, सी०बी०आई० से इनको डर लगता है तो मैं इनसे आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि डिस्ट्रिक्ट जज से जांच करवा लें, यह मेरा प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष–

आपने मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच की बात कही है। मेरा अनुरोध है कि यह बात स्पष्ट है कि कोई भी मैजिस्ट्रेट होगा तो वह जिला मैजिस्ट्रेट के नीचे का होगा, तो आप यहां उत्तर प्रदेश के किसी सचिव स्तर या प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी से जांच करवा लें।

(घोर व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा–

सी०बी०आई० से जांच करवायें।

श्री अध्यक्ष

अभी मेरी व्यवस्था पूरी नहीं हुई। कृपया शांति बनायें न यह सदन चला जायेगा, न हम चले जायेंगे न आप चले जायेंगें जांच से यह सदन सूचित हो फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या हो और क्या न हो जैसी आगे कार्यवाही अपेक्षित होगी वह किया जायेगा। यह अपने आप में स्पष्ट है कि जिलाधिकारी के विरुद्ध जांच के मामले में एक मैजिस्ट्रेट स्तर का अधिकारी स्वयं को अक्षम पायेगा।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जैसा आपने व्यवस्था दी है, सरकार उसका अक्षरशः पालन करेगी। मान्यवर, सचिव ही नहीं, जैसा माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी जो इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्होंने कहा है इसमें कमिश्नर और डी० आई० जी० का नाम लिया जा रहा है तो मैजिस्ट्रेट उसकी जांच नहीं कर पायेगा।

कमिश्नर और डी० आई० जी० से बड़ा अधिकारी, उत्तर प्रदेश के किसी बड़े अधिकारी से और अगर आप अनुमति है तो बोर्ड आफ रेवेन्यू के चेयरमैन को भेजकर इसकी जांच करा ली जायेगी ।

श्री ओम प्रकाश–

मान्यवर, इसकी सी० बी० आई० से जांच करायें ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने पहले ही कहा कि इसकी जांच रिपोर्ट आ जाय ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य "सी० बी० आई० से जांच कराओ, सी० बी० आई० से जांच कराओ" के नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

(समाजवादी पार्टी के अधिकांश सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी, बलात्कारियों की सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, दूसरी सूचना को भी लेने दें ।

माननीय श्री अमर मणि को मैं उनकी सूचना पर बुला रहा हूं ।

श्री अमर मणि–

मान्यवर, कृपया सदन को शांत कराने का कष्ट करें, ताकि मैं अपनी बात कह सकूं । आग्रह है कि कृपया मुझे अपनी बात कहने दें ।

(समाजवादी पार्टी के अधिकांश सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी)

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायें ।

कृपया शांत रहें अब इस पर बहुत बात हो गयी, काफी विरोध हो गया । मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया बैठ जायें । कृपया स्थान ग्रहण कर लें । अब मैं खड़ा हूं, कृपया बैठ जायें ।

देखिये आपने अपनी बात रख दी, शासन का भी जवाब आ गया । जो इस विचार विमर्श का नतीजा है, जो समाधान मेरी समझ में आया कि आपकी समस्या का समाधान हो जाय वह मैंने रखा । बड़े अच्छे वातावरण में इतना विचार विमर्श हुआ । विरोध की बहुत सी बातें होती हैं, विरोध करने का जो तरीका है मैं आभारी हूं कि बड़े अच्छे वातावरण में आपने अपनी बात को बलपूर्वक रखा है, शासन की बहुत सी चीजों का विरोध होता है । लेकिन, सदन के दूसरे काम भी चलने चाहिये । मेरा अनुरोध है कि मैं अगली सूचना ले लूं । यह सब आप ही के प्रश्न व सूचनायें हैं ।

(समाजवादी पार्टी के कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

जब मैं खड़ा हुआ हूं तो आप लोग कृपया बैठ जायें ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, यह बहुत ही संवेदनशील मामला है, सी०बी०आई० से इसकी जांच करायी जाय ।

(समाजवादी पार्टी के कुछ सदस्यों के खड़े होने पर एवं अपनी बात कहने पर घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष–

जब अध्यक्ष पीठ से कोई खड़ा होता है तो माननीय सदस्य बैठ जाते हैं ।

बहुत से मामलों में सहमति नहीं हो पाती है । विरोध के दूसरे भी तरीके हैं । सदन के बाहर भी तरीका है, सदन के अन्दर भी तरीका है । सदन के अन्दर जो अन्य विषय है उनको भी लेने दीजिये ।

मैंने माननीय अब अमर मणि जी को बुला लिया है । मैं मा० नेता विरोधी दल और दूसरे माननीय नेताओं से सहयोग की अपेक्षा करता हूं ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, मैं पूरा सहयोग करूंगा, लेकिन हमारी बात भी तो सुनी जाय ।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों के साथ खड़े होकर "लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी", "हत्यारी सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी" के नारे लगाते रहने से सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को 2.00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं ।

इसके बाद एक बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी ।

(2 बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

(विपक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

श्री अमर मणि जी आप कृपया ग्रास्यता पर बोलें ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । बबराला काण्ड पर चर्चा समाप्त हो चुकी है । मैं और चर्चा के लिए समय नहीं दूंगा ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, यह सरकार जानबूझकर अपराधियों को बचा रही है । इसकी जांच सी०बी०आई० द्वारा की जानी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

बबराला पर बात समाप्त हो गयी है । आप कृपया बैठ जायें ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, आप हमारे संरक्षक हैं आप हमारे हितों की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा ? यह सरकार इस विषय को गम्भीरता से नहीं ले रही है । यह सरकार अपराधियों को बचा रही है वह क्यों नहीं सी०बी०आई० से जांच करवा नहीं लेती हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जायें । मैंने इस विषय पर आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, यह सरकार इस विषय को गम्भीरता से नहीं ले रही है । माननीय नेता सदन को यहां बुलाया जाय और वह यहां पर आकर अपना स्पष्टीकरण दें ।

श्री अध्यक्ष–

इस विषय पर मैंने व्यवस्था दे दी है । आप कृपया बैठ जायें

श्री राम विशुन आजाद–

जब तक सी०बी०आई० से जांच नहीं करायी जायेगी यह सदन नहीं चलेगा । इसमें डी०एम०, एस०पी० और डी०आई०जी० सभी अधिकारी इन्वाल्व हैं । अगर आपकी अध्यक्ष पीठ से निर्णय नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा । यह सरकार कहती है कि हम किसानों के हितों की रक्षा करेंगे मगर वह हो नहीं रहा है । यह सरकार कहती है कि हम दलितों की रक्षा करेंगे मगर यह सरकार स्वयं दलित विरोधी सरकार है । अगर इस सरकार में हिम्मत है तो वह सी०बी०आई० से जांच कराये ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न सुन लें । मगर पहले यह सदन व्यवस्थित करने का कष्ट करें ।

(श्री राम विशुन आजाद के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय आजाद जी आप बैठ जायें । बवराला प्रकरण अब समाप्त हो चुका है । अब इस विषय पर जो कुछ आप बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री राम विशुन आजाद–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, गौडा वाले प्रकरण को सोमवार को ले लें ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, गौडा वाले प्रकरण को सोमवार को लिया जायेगा ।

(व्यवधान)

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

नियम 301 की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 17 जुलाई, 1997 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 12 सूचनायें प्राप्त हुई हैं ? प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुये निम्नलिखित सात सूचनायें स्वीकार की गयी हैं ?

श्री पूर्णमासी पंकज और श्री सरदार सिंह अनुपस्थित हैं। श्री लालजी वर्मा की नगर परिषद् टान्डा, जनपद अम्बेडकर नगर में छोटी बाजार सकरावन मार्ग का निर्माण करने के संबंध में है। डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी अनुपस्थित हैं। श्री जगदम्बिका पाल की प्रदेश में पाठ्य पुस्तकों के अभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। श्री रंगनाथ मिश्र की भदोही जनपद में राजकीय पालीटेक्निक एवं डिग्री कालेज खोले जाने के संबंध में है। श्री रघुवर दयाल वर्मा की फिरोजाबाद में विद्युत समस्या का निदान करने के संबंध में है और श्री राम बाबू हरित की आगरा के कतिपय मोहल्लों में जल भराव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। श्री सुखपाल पाण्डे जी अनुपस्थित हैं।

(सभी पांच सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना गया)

नगर परिषद् टाण्डा जनपद अम्बेडकर नगर के छोटी बाजार सकरावल मार्ग का निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लालजी वर्मा–

[1] मान्यवर, नगर परिषद् टांडा जनपद "अम्बेडकर नगर" में छोटी बाजार सकरावल मार्ग विगत कई वर्षों से क्षतिग्रस्त हैं। मार्ग में बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं जिसके कारण प्रायः दुर्घटना होती रहती है तथा आवागमन बाधित रहता है। मार्ग के क्षतिग्रस्त होने के कारण जनता में आक्रोश व्याप्त है।

अस्तु इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये उक्त मार्ग के निर्माण कराने की मांग करता हूं।[1]

प्रदेश में पाठ्य पुस्तकों के अभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री जगदम्बिका पाल–

सम्पूर्ण प्रदेश में शिक्षा सत्र प्रारम्भ हो गया है। विद्यालयों के सत्र प्रारम्भ हुए दो सप्ताह बीत चुके हैं लेकिन पूरे प्रदेश में पाठ्य पुस्तकों के अभाव के कारण विद्यार्थियों के समक्ष पढ़ाई का गंभीर संकट पैदा हो गया है। सरकार ने पुराने पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन पर रोक लगा दी है तथा मौजूदा पाठ्य पुस्तकों में व्यापक संशोधन कर रही है जिसके कारण प्रकाशकों द्वारा पाठ्य पुस्तकें समय से प्रकाशित कराने में कठिनाई उत्पन्न हो रही हैं। इसीलिये बाजार में भी छात्र एवं छात्राओं को नई पाठ्य पुस्तकें नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं। बाजार में दुकानदार छात्र एवं छात्राओं को पिछले वर्ष की पुस्तकों को बेच रहे हैं। छात्रों को नई पाठ्यक्रम की पुस्तकें न मिलने के कारण जुलाई माह का आधा सत्र समाप्त हो जाने के बाद भी अभी तक स्कूलों में पढ़ाई नहीं शुरू हुई जिसके कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और अभी तक विद्यार्थियों में पठन-पाठन का कार्य अध्यापक प्रारम्भ नहीं कर पाया। जो छात्र पुराने पुस्तकें लेकर के जा रहे हैं उन्हें अध्यापक पुरानी कह करके वापस करने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन

[1] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया गया।

दुकानदार उन पुस्तकों को वापस नहीं कर रहे हैं जिससे छात्र एवं अभिभावक दोनों को आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है ।

अस्तु इस लोक महत्व के सुनिश्चित प्रश्न पर सदन में एक विस्तृत वक्तव्य की मांग करता हूं । ।

भदोही जनपद के औराई तथा चौरी ग्राम में राजकीय डिग्री कालेज, महिला डिग्री कालेज तथा सेवापुरी में तकनीकी विद्यालय खोले जाने के मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रंगनाथ मिश्र–

। महोदय, भदोही जनपद की आबादी लगभग 14 लाख है किन्तु पूरे जनपद में मात्र एक डिग्री कालेज है तथा तकनीकी विद्यालय तो है ही नहीं । ऐसी स्थिति में इण्टर कक्षा पास करने के बाद शिक्षार्थियों को उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरे जिलों में जाना पड़ता है जहां उनके साथ सौतेला व्यवहार होता है । दूसरे जिलों में विद्यालयों में पहले वहां के विद्यार्थियों को प्रवेश देने के बाद ही दूसरे जिलों के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है जिससे उनको अपमानित होना पड़ता है । ऐसी स्थिति में कुछ तो धनाभाव के कारण उच्च तथा तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिये दूसरे जिलों में भी प्रवेश नहीं ले पाते हैं जिसके कारण उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के अभाव में मेधावी छात्र एवं छात्राओं के बीच में ही शिक्षार्थ जीवन को छोड़ देती हैं तथा उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा से वंचित रह जाती हैं । यह स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ।

भदोही जनपद में एक मात्र डिग्री कालेज ज्ञानपुर में है जिसमें 12 हजार विद्यार्थियों का प्रवेश है जो शिफ्टों में चलाया जात है । विद्यार्थियों की भारी संख्या के बोझ से डिग्री कालेज, ज्ञानपुर में पठन-पाठन ठीक से नहीं हो पा रहा है ।

मा० अध्यक्ष जी से निवेदन है कि शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये औराई तथा चौरी ग्राम में राजकीय डिग्री कालेज, महिला डिग्री कालेज एवं तकनीकी विद्यालय सेवा पुरी में खोले जाने हेतु शासन को निर्देशित करने का कष्ट करें । ।

फिरोजाबाद में विद्युत व्यवस्था में गड़बड़ी को ठीक कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

। महोदय, फिरोजाबाद कांच एवं चूड़ी उद्योग का एशिया में सबसे बड़ा एवं प्रसिद्ध एवं मात्र उद्योग है जिसमें सर्वाधिक मजदूर लगे हैं । बिजली की उपलब्धता ईंधन और अन्य कार्यों के लिए एक मात्र साधन है । आये दिन बिजली की आंख, मिचौली, घंटों गुल हो जाने की घटना से सम्पूर्ण उद्योग चौपट हो गया है तथा कृषि आदि पर दुष्प्रभाव पड़ा है । बिजली के जर्जर तार टूटे खम्भे आये दिन हवा के हल्के से झोके पर चिनगारी पर तुरन्त टूटकर गिर पड़ने हैं जिससे दुर्घटनाएं हो जाती हैं । लोकल फास्ट की घटनाएं आये दिन होने पर समूचा नगर और देहात घंटों अन्धकार में डूबा रहता है तथा कारोबार चौपट हो लेता है ।

दर्जनों ट्रान्सफार्मर फूके पड़े हैं महीनों तक बदले नहीं जाते हैं । जिससे कारोबारी आये दिन सड़क जाम करके विरोध करते हैं । बिजली के घन्टों गुल रहने पर जनता में भारी आक्रोश पैदा हो गया है, जन मानस हिल उठा है । फिरोजाबाद "ताज ट्रेपेजियम जोन" में होने पर भी हर क्षण रोस्टिंग का शिकार बना रहता है । जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है फिरोजाबाद में विद्युत भार ज्यादा है और बिजली आवक कम होने से लो वोल्टेज हो जाता है । जिससे कारोबार चौपट हो जाता है ।

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

ट्रान्समीशन सब स्टेशन करकौली (लालऊ) सुहागनकर, रसूलपुर, पैमेश्वर गेट के निर्माण की तुरन्त आवश्यकता है । ट्रान्सफारमर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो–तार खम्भा दिये जायें । लाइन का पुनः उद्धार किया जावे ।

अस्तु माननीय सदन का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर आकृष्ट करते हुये तुरन्त विद्युत समस्या के हल की अपेक्षा करता हूं ।।

आगरा के पश्चिमी क्षेत्र में कतिपय मोहल्लों में जल भराव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम बाबू हरित–

। महोदय, आगरा के पश्चिमी क्षेत्र में सिकन्दरा, हमीदनगर, जगदीशपुरा, ताल फिरोज खां, बारहखम्बा (धोलू का नगला) में जल भराव तलैया में गर्मी के समय भी बना रहता है । जो क्षेत्रीय नागरिकों के घरों में भरता है । जिससे वहां के लोग तमाम बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, तथा वर्षा ऋतु में इन स्थानों पर त्राहि-त्राहि मची रहती है, लोगों के मकान टूट जाते हैं तथा घरों में 5 फुट तक पानी भर जाना है ।

नगर महापालिका के अधिकारी दुर्भावना से ग्रसित होकर अनुसूचितों, पिछड़ों व अल्पसंख्यकों के क्षेत्रों की उपेक्षा करते रहते हैं यहां कभी भी भयंकर महामारी फैल सकती है । मस्तजाब क्वार्टर से ग्वालियर रोड तक नाला निर्माण न होने से जुम्मन खां की झोपड़ी कीर्तिनगर न्यू चावली व हस्तिनापुरी आदि बस्तियों में पानी का निकास नहीं है ।

कीर्तिनगर न्यू चावली के लिये कोई सार्वजनिक मार्ग महापालिका ने नहीं बनाया है जिससे क्षेत्र के निवासियों को मिलिट्री, क्षेत्र से गुजरने के कारण काफी असुविधा व कभी-कभी जवानों द्वारा बेइज्जत होना पड़ता है । सिकन्दरा पानी निकासी हेतु क्षेत्रीय सभासद दो बार आमरण अनशन पर बैठ चुका है जिन्हें नगर निगम अधिकारियों द्वारा आश्वासन के बाद हटाया है परन्तु राहत कार्य अभी तक नहीं शुरू हुये हैं । पानी की निकासी हेतु लगायी गयी पम्प अक्सर खराब रहती है तथा ठीक होने पर 4 या 5 घंटे से अधिक नहीं चलती जब कि डीजल को चोरबाजारी कर मार्केट में बेच दिया जाता है ।

अतः आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि इस जल भराव व सार्वजनिक मार्ग की समस्या को दूर कराने का कष्ट करें । ।

सधन्यवाद ।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत श्री जगदम्बिका पाल, श्री नरेश अग्रवाल, श्री सुरेन्द्र अवस्थी और श्री दिवाकर विक्रम सिंह की प्रक्रिया नियमावली के नियम 187 एवं 188 के अनुसार वर्तमान सत्र में आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा एवं अनुदान की मांगों के लिये निर्धारित दिनों से कम दिन उपलब्ध कराये जाने के बारे में है, दूसरी सूचना श्री राम औतार शाक्य की दिनांक 25 अप्रैल, 1997 को नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के उत्तर के बारे में है, तीसरी सूचना श्री अमर मणि की जनपद महराजगंज के

वक्ता ने भाषा का पुनरीक्षण नहीं किया ।

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

वन टांडिया के हजारों निवासियों का नाम ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत की मतदाता सूची में न होने के संबंध में है और चौथी सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा की जिला प्लान के अन्तर्गत दिये जाने वाले धन का 10 प्रतिशत प्रतिबद्ध व्यय पर खर्च किये जाने के बारे में है।

यह सभी सूचनायें नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती हैं। इसलिये इनको अस्वीकार किया जाता है।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 1997†

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बीर आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 1997 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति अल्पकालिक व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 1997 †

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बीर आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1997 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1997 †

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1997 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अध्यादेश, 1997 †

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 1997 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश व्यापार-कर (संशोधन) अध्यादेश, 1997 †

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश व्यापार-कर (संशोधन) अध्यादेश, 1997 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अध्यादेश, 1997

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 1997 को सदन के पटल पर रखता हूं।

† छापे नहीं गये।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर विधान सभा द्वारा स्वीकृत धन्यवाद के प्रस्ताव के संबंध में श्री राज्यपाल का उत्तर

श्री अध्यक्ष–

दिनांक 21 अप्रैल, 1997 को विधान मण्डल के एक साथ समवेत हुये दोनों सदनों के समक्ष राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण के प्रति धन्यवाद प्रकट करते हुये उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के संबंध में राज्यपाल महोदय के उत्तर को सुनाता हूं।

"प्रिय अध्यक्ष महोदय, आपके अ०.शा० पत्र संख्या 459/वि०स०/सं०/12(सं)/97, दिनांक 14 मई, 1997 के लिये धन्यवाद।

आपके द्वारा विधान सभा के माननीय सदस्यों को भी मैं अपना धन्यवाद देना चाहूंगा।" भवदीय रोमेश भण्डारी

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1997

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन), विधेयक, 1997 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 23 अप्रैल, 1997 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 24, अप्रैल, 1997 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 1 मई, 1997 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1997 का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1997

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संशोधन), विधेयक, 1997 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 23 अप्रैल, 1997 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 24, अप्रैल, 1997 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 1 मई, 1997 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1997 का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1997

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन), विधेयक, 1997 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 25 अप्रैल, 1997 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 25, अप्रैल, 1997 को वापस हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 1 मई, 1997 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1997 का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1997

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन), विधेयक, 1997 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक

25 अप्रैल, 1997 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 25 अप्रैल, 1997 को वापस हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 1 मई, 1997 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1997 का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 16 जुलाई, 1997 की बैठक में सदन के दिनांक 17 जुलाई, 1997 से दिनांक 12 अगस्त, 1997 तक के उपवेशनों के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

1–दिनांक 7 तथा 8 अगस्त, 1997 को सदन की बैठकें न रखी जायं तथा उनके स्थान पर दिनांक 2 अगस्त, 1997 को सदन की बैठक रख ली जाय और उस दिन दिनांक 7 तथा 8 अगस्त, 1997 के लिये निर्धारित कार्य ले लिये जायें।

2–सदन के दिनांक 17 जुलाई, 1997 से 12 अगस्त, 1997 तक के तिथिवार कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किया जाय :–

जुलाई, 1997

17 गुरुवार	(1) औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हों। (2) असरकारी दिवस (आधा दिन दिनांक 25-4-97 के स्थान पर तथा आधा दिन दिनांक 25-7-97 के स्थान पर)।
18 शुक्रवार	(ईद–ए–मिलाद का अवकाश)
19 शनिवार	बैठक नहीं होगी।
20 रविवार	
21 सोमवार	(1) निधन के निर्देश (प्रश्नकाल के उपरान्त)। (2) विधायी कार्य (आधा दिन) (3) असरकारी दिवस (आधा दिन दिनांक 1-8-97 के स्थान पर)
22 मंगलवार	(1) 12.20 बजे अपराह्न वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण। (2) विधायी कार्य।
23 बुधवार	(1) विधायी कार्य (आधा दिन)। (2) असरकारी दिवस (आधा दिन दिनांक 8-8-97 के स्थान पर)
24 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।
25 शुक्रवार	

26 शनिवार
27 रविवार

बैठक नहीं होगी ।

28 सोमवार
29 मंगलवार

वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ।

30 बुधवार
31 गुरुवार

वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

अगस्त, 1997

1 शुक्रवार

(1) वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(2) 5.00 बजे अपराह्न

विधायी कार्य ।

2 शनिवार

(1) वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक की अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(2) नियम–103 के अन्तर्गत श्री रंगनाथ मिश्र, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रतुत किया जाना एवं उस पर एक घन्टे की चर्चा :–

"इस सदन का निश्चित मत है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में खोले गये पर्सनल लेजर एकाउन्ट के संचालन पर तत्काल रोक लगाई जाय और उसमें जमा धनराशि का उपयोग निर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु किया जाय ।"

(3) प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादक किसानों को गन्ने के मूल्य का भुगतान न किये जाने तथा गन्ने की पेराई की समस्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सूर्य प्रताप शाही, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा–दो घन्टा ।

(4) 5.00 बजे अपराह्न

विधायी कार्य ।

3 रविवार

बैठक नहीं होगी ।

4 सोमवार
5 मंगलवार
6 बुधवार

वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक की अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

7 गुरुवार
8 शुक्रवार
9 शनिवार
10 रविवार

बैठक नहीं होगी ।

11 सोमवार — वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

12 मंगलवार — (1) वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(4.00 बजे अपराह्न तक)

(2) 4.00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1997 का सदन की अनुज्ञा से पुरः स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री वी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जिसकी सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दी गयी है, से सदन सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

(समाजवादी पार्टी के अधिकतर सदस्य नारे लगाते हुए सदन के वेल में आ गये जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

श्री अध्यक्ष–

(व्यवधान के मध्य) आज दिनांक 17-7-97 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गईं प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा । शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है :–

पहली सूचना श्री [illegible] चन्द्र अग्रवाल, श्री दिवाकर विक्रम सिंह, श्री सतीश शर्मा, श्री विवेक सिंह की सम्पूर्ण प्रदेश में [illegible] पुस्तकों के अभाव से छात्रों को हो रही कठिनाई से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

(समाजवादी पार्टी के अधिकतर सदस्य सदन के वेल में खड़े होकर नारे लगाते रहे)

माननीय सदस्य सदन की कार्यवाही संचालन में बाधा डाल रहे हैं और अपना-अपना आसन ग्रहण नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं सदन की कार्यवाही को 3 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं ।

(इसके बाद 2 बजकर 23 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 3 बजे तक लिए स्थगित कर दी । 3 बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

बबराला काण्ड की जांच सी० बी० आई० से कराने की मांग

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश–

मान्यवर, सी० बी० आई० से जांच के आदेश दिये जाने चाहिए ।

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि आज सत्र का पहला दिन है और माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में नहीं है । गृह मंत्री जी का काम भी वही देखती हैं । संसदीय कार्य मंत्री जी जवाब दे रहे हैं विभिन्न प्रश्नों का । अभी सवाल उठाया गया था जवाब दिया जाना चाहिए था । उसमें जिस तरह की कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाना चाहिए था नहीं दिया गया क्योंकि उसमें उच्च अधिकारियों का हाथ है । इसमें राजस्व परिषद् के चेयरमैन से जांच करवायेंगे, तो किसी भी तरह से निष्पक्ष रूप से जांच नहीं हो सकती है ।

श्री अध्यक्ष–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री केशो मेहरा–

अध्यक्ष जी की व्यवस्था के ऊपर व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा रहा है । यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नहीं यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । यह बात सुनी जा चुकी है और उस पर व्यवस्था भी दी जा चुकी है । अभी बहुत महत्वपूर्ण काम बचे हैं उन्हें करना है । इस तरह से सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी ? आप लोग कृपया बैठ जायं ।

श्री ओम प्रकाश–

बबराला काण्ड के बारे में सी० बी० आई० से और कोई कम जांच नहीं हो सकती है । इस पर अपनी पीठ से सी० बी० आई० जांच के आदेश दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जब अध्यक्ष की व्यवस्था हो जाती है तो उसमें फिर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाता है । आप लोग कृपया बैठ जायं ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य अगर हठ करेंगे तो इस तरह से सदन चलाना मुश्किल हो जायेगा । एक घटना का उल्लेख किया । वह प्रश्न सुन लिया गया । अध्यक्ष पीठ से उस पर व्यवस्था हो गई । मैं समझता हूं उस प्रकरण को अब समाप्त किया जाना चाहिए । मैं नियम–56 की सूचनायें ले रहा हूं । आप लोग कृपया बैठ जायं ।

(व्यवधान)

(समाजवादी पार्टी के सदस्य द्वारा अपनी सीट पर चढ़ कर एक साथ बोलने लगे तथा पुलिस के बल पर यह सरकार नही चलेगी–नही चलेगी, किसान विरोधी यह सरकार नही चलेगी–नहीं चलेगी के नारे लगाये गये जिससे सदन में व्यवधान बना रहा ।)

कार्य-स्थगन की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

नियम–56 के अन्तर्गत कुल 11 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । एक सूचना नियम–51 से परिवर्तनस्वरूप प्राप्त हुई हैं । जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गई हैं । प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जाएगा शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है । पहली सूचना श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री दिवाकर विक्रम सिंह, श्री सतीश शर्मा, श्री विवेक कुमार सिंह, श्री रघुवर दयाल वर्मा की है इन्होंने सम्पूर्ण प्रदेश में पाठ्य पुस्तकों के अभाव से छात्रों को हो रही कठिनाई से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है । दूसरी सूचना श्री चन्द्रनाथ सिंह की है यह जनपद प्रतापगढ़ में दलितों पर हो रहे अत्याचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । तीसरी सूचना श्री रामाधीन सिंह जी की है इन्होंने जनपद भदोही में भ्रष्ट पुलिस अधीक्षक के कारण बढ़ती लूट हत्या व डकैती से भयाक्रान्त जनता को सुरक्षा प्रदान करने के सम्बन्ध में सूचना दी है ।

(घोर व्यवधान)

(कई विपक्ष के सदस्य एक साथ सदन के फ्लोर पर आकर "लाठी डंडों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी" के नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

चौथी सूचना श्रीमती गौरी देवी की है इन्होंने जनपद गोरखपुर में गीडा के गठन हेतु किसानों की अधिग्रहीत की गई भूमि का उचित मुआवजा न दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जिन पांच सूचनाओं को स्वीकार किया गया है और जिन माननीय सदस्यों के नाम पुकारे गए हैं वह इन सूचनाओं को 21 तारीख को पुनः नियम–56 में दे दें ।

आज की कार्यसूची के मद संख्या 17 व 18 से सम्बन्धित विभिन्न संकल्पों को स्थगित किये जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या-17 और मद संख्या-18 को स्थगित किया जाता है । इसको सोमवार को, 21 तारीख को पुनः ले लिया जाएगा ।

(घोर वयवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मैं और मेरे दल के सदस्य सदन से वाक आउट करते हैं ।

(श्री प्रमोद कुमार अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम–51 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिसमें डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी की सूचना वक्तव्य के लिए और श्री राम औतार शाक्य, श्री रामबाबू हरित की सूचनाओं को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकृत किया गया है । श्री रंगनाथ मिश्र, श्री भारत सिंह रावत की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराया गया है । शेष सूचनायें अस्वीकार की जाती हैं ।

(घोर व्यवधान)

अब हम उठते हैं। 21 तारीख को 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

इसके बाद सदन 3 बजकर 10 मिनट पर सोमवार दि० 21 जुलाई, 1997 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।

लखनऊ

दिनांक 17-7-1997

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव, विधान सभा

उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अना० प्र० सं० 95 का उत्तर पीछे पृष्ठ 41 पर)

अनुलग्नक-1

वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 में क्रय किये गये बोरों का विवरण

बोरों की क्षमता	1995-1996		1996-97	
	संख्या	दर प्रति सैकड़ा (रूपये में)	संख्या	दर प्रति सैकड़ा (रूपये में)
100 किग्रा०	50000	2075.00	58500	3011.08
40 किग्रा०	300000	1545.00	300000	1984.50
20 किग्रा०	200000	1113.00	200000	1405.00
10 किग्रा०	35200	967.00	50000	1047.35
5 किग्रा०	114000	855.00	—	—
2 किग्रा०	150000	598.50	20000	598.50

नसीमुद्दीन सिद्दीकी,

कृषि मंत्री ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 96 का उत्तर पीछे पृष्ठ 42 पर)

प्रतिलिपि

संख्या : 3/20/92-का०-2/93

प्रेषक,

कालिका प्रसाद,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ० प्र० शासन ।

2-समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ० प्र० ।

3-समस्त मण्डलायुक्त, उ० प्र० ।

4-समस्त जिलाधिकारी, उ० प्र० ।

लखनऊ : दिनांक 11 नवम्बर, 1993

विषय :-मण्डलीय विकास निगमों को बन्द किये जाने के फलस्वरूप उनके कर्मचारियों/अधिकारियों को सरकारी सेवा हेतु अर्हता एवं अनुमन्यता ।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग -2

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मण्डलीय विकास निगम झांसी, मण्डलीय विकास निगम, मेरठ, मण्डलीय विकास निगम, फैजाबाद, मण्डलीय विकास निगम, बरेली, मंडलीय विकास निगम, इलाहाबाद, मण्डलीय विकास निगम, लखनऊ और मण्डलीय विकास निगम वाराणसी को शासन द्वारा बन्द किये जाने का निर्णय लिया गया है । इस संबंध में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुये शासन ने उक्त निगमों के कर्मचारियों/अधिकारियों को निम्नांकित शर्तों के अधीन सरकारी सेवा हेतु अर्हता एवं अनुमन्यता प्रदान करने का निर्णय लिया है :-

1. सरकारी सेवा हेतु केवल वे ही कर्मचारी पात्र होंगे, जो दिनांक 1 अक्टूबर, 1996 या उसके पूर्व कारपोरेशन की सेवा में नियुक्त हुये हों, तथा कारपोरेशन के बन्द की तिथि तक निरन्तर कार्यरत हों ।

2. लोक सेवा आयोग के परिधि के बाहर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि के भीतर या बाहर के पदों पर "उपयुक्तता" के आधार पर नियुक्ति हेतु अर्हता मानी जायेगी । ऐसी सेवाओं/पदों हेतु जिनके लिये भर्ती/चयन के नियमित किसी सेवा नियमावली/कार्यकारी आदेश में कोई प्रक्रिया विद्यमान हो, छटनीशुदा कार्मिक के विषय में उक्त प्रक्रिया से शिथिलता बरतते हुये "उपयुक्तता" आंकने के लिये अलग से उत्तर प्रदेश सरकार का सार्वजनिक निगमों के छटनी शुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन नियमावली, 1991 प्रख्यापित की गयी है ।

3. सरकारी सेवा भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, अनुभव तथा आयु विषयक शर्तें पूरा करने वाले मण्डलीय विकास निगमों के कर्मचारी/अधिकारी ही उक्त सेवायोजन हेतु पात्र होंगे। यदि ऐसे कर्मचारी मण्डलीय विकास निगम में ऐसे पद पर नियुक्त हुये थे, जिसका कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व उस पद के समान है जिस पद के लिये वे अब अभ्यर्थी है और अपनी नियुक्ति के समय उपरोक्त पद के लिये निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते थे, तो यह समझा जायेगा कि वेतनमान पद के लिये निधारित शैक्षिक अर्हता पूर्ण करते हैं।

4. मण्डलीय विकास निगम के अधिकारी/कर्मचारी के लिये सरकारी सेवा में पद विशेष पर लागू अधिकतम आयु सीमा का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

5. सेवा में लिये जाने के दिनांक से राज्य कर्मचारियों पर लागू समस्त नियम जैसे भविष्य निर्वाह निधि अवकाश, पेंशन आदि उन पर स्वतः लागू होंगे।

6. मण्डलीय विकास निगमों की सेवा में कार्मिकों को आहरित अन्तिम वेतन को संरक्षण प्रदान किया जायेगा, जिसके विषय में वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

7. उक्त सेवायोजन सीधी भर्ती के उपलब्ध पदों के विरुद्ध ही किया जायेगा तथा संबंधित पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति कार्मिकों की ज्येष्ठता निर्धारित करने विषयक लागू नीति के अनुसार उक्त सेवायोजन की तिथि से ज्येष्ठता प्रदान की जायेगी।

8. प्रदेश के विभिन्न जिलों में कतिपय तैनात मंडलीय विकास निगम के समूह "ग" तथा "घ" के जिन कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की जायेगी उन सभी के नाम संबंधित सेवायोजन कार्यालयों में एक अलग से पूल में, निगम में उनकी वरिष्ठता क्रम में, व्यवस्थित किये जायेंगे और सेवायोजकों से मांग प्राप्त होने पर तदनुसार नाम प्रेषित किये जायेंगे।

9. यह नियुक्तियां करते समय आरक्षण संबंधी नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

10. मितव्ययिता के दृष्टिकोण से 5 प्रतिशत पद रिक्त रखे जाने संबंधी प्राविधान इन पर लागू न होंगे।

11. उपरोक्त दिशा निर्देशों के अतिरिक्त यह भी कहना अप्रशासनिक न होगा कि मण्डलीय विकास निगमों के कर्मचारियों के संदर्भ में समय-समय पर जो माननीय न्यायालयों के आदेश हुये हैं उनका समादर करते हुये अग्रेतर कार्यवाही की जाय।

भवदीय,

ह०/–कालिका प्रसाद

सचिव।

संख्या : 3/2002 (1) का०-2/93 तद्दिनांक

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

ह०/–डा० जी० डी० माहेश्वरी

विशेष सचिव।

संख्या : 3/20/92-का०-2 (2)/93 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-गोपन अनुभाग-1 को उनके अशासकीय पत्र सं० 4/2/43/93 सी एक्स (1) दिनांक 10-11-93 के संदर्भ में

2-क्षेत्रीय विकास अनुभाग-2

3 सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, अनुभाग-1

4-वित्त (सामान्य) अनुभाग-2

आज्ञा से,

ह०/-डा० जी० डी० माहेश्वरी

विशेष सचिव ।

संख्या : 3/20/92 (3) का०-2/93 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ० प्र० को उक्त आदेशों के विभिन्न सूचना माध्यमों से व्यापक प्रचार व प्रसार हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

ह०/-डा० जी० डी० माहेश्वरी

विशेष सचिव ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'ग'

(देखिये ता० प्र० सं० 126 का उत्तर पीछे पृष्ठ 52 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के प्रथम गुरुवार के लिये निर्धारित श्री मोहन सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–126 का विवरण

पत्र क्रमांक	समस्या का विवरण	कृत कार्यवाही
1	2	3
1	पशु सेवा केन्द्र बहेड़ा खाल का उच्चीकरण	उच्चीकरण का प्रस्ताव वर्ष 92-93 में जिला नियोजन समिति में रखा गया था। लेकिन नियोजन समिति ने पारित नहीं किया।
2	सांड़ उपलब्ध कराने के संबंध में,	माह मई, 97 के प्रथम सप्ताह में जर्सी सिन्धी सांड़ उपलब्ध करा दिया गया है। मुर्रा सांड़ यथाशीघ्र क्रय कर उपलब्ध करा दिया जायेगा।
3	विभागीय भवनों की चहार दीवारी का निर्माण	चहार दीवारी के निर्माण हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, पौड़ी से प्राक्कलन प्राप्त होने पर वित्तीय व्यवस्था का प्रयास किया जायेगा।
4	विभागीय भवनों का विद्युत लाइन का निर्माण	उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उप खण्ड सतपुली (पौड़ी गढ़वाल) को विद्युत लाइन लगाने हेतु लिखा गया है।
5	सांड़ उपलब्ध कराने के संबंध में।	उत्तर क्रमांक–2 पर दिया गया है।
6	दिनांक 13-5-96 तथा 13-12-96 के पत्रों पर कार्यवाही करने के संबंध में।	पत्र दिनांक 13-5-96 में सांड़ों की व्यवस्था के संबंध में उत्तर क्रमांक–2 पर दिया है। पत्र दिनांक 13-1-96 में ग्राम सभा की बैठक के प्रस्ताव 21, 22, 23 पर की गई कार्यवाही से सम्बन्धित है।
7	शासनादेश सं०–924/28-91-2(359)/91, दिनांक 31-3-91 के द्वारा 14 लाख के विपरीत 7 लाख अवमुक्त करने और अवशेष धनराशि अवमुक्त कराने के संबंध में।	उत्तर क्रमांक-3 पर दिया है।
8	प्रस्ताव संख्या–16 दिनांक 18-12-96 पर कार्यवाही करने हेतु	उत्तर क्रमांक 1, 2, 3, 4 पर दिया है।

11	एन० बी० सी० बहेड़ाखाल के किराये के भुगतान के संबंध में	इस कार्यालय का समस्त रिकार्ड एवं बिल दि० 8-1-96 के भीषण अग्निकाण्ड में जल चुका है । पुनः किराये बिल प्रभारी, पशु चिकित्सालय कोट (पौड़ी) से इस कार्यालय के पत्र संख्या–474/लेखा/दिनांक 27-5-97 के द्वारा मंगाये गये हैं । बिल प्राप्त होने पर भुगतान यथाशीघ्र कर दिया जायेगा ।
12	एन० बी० सी० बहेड़ाखाल के किराये के भुगतान के संबंध में	
13	एन० बी० सी० बहेड़ाखाल के किराये के भुगतान के संबंध में	
14	एन० बी० सी० बहेड़ाखाल के किराये के भुगतान के संबंध में	

सुन्दर सिंह बघेल,

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार),

पशुधन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०–एल० 251 विधान सभा (502)–1997–813 (डी० टी० पी०) ।